लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

बारहवाँ सत्र

Twelfth Session

खंड 47 में अंक 21 से 28 तक हैं

Vol. XLVII contains Nos. 21 to 28

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22, गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1970/19 अग्रहायण, 1892 (शक)

No. 22, Thursday, December 10, 1970/Agrahayana 19, 1892 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

631. दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तें	Service conditions of Employees of Delhi Zoo	..	1—4
632. प्रताप और वीर अर्जुन में सरकारी विज्ञापन	Government Alvertisements to Pratap and Vir Arjun	..	4—8
633. नये किस्म के खाद्यान्नों तथा शाक सब्जियों का विकास	New varieties of Foodgrains and Vegetable Developed	..	8—12
634. चौथी योजना में नारियल के लिये अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना	All India Coordinating Research Project for Coconut during IV Plan	..	12—16
635. श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर एक समान नीति	Uniform approach to Labour Problems	..	17
636. खाद्य विभाग द्वारा मध्यस्थता के मामलों पर व्यय	Expenditure on Arbitration cases by Food Department		17—19
639. प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा अन्य समाचार एजेंसियों को निगम में बदलना	Conversion of PTI and other News Agencies into Corporation		19—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

637. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये लकड़ी की नौकाओं के निर्माण में राज सहायता	Subsidy for manufacturing of Wooden Vessels for Deep Sea Fishing	..	21—22

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
638. विज्ञापनों पर सरकारी व्यय	Government expenditure on advertisements	..	22
640. अन्दमान द्वीपों में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का बसाया जाना	Settling of East Bengal Refugees in Andamans	..	22—23
641. मूंगफली का रक्षित भण्डार तथा खाद्य तेलों का आयात	Buffer Stock of Groundnut and Import of Edible Oils	..	23
642. भारतीय श्रम सम्मेलन तथा स्थायी श्रम समिति में निर्णय लेने का तरीका	Mode of taking decisions at Indian Labour Conference and Standing Labour Committee	..	24
643. मजूरी बोर्डों के पंचाटों को लागू करने के लिये विधान	Legislation to enforce Wage Boards Awards	..	24
644. पट्टा प्रणाली का समाप्त किया जाना और बड़े पैमाने पर खेती के लिये सहकारी समितियों की स्थापना	Abolition of Patta System and formation of Co-operatives for Farming on Big Scale	..	24—25
645. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Resettlement of Ex-Servicemen	..	25—27
646. पोस्टकार्ड के मूल्य में वृद्धि	Inctease in price of Post Cards	..	27
647. उड़ीसा राज्य के आकाशवाणी केन्द्रों को सरकारी निदेश	Government Directive to AIR Stations in Orissa State	..	27—28
648. भारतीय खाद्य निगम द्वारा कूच बिहार द्वारा खराब किस्म के चावल और गेहूं की सप्लाई	Supply of bad quality rice and Wheat by FCI Cooch Behar	..	28
649. डायल घुमाकर लन्दन से सीधा सम्पर्क	Direct Dialing to London	..	28—29
650. दूर संचार व्यवस्था के लिये निगम की स्थापना	Setting up a Corporation for Telecommunication	..	29
651. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में बोनस के सम्बन्ध में विवाद	Dispute regarding Bonus in HMT	..	30
652. पंचायती राज सलाहकार परिषद् की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण पर असन्तोष	Dissatisfaction over working of Panchayati Raj Institutions at meeting of Advisory Council on Panchayati Raj	..	30—31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
653. विदेशों से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of repatriates from foreign countries ..	31—33
654. आकाशवाणी प्रशासन का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of AIR Administration ..	33
655. कोयला खान में ठेका पद्धति समाप्त करने के लिये समिति	Committee on abolition of contract system in coal mines ..	34
656. गैर पंजीकृत डाक वस्तुओं पर तारीख की मोहर लगाना तथा डाक सेवा में सुधार	Date stamping of unregistered postal articles and streamlining postal service ..	34
657. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये गये दूध की बोतल में मरा हुआ चूहा	Presence of a dead rat in a bottle of milk supplied by DMS ..	34—35
658. लंका में भारतीय चीनी के आयात की मनाही	Refusal to allow import of Indian Sugar into Ceylon ..	35
659. राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण	Review of National Forest Policy ..	35—36
660. विद्यार्थियों द्वारा 'बेरोजगारी दिवस'-प्रदर्शन	'Unemployment Day' demonstration by students ..	36
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4029. स्फटिक तोड़ने वाले कारखानों में फुफ्फुस रोग से मरे या रोगग्रस्त हुये कर्मचारी	Workers dead or affected by Silicosis in Quartz Crushing Plants ..	36—37
4030. मंत्रियों तथा संसदसदस्यों के पास उच्चतम सीमा से अधिक कृषि भूमि	Agricultural land held in excess of ceiling by M. Ps. ..	37
4031. डाक व तार विभाग में सितम्बर, 1968 की हड़ताल के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के कर्मचारियों को खपाना	Absorption of Class III and IV Staff of P. T. Department who volunteered to work during September, 1968 strike ..	37—38
4032. उत्तर प्रदेश को अखबारी कागज का आवंटन	Allocation of Newsprint to U. P. ..	38—39
4033. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा राज्यों को दिया गया धन	Money advanced to States by National Cooperative Development Corporation ..	39

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4034. सोयाबीन की खेती के लिये सुविधाएं	Facilities for cultivation of Soya Bean	..	39
4035. आम के कीड़ों के कारण हुई हानि तथा आम के कीड़ों पर नियंत्रण पाने के लिये कार्यवाही	Loss suffered due to Mango Pests and Steps for Mango Pest Control	..	40
4036. आकाशवाणी की सेवा में विदेशी राष्ट्रिक	Foreign Nationals in Services of A. I. R.	..	40—41
4037. भारत में वर्ष 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	International Film Festival in India in 1971	..	41
4038. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का समुचित ढंग से वितरण	Proper distribution of Seeds by National Seeds Corporation	..	42
4039. फिल्म वित्त निगम को दी गई अतिरिक्त सहायता का उपयोग	Utilisation of Additional Assistance to Film Finance Corporation	..	43
4040. दिल्ली में क्रास-बार एक्सचेंज द्वारा सेवित टेलीफोनधारियों के निवासस्थानों पर मीटर लगाना	Installation of Meters at Residences ef Telephone Subscribers served by Cross bar Exchange in Delhi	..	43
4041. दिल्ली में आठ रुपये तथा इससे अधिक मूल्य के पोस्टल आर्डरों की कमी	Shortage of Postal Orders of Denominations of Rs. 8 and above in Delhi	..	44
4042. नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट डाकखाने की रजिस्ट्री कराने की खिड़की पर असुविधा	Inconvenience at Registration Counter of Parliament Street Post Office, New Delhi	..	44
4043. समाचार पत्रों के परिचालन की संख्या का बढ़ा चढ़ा कर दिया जाना	Exaggerated Circulation Figures of Newspapers	..	44—45
4044. आर एस 09 ट्रैक्टरों के आयात के पूर्व उनकी विशिष्टियों के संबंध में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र से पत्र व्यवहार	Correspondence with GDR regarding Specifications of RS—09 Tractors before their Import	..	45
4045. टेलीविजन का विकास तथा विस्तार कार्यक्रम	T. V. Development and Expansion Programme	..	45—46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4046. श्रीनगर, बम्बई, पूना, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, मद्रास आदि में प्रस्तावित टेलीविजन केन्द्रों की प्रदर्शनी क्षेत्र सीमा	Range of proposed T. V. Station in Srinagar, Bombay, Poona, Calcutta, Lucknow, Kanpur, Madras Etc. ..	46—48
4047. आकाशवाणी कार्यक्रमों के लिये आचार संहिता	Code of Conduct for A. I. R. Programmes ..	48
4048. अमरेली जिला के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये गुजरात को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat for drought affected areas in Amreli District ..	48—49
4049. केरल के समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements in Kerala Newspapers ..	49—50
4050. सरकारी विभागों द्वारा अनुमति पत्र विहीन कम्पनियों से कोयले की खरीद	Purchase of Coal by Government Departments from uncertified Companies ..	50
4051. मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh ..	50—51
4052. चिकित्सा सुविधाओं के लिये नियतन	Allocation for Medical Benefits ..	51—52
4053. मणिपुर में खंडसारी मिल की स्थापना	Setting up of Khandsari Mill in Manipur ..	52
4054. बुन्देलखण्ड में सिंचाई की सुविधाएं	Irrigation Facilities in Bunddelkhand ..	52—53
4055. उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल वाले क्षेत्रों में नलकूपों तथा पम्पिग सेटों से सिंचाई	Irrigation by Tubewells and Pumping Sets in areas where Underground water in available in U. P. ..	53
4056. तमिल नाडु में कृषि सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये विश्व बैंक के एक दल का दौरा	World Bank Team's visit to Tamil Nadu to study Agricultural Problems ..	54
4057. मध्य प्रदेश सरकार को लघु सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh Government for Expansion of Small Irrigation Schemes ..	54—55
4058. अच्छी किस्म की ऊन के लिये भेड़ पालन कार्यक्रम	Sheep Breeding Programme for High Quality Wool ..	55—56
4059. एक जोरदार योजना के अन्तर्गत निरन्तर रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों का चयन	Selection of Chronically Drought-Affected Areas under a Crash Plan ..	56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4060. दिल्ली के चिड़ियाघर के कर्मचारियों के लिये आवास संबंधी सुविधाएं	Housing Facilities for Employees Delhi Zoo ..	56
4061. पंजाब में टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्र की स्थापना	Opening of T. V. Relay Station in Punjab ..	57
4062. दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों में सुविधाओं की व्यवस्था करना	Provision of Amenities in Rehabilitation Colonies in Delhi ..	57—58
4063. लौह अयस्क उद्योग के कर्मचारियों के लिये उड़ीसा के क्योंझर जिले में अस्पताल का निर्माण	Construction of Hospitals in Keonjhar District, Orissa for Iron Ore Workers ..	58
4064. दिल्ली की टेलीफोन निर्देशिका में राज्य सभा के सदस्य के रूप में जाली नाम का शामिल किया जाना	Inclusion of Fictitious name as Member of Rajya Sabha in Telephone Directory, Delhi ..	58—59
4065. कृषि सम्बन्धी फिल्मों को क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरित करना	Dubbing of Films on Agriculture in Regional Languages ..	59
4066. छोटे खेतों के लिये उपयुक्त एक नवीन बहुउद्देशीय विद्युत चालित हल का विकास	Development of a Novel Powers Tiller Multi Purpose Implement suitable for Small Farms ..	59—60
4067. ठेका सम्बन्धी दायित्वों का पालन न करने के कारण धन की वसूली करना	Recovery on account of Failure to Carry out Contractual Obligations ..	60
4068. कृषि अनुसंधान के बारे में चल चित्रों के निर्माण	Production of Films on Agricultural Research ..	60—61
4069. श्रम आयुक्तों का सम्मेलन	Conference of Labour Commissioners ..	61
4070. आकाशवाणी को वाणिज्यक प्रसारणों से प्राप्त आय	Proceeds from Commercial Broadcasts over A.I.R. ..	61
4071. फिल्मों के विकास के लिये फिल्म वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण	Credit provided by Film Finance Corporation for development of Films ..	62
4072. भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी	Deputationists in offices of Provident Fund Commissioner ..	62

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4073. राजनयिक दलों द्वारा भूमि राजस्व का वसूल किया जाना	Land revenue appropirated by Political Parties	..	62—63
4074. केरल विश्वविद्यालय में समुद्रीय जीव-विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान कार्य	Research in Marine Biology of Kerala University	..	63
4075. कुपोषण की समस्या के निवारण के लिए उपाय	Remedy for Malnutrition	..	63
4076. दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापकों का वर्गीकरण	Categorisation of teaching staff in Industrial Training Institutes in Delhi	..	64
4077. उड़ीसा में धान तथा चावल के मूल्य निर्धारित करने के लिये विशेषविवरण निश्चित करना	Specifications provided for fixing prices of paddy and rice in Orissa	..	64—65
4078. कटक और भुवनेश्वर में टैलेक्स सेवा	Telex Service at Cuttack and Bhubaneshwar	..	65
4079. रिहेबिलीटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन	Rehabilitation Industries Corporation	..	65—66
4080. फिल्म परिषद की स्थापना	Establishment of Film Council	..	66—67
4081. डाक तथा तार सर्किल में कार्य कर रहे अंशकालिक कर्मचारियों के वेतनों का निर्धारण	Fixation of wages of part time employees working in P & T Circle	..	67
4082. मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में कपास के उत्पादन में वृद्धि	Development of production of cotton in Nimar District Madhya Pradesh	..	67—68
4083. आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में कर्मचारियों की यूनियनों की संख्या	Number of Employees' Unions in AIR Delhi	..	68
4084. मालवीय नगर नई दिल्ली में मकानों के लिये अलाटियों द्वारा पूरा भुगतान न किया जाना	Houses not fully paid for by allottees in Malavia Nagar, New Delhi	..	68—69
4085. आकाशवाणी के ठेके पर काम करने वाले कलाकार	A.I.R. contract Artistes	..	69—70
4086. आयातित दुग्ध संयंत्रों का कार्य	Working of imported Milk Plants	..	70—71

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
4087. 15 पैसे के डाक टिकटों की कमी	Shortage of postage stamps of 15 paise Denomination ..	71
4088. राज्य सहकारी समितियों की ओर ऋण की बकाया राशि	Amount of loans outstanding against State Cooperative Societies ..	71—72
4089. दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें	Service conditions of Staff of Industrial Training Institutes in Delhi ..	72—73
4090. मछली उद्योग को भी कृषि के समान मानने के लिये भारत के रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया जाना	Amendment of Reserve Bank of India Act for Treatment of fisheries on par with agriculture ..	73
4091. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली, के अनुदेशक कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Instructional Staff in Industrial Training Institutes in Delhi ..	73—74
4092. तमिलनाडु में रूसी सहायता से सरकारी फार्म की स्थापना	Setting up of a Soviet aided State Farm in Tamil Nadu ..	74—75
4093. 14-11-1970 को दिल्ली में बाल चल चित्रों का न दिखाया जाना	Children's films not screened in Delhi on 14.11.1970 ..	75
4094. आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सुधार करने के लिये आकाशवाणी के निदेशकों का सम्मेलन	Air Directors' conference to improve upon programmes ..	75—76
4095. कलकत्ता पत्तन के श्रमिकों का पंजीयन	Registration of Labourers at Calcutta Port ..	76—77
4096. राजस्थान में खरीफ की फसल की वसूली का लक्ष्य	Procurement target of Kharif Crop in Rajasthan ..	77
4097. ट्रैक्टरों की बिक्री तथा पुन: बिक्री की प्रक्रिया में परिवर्तन	Revision of procedure for sale and resale of Tractors ..	77—78
4098. भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रोटीन खाद्य का उत्पादन	Poduction of protein food by FCI ..	78
4099. पश्चिम बंगाल में भाण्डागार	Warehouses in West Bengal ..	78—79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4100. पश्चिम बंगाल में गैर सरकारी भंडागार एजेंसियां	Private storage agencies in West Bengal ..	79
4101. राष्ट्रीय बीज निगम	National Seeds Corporation ..	79—80
4102. श्रमिकों की उपलब्धियां	Emoluments of Workers ..	80—81
4103. शरणार्थियों के लिये औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Refugees Industrial Finance Corporation ..	81
4104. मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के आवेदन पत्रों सम्बन्धी आंकड़े	Applications for Telephone connections in M.P. ..	81—82
4105. डाक तथा तारघर वाले गांव	Villages provided with Post and Telegraph Offices ..	82
4106. बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के अनिर्णीत आवेदन-पत्र	Application for Telephone connections pending in Burhanpur, M. P. ..	82
4107. पूर्वी निमाड़ जिले में टेलीफोन कनेक्शन के अनिर्णीत आवेदन-पत्र	Applications for telephone connections pending with Telephone Exchanges of East Nimar District ..	82—83
4108. पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को कालकाजी, नई दिल्ली, स्थित कालोनी में प्लाटों का वितरण	Distribution of plots in E.P.D.P. colony Kalkaji, New Delhi ..	83
4109. कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में प्लाटों के लिए भूमि के किराये में कमी	Reduction of ground rent for plots in E. P. D. P. Colony, Kalkaji, New Delhi ..	83—84
4110. नई दिल्ली में कालका जी की पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की कालोनी में प्लाटों का मूल्य निर्धारित करना	Pricing of plots in E. P. D. P. Colony Kalkaji, New Delhi ..	84
4111. मनीपुर पशु चिकित्सा संघ कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव	Resolutions passed by Executive Committee of Manipur Veterinary Association ..	84
4112. मनीपुर में व्यावहारिक पौष्टिक आहार कार्यक्रम के लिए सहायता	Aid for applied Nutritional programme in Manipur ..	85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4113. मणिपुर पशु चिकित्सा संघ को मान्यता देने का अनुरोध	Request for grant of recognition to Manipur Veterinary Association ..	85
4114. पश्चिम बंगाल के प्रत्येक गांव में डाकखानों का खोला जाना	Opening of Post Offices in each Village of West Bengal ..	86
4115. वर्ष 1970-71 और 1971-72 में त्रिपुरा में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Irrigation facilities in Tripura during 1970-71 and 1971-72 ..	86
4116. त्रिपुरा में सरकारी समितियां	Co-operative Societies in Tripura ..	86—87
4117. त्रिपुरा में खाद्य फसलों के अन्तर्गत भूमि के एकड़ तथा उनका उत्पादन	Production and acreage of land under food crop in Tripura ..	87—88
4118. मध्य प्रदेश में पशुओं की नस्ल परीक्षण तथा उसमें सुधार करने के लिए एक योजना की क्रियान्विति	Implementation of a scheme for testing and improving breed of cattle in Madhya Pradesh ..	88
4119. रोजगार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग	National Commission on Employment ..	88
4120. चीन में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 702 नामक रसायन का उपयोग	Use of Chemical named 702 to raise Rice Production in China ..	89
4121. राज्यों में हरिजनों को भूमि के वितरण के बारे में केन्द्रीय निदेश	Central Directive for Distribution of Land to Harijans in States ..	89
4122. कलकत्ता के सम्बन्ध में बनाई जाने वाली फिल्म पर श्री माले पर लगाई गई शर्तें	Conditions imposed on Mr. Malle for a Film on Calcutta ..	89—90
4123. जालन्धर राज्य फार्म के लिए रूस द्वारा उपकरण दिया जाना	Soviet Equipment for State Farm at Jullunder ..	90
4124. 1971-72 के दौरान खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains during 1971-72 ..	90—91
4125. कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार	Pressure of Population on Agricultural Land ..	91—92
4126. डाक तथा तार विभाग के तार संकेतकों को अग्रिम वेतन वृद्धियों का दिया जाना	Grant of Advance Increments to Telegraphists of P and T Department ..	92

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4127. छपाई से वितरण अवस्था तक पोस्ट कार्डों की लागत	Cost of Post Card from Printing to Delivery Staae	..	92—93
4128. आकाशवाणी से संस्कृत भाषा में समाचार बुलेटिन का प्रसारण	News Bulletin over A. I. R. in Sanskrit	..	93
4129. प्रति व्यक्ति दूध की खपत और दूध का उत्पादन तथा इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही	Per Capita Consumption and Production of Milk and steps to increase its Production	..	93—94
4130. विदेशी नस्ल की गायों के बछड़ों का उपयोग	Use of Calves from Cows of Foreign Breed	..	!94
4131. बीजों के उत्पादन में किसानों द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम की सहायता	Help to National Seeds Corporation by farmers in producing Seeds	..	94—95
4132. भैंसों की नस्ल सुधारने के लिए विदेशी सहायता	Foreign Aid for Improving Breed of Buffaloes	..	95
4133. आकाशवाणी में ए० एम० आई० ए० डिग्री प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि	Advance increments to A. I. R. Technical Staff with A. M. I. E. Degree	..	96—96
4134. 17 नवम्बर, 1970 को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिन	A. I. R. News Broadcasts of 17. 11. 70	..	96
4135. कोयले की खानों में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Temporary Labourers in Coal Mines	..	96—97
4136. डाक तथा तार 'जोनल मंत्रणा समितियों' के लिये नियम	Rules for Posts and Telegraph Zonal Advisory Committee	..	97—98
4137. पटना में उप अभिलेख कार्यालय तथा मुख्य अभिलेख कार्यालय का स्थान	Location of Sub-Record Office and Head Record Office in Patna	..	98
4138. न्यूजीलैंड द्वारा दूध तथा प्रोटीन युक्त बिस्कुटों की सप्लाई का प्रस्ताव	Offer of Milk and Protein Biscuits by New Zeland	..	98—99
4139. आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र की शक्ति	Power of A. I. R. Trivandrum	..	99
4140. जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के ट्रैक्टर	G. D. R. Tractors	..	99—100

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4141. सहकारी विकास का अध्ययन	Study of Cooperative Development ..	100—102
4142. वनस्पति उद्योग के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की मांग	Demand for increase in Production of Vanaspati Industry ..	102
4143. जापान, पाकिस्तान, लंका, बर्मा, अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन की तुलना में भारतीय समाचार-पत्रों का परिचालन	Circulation of Indian newspapers as compared to Japan, Pakistan, Ceylon, Burma, USA, USSR and U.K. ..	102—103
4144. तमिल नाडु सरकार द्वारा तमिल माध्यम के स्नातकों को रोजगार में प्राथमिकता	Preference to Tamil Medium Graduates in employment by Tamil Nadu Government ..	104
4145. वनस्पति में रंग का मिश्रण	Colourisation of Vanaspati Ghee ..	104
4146. प्रेस परिषद् की राय बाध्य नहीं	Press Council opinion not binding ..	104—105
4147. डाक तथा तार निदेशालय के डी० ए० ए० सैक्शन में नियुक्तियां	Recruitment in DAA section of Pand T Directorate ..	105
4148. बम्बई में टेलीफोन कनेक्शन देने में देरी	Delay in Telephone connections in Bombay ..	105
4149. दिल्ली प्रशासन द्वारा समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों की सहकारी गतिविधियों के लिये अनुदान की मांग	Delhi Administration's demand for grant for Cooperative activities of weaker Sections of Society ..	106
4150. वर्ष 1971 में गैर लाइसेंस शुदा रेडियो तथा टेलीविजन सेटों के नवीकरण के लिये दी गई राजक्षमा	Amnesty for Renewal of unlicensed Radio and Television sets during 1971 ..	106
4151. फोर्ड ट्रैक्टरों का आयात तथा वितरण	Import of Ford Tractors and their distribution ..	106—107
4152. गैर सरकारी एजेंसी द्वारा पोलैंड के ट्रैक्टरों की बिक्री	Sale of Polish Tractors through private Agency ..	107
4153. कृषि योग्य परती भूमि का निर्धन जुलाहों में वितरण	Distribution of cultivable waste land to poor Handloom weavers ..	107—108
4154. नागपुर में चिड़ियाघर की स्थापना	Setting up of a Zoo at Nagpur ..	108
4155. फल और सब्जियों का खराब होना	Wastage of fruits and Vegetables ..	108—109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
4156. टीक की लकड़ी का उत्पादन और उसका मूल्य	Production of Teak wood and its price ..	109—110
4157. त्रिपुरा के भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन	Amendment of Land Reforms Act of Tripura ..	110
4158. त्रिपुरा की भूमिहीन जनजातियों को भूमि देने की योजना	Scheme for providing land to landless tribals of Tripura ..	110—111
4159. आशुलिपि संस्थान का खोला जाना	Opening of Stenography Institute ..	111
4160. दिल्ली के व्यापारियों और व्यापारिक फर्मों की ओर टेलीफोन की बकाया धन राशि	Telephone dues outstanding from Traders and Commercial Firms of Delhi ..	111—112
4161. भूमि अर्जन पुनर्विलोकन समिति के प्रतिवेदन पर राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के विचार	Views of States and Union Territories on report of Land Acquisition Review Committee ..	112
4162. फिल्म उद्योग में कार्य की स्थिति	Working conditions in Film Industry ..	112—113
4163. कृषि संस्थानों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सौंपा जाना और उसका संस्थानों के कर्मचारियों पर प्रभाव	Transfer of Agricultural Institutes to Indian Council of Agricultural Research and its effect on employees of Institutes ..	113—115
4164. चावल की नई किस्मों का विकास	New varieties of rice developed ..	115—116
4165. केरल के परियोजना क्षेत्रों के डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project allowances to P & T employees of project areas in Kerala ..	116
4166. उत्पादन के साथ बोनस का जोड़ा जाना	Linking of Bonus with Production ..	117
4168. श्रीनगर में हुआ वार्षिक कृषि सम्मेलन	Annual Agricultural Conference held at Srinagar ..	117
4169. डालमियापुरम के डाकघर का नाम बदल कर कालाकुडी रखना	Change in the name of Post Office at Dalmiapuram into Kallakudi ..	117—118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4170. तमिलनाडु में तिरुवारूर में बीज तैयार करने का कारखाना स्थापित करने पर हुए खर्च की फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा प्रतिपूर्ति	Reimbursement of expenditure by Ford Foundation of Establishing a Seed Processing Unit at Tiruvarur, Tamil Nadu ..	118
4171. कृषि आयोग की बैठक	Meeting of Agriculture Commission ..	118—119
4172. विजय नगर, दिल्ली में पट्टे पर दी गई भूमि	Land leased in Vijay Nagar, Delhi ..	119
4173. देवली केम्प में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की मृत्यु	Death of East Pak. Refugees in Deoli Camp..	120
नियम 353 के अंतर्गत प्रक्रिया के बारे में	Re: Procedure under Rule 353 ..	120
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
दैनिक समाचार पत्र 'बसुमति' तथा उससे सम्बद्ध प्रकाशनों को बन्द कर दिया जाना	Reported closure of the daily 'Basumati' and its allied publications ..	120—129
श्री इन्द्र जीत गुप्ता	Shri Indrajit Gupta ..	120—121
श्री भागवत झा अजाद	Shri Bhagwat Jha Azad ..	121—122
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	129—130
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	130
राज्य सभा द्वारा पारित कृषि पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक	Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill as Passed by Rajya Sabha ..	130
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति—	Joint Committee on Offices of Profit—	
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report ..	131
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1968-69 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1970-71	Demands for Excess Grants (Railways) 1968-69 and Demands for Supplementary Grants (Railways), 1970-71 ..	131—140
श्री नंदा	Shri Nanda ..	131—132
विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक पुरस्थापित तथा पारित किया गया	Appropriation (Railways) No. 4 Bill—Introduced and Passed ..	140—141
विचार करने के लिये प्रस्ताव	Motion to Consider ..	141
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 ..	141
परित करने के लिये प्रस्ताव	Motion to Pass ..	141

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विनियोग (रेलवे) संख्या 5 विधेयक पुरस्थापित तथा पारित किया जाना	Appropriation (Railways) No. 5 Bill—Introduced and Passed	142—143
विचार करने के लिए प्रस्ताव	Motion to Consider	142
खंड 2,3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	142
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	143
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक	Indian Medicine Central Council Bill	143
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	144
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	143—144
खंड 2 से 36 और 1	Clauses 2 to 36 and 1	144—150
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	151
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	151
श्री मु० अ० खां	Shri M. A. Khan	151
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	151
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	151—152
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	152
श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel	152
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	152
श्री अब्दुल गनी डार	Shri Abdul Ghani Dar	152
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	152—153
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	153
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	153
श्री एम० मुहम्मद इसमाइल	Shri M. Muhammad Ismail	153
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	153
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	153
श्री कमलनाथन्	Shri Kamalnathan	153
श्री शिव शर्मा	Shri Shiv Sharma	153—154
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	154
पश्चिम बंगाल (हिंसक क्रियाकलाप निवारण) अधिनियम, 1970 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolutions Re: West Bengal (Prevention of Violent Activities) Act, 1970 and West Bengal Maintenance of Public Order Act, 1970	155—162
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	155—158

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	.. 158—161
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	.. 161—162
मद्य निषेध संबंधी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Report of the Study Team on Prohibition	.. 162—163
श्री कांबले	Shri Kamble	.. 162—163
डा० सुशीला नैयर	Dr. Sushila Nayar	.. 163

LOK SABHA
लोक-सभा

गुरुवार, 10 **दिसम्बर**, 1970/19 **अग्रहायण**, 1892 (**शक**)
Thursday, December 10, 1970/Agrahayana 19, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री क० लकप्पा : प्रश्नों पर चर्चा करने से पूर्ण मैं यह कहना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सभी उड़ाने रद्द कर दी गई हैं तथा सभी यात्री संकट में फंस गये हैं ·· (**व्यवधान**)

डा० राम सुभग सिंह : उड़ान को अन्तिम समय में रद्द किया गया था। मैं नहीं जानता कि क्या यह सरकार चल रही है या नहीं ··· (**व्यवधान**) कल हमें जाना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसी बातों को प्रश्न काल में उठाने की प्रथा न बनाइये।

दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तें

*631. **श्री म० ला० सोंधी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारियों में उनकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में विभिन्न मामलों पर भारी असंतोष है ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा क्या कल्याणकारी कदम उठाए गये ; और

(ग) चिड़ियाघर के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिये चिकित्सा, शिक्षा तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिये क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। सरकार को दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारियों में उनकी सेवा की शर्तों के विभिन्न मामलों से सम्बन्धित असंतोष के बारे में सरकार को कोई ज्ञान नहीं है।

(ख) गृह मंत्रालय के सहायक अनुदान से चिड़ियाघर में एक मनोरंजन क्लब पहले से ही चालू है। सदस्य कर्मचारियों के कल्याण को दृष्टि में रखते हुए आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक दातव्य निधि की व्यवस्था मौजूद है। इसके अतिरिक्त, चिड़ियाघर में ऐसे आवश्यक लान तथा पार्क बने हुए हैं जहां चिड़ियाघर के निवासी-कर्मचारी मनोरंजन तथा विश्राम कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वाटरों के आस-पास के क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगाई हुई है ताकि उनके बच्चे स्वतंत्र पूर्वक खेल सकें।

(ग) नगरपालिका की हद में रहने वाले चिड़ियाघर के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना लागू है। कर्मचारियों और उनके परिवारों को डिस्पेंसरियों और अस्पतालों में अंतरंग या वहिरंग रोगियों के रूप में सभी प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हैं। भारत सरकार ने दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारियों को शिक्षा शुल्क की वापसी और बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ते आदि की विभिन्न सुविधाओं की स्वीकृत दी हुई है। गृह मंत्रालय का कल्याण निदेशालय समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

श्री म० ला० सोंधी : दिल्ली चिड़ियाघर के पशुओं के साथ सरकार का सुप्रसिद्ध मानसिक सम्बन्ध है। मैं पशुओं के प्रति उनके व्यवहार की शिकायत नहीं कर रहा हूं, अपितु मेरी शिकायत उन लोगों के प्रति सरकार के व्यवहार के बारे में है जिनके प्रति मंत्री महोदय का रवैया उतना ही नम्र तथा दयावान है जितना कि नरभक्षी शेर का होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है, क्या उनको वर्दी कभी नहीं दी जाती है तथा इस वर्ष भी यद्यपि आज 10 दिसम्बर है, उन्हें अभी तक गरम वर्दी नहीं दी गई है, क्या उनको वर्ष में तीन दिन छोड़कर कोई त्यौहार छुट्टी अथवा छुटि्टयां नहीं दी जाती हैं, क्या कर्मचारी झाड़-फूस की झोपड़ियों में रहते हैं तथा क्या पक्के मकानों की पहली मंजिल में रहने वाले कर्मचारियों को बिना पानी रहना पड़ता है तथा क्या चिड़ियाघर के कैंटीन द्वारा कर्मचारियों से भोजन तथा पेय आदि के लिए अधिक शुल्क लिया जाता है। यदि यह सब सच है तो क्या मन्त्री महोदय मेरे से सहमत होंगे कि अब दिल्ली चिड़ियाघर के समूचे प्रबन्ध व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है?

श्री स० चु० जमीर : मैं स्वयं कल चिड़ियाघर गया था तथा वहां के यूनियन से पूछताछ की कि क्या उन्हें सरकार के विरुद्ध कोई शिकायत है, उन्होंने कहा कि उन्हें चिड़ियाघर के अधिकारियों से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। वे तो चिड़ियाघर के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ थे कि उन्होंने झुगियों तक को पानी की सप्लाई की व्यवस्था की है।

जहां तक वर्दियों की बात है, इसकी सप्लाई में इसलिए विलम्ब हो गया है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से कपड़ा अभी तक नहीं आया है, जैसे ही हमें कपड़ा मिल जायगा हम दर्जियों को आर्डर दे देंगे और यथाशीघ्र वर्दियां दी जाएंगी।

छुट्टियों के बारे में मेरा यह कहना है कि केवल तीन राष्ट्रीय छुट्टियों यथा 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्तूबर को छोड़कर कोई अन्य छुट्टियां नहीं दी जाती हैं क्योंकि चिड़ियाघर उद्योग नहीं है, इस मामले पर उन्होंने राजपत्रित छुट्टियों के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण को एक आवेदनपत्र दिया है। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने यह कहा है कि चिड़ियाघर उद्योग नहीं है अतएव वे अन्य छुट्टियों को पाने के अधिकारी नहीं है।

जहां तक आवास का सम्बन्ध है, मैंने स्वयं सभी इमारतें तथा क्वार्टरों की जांच की है, वहां अच्छे पानी के सप्लाई का प्रबन्ध है, अतएव माननीय सदस्य द्वारा की गई शिकायत सच नहीं है।

श्री म० ला० सोंधी : मन्त्री महोदय अपने उत्तर में आपको तथा सभा को वही शान्तिकारा दे रहे हैं जोकि सम्भवतः गैंग को दिया गया था जिसने कि अगले दिन दिल्ली चिड़ियाघर से मुक्त होने के लिये प्रयत्न किया था।

क्या मैं जान सकता हूं कि स्थायी तथा दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के प्रति ऐसा द्वेषपूर्ण भेद क्यों रखा गया है कि दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को कार्य अवधि में होने वाली दुर्घटनाओं में चिकित्सा सम्बन्धी कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तथा उन्हें नियुक्ति के समय इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं कि चिड़ियाघर के प्रबन्धक सभी दायित्वों से मुक्त हैं ?

क्या नियमित कर्मचारियों के मामले में दुर्घटना होने की स्थिति में अस्पताल में भरती तथा बहिरंग इलाज के लिए उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाना पड़ता है जोकि बहुत दूर है और उन्हें परिवहन का कोई व्यय भी नहीं दिया जाता है ? यदि यह सच है तो क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि इस हास्यापद स्थिति को शीघ्र ही समाप्त किया जायेगा तथा स्थायी और दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जायेगा और भविष्य में चिकित्सा कराने वाले कर्मचारियों को परिवहन कम दिया जायेगा ?

श्री स० चु० जमीर : चिड़ियाघर के कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं पाने के अधिकारी हैं। आपात अवस्था तथा गम्भीर बीमारियों में चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए हम अग्रिम धन भी देते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : उन दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों के बारे में आपको क्या कहना है जिनको घोषणापत्र में यह हस्ताक्षर करना पड़ता है कि यदि उनको शेर भी खा लेगा तो भी चिड़ियाघर के अधिकारी उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

श्री स० चु० जमीर : हम इसकी जांच करेंगे।

जहां तक क्षतिपूर्ति का संबंध है, मेरे पास उन कर्मचारियों को दी गई धनराशि की सूची है जो कि अपने दैनिक कार्य में घायल हुए हैं। यदि माननीय सदस्य इसको चाहते हैं तो मैं उनको इसकी एक प्रति दे दूंगा।

श्री म० ला० सोंधी : स्थायी तथा दैनिक कर्मचारियों में द्वेषपूर्ण भेदभाव बरतने के बारे में क्या कहना है ? क्या आप इसको समाप्त करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जहां तक दैनिक मजूरी पाने वाले तथा नियमित कर्मचारियों के बीच भेदभाव का संबंध है, मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्या यह सच है कि दिल्ली में पशु-चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के अभाव में चिड़ियाघर के अधिकारियों को, जिसमें निदेशक से लेकर निम्न पद के कर्मचारी होते हैं, दिन में 24 घन्टे पशुओं की देखभाल करने के लिये कहा जाता है और जब पशु बीमार होते हैं तो उन्हें आधी रात को पशुओं को देखना पड़ता है और यदि हां, तो क्या सरकार के पास कोई योजना है अथवा क्या उन्होंने उन्हें कोई विशेष वेतन तथा भत्ता देने पर विचार किया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि उन कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था की गई है जिनके पास क्वार्टर नहीं हैं ?

श्री स० चु० जमीर : जहां तक क्वाटरों का संबंध है, हम इस पर विचार करेंगे। पशुओं की चिकित्सा के बारे में मेरा यह कहना है कि हमारे पास एक पशु रोग चिकित्सक है जो कि चिड़ियाघर के अहाते में ही नियुक्त है तथा वह पशुओं की देखभाल बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं।

श्री क० प्र० सिंह देव : वहां पशु रोग चिकित्सक के होने के बावजूद भी चिड़ियाघर के कर्मचारियों को पशुओं की देखभाल के लिये जाना पड़ता है। पशु-रोग चिकित्सक वहां तब तक नहीं जा सकता है तथा पशुओं का इलाज नहीं कर सकता है जब तक कि पशुओं को खाना देने वाला व्यक्ति वहां उपस्थित न हो, उन्हें 24 घन्टे पशुओं की देखभाल करनी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय : यह असंतोष कर्मचारियों में है, न कि पशुओं में है।

श्री एस० के० सम्बन्धन : मंत्री महोदय ने कहा है कि कर्मचारियों को केवल तीन राष्ट्रीय छुटियां दी जाती हैं, क्या सरकार और अधिक कर्मचारियों की व्यवस्था करके उन्हें अधिक छुट्टियां नहीं दे सकती है ?

श्री स० चु० जमीर : इस समय कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है।

'प्रताप' और 'वीर अर्जुन' में सरकारी विज्ञापन

*632. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों 'प्रताप' और 'वीर अर्जुन' में विज्ञापन देना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विज्ञापनों को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे लेखों के कारण जिनसे साम्प्रदायिक दुर्भावना पैदा हो सकती है।

Shri Balraj Madhok : May I know whether it is a fact that both "Pratap" and "Vir Arjun" are old papers of this Country which had record of good contribution towards Indepen-

dence struggle of India and whether it is also a fact that the immortal martyr Swami Shradhanand was the founder of "Vir Arjun" and whether it is also a fact that after independence both the newspapers have had good attitude towards the public, that "Vir Arjun" was never convicted and "Pratap" was convicted once and that too was struck down by High Court ? May I know whether these newspapers are not given advertisements because of their non conformity with the views of the Government and whether it is a fact that Urdu newspaper "Pratap" has the largest circulation and the "Yir Arjun" has also a considerable circulation ? Under these circumstances what are the specific reasons for not giving advertisement to them ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को प्रश्न सीधे रूप में पूछना चाहिए ।

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे मित्र द्वारा सभी प्रस्तुतीकरण का उत्तर देना मेरे लिये बहुत कठिन है ।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश में समाचार-पत्रों का सम्पर्क काफी सीमा तक स्वतंत्रता संग्राम से रहा है तथा साधारणतः उन्होंने उसमें भाग लिया था । कभी-कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है जब वे सांप्रदायिक संबंधों के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब हमें बड़ी अनिच्छा से उन्हें विज्ञापन देना बन्द करना पड़ता है । सरकार को ऐसा करते समय काफी दुविधा का सामना करना पड़ता है । ऐसा करने के बाद भी हम निरन्तर उनके लेखों की समीक्षा करते हैं तथा जब उनमें उल्लेखनीय परिवर्तन देखते हैं तो हम उनका नाम विज्ञापन सूची में लाना चाहते हैं ।

Shri Balraj Madhok : May I know whether it is a fact that Press Commission has observed in Para 860 of its report that :

"Government would be justified in with-holding advertisements from papers, which 'Habitually' indulge in Journalism which is obscene, scurrilous, which includes elements of coarseness, abusiveness, vulgarity—gives incitement to violence or endangers the security of the State."

So no such "habitual" charge on "Pratap" and "Vir Arjun" is there. For the last fifteen years no such charge was levelled and neither was any case filed against them. Inspite of the recommendations of the Press Commission on what basis you say that these news-papers indulge in communal propaganda whereas no action is taken on those papers who actually indulge in communal propaganda and whose copies are here ? May I know whether it is not a case of only political victimization and discrimination and whether you will remove it ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर आप बहस न करें अपितु केवल अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री इ० कु० गुजराल : जैसाकि मैंने राज्य सभा में कहा है कि हमने ऐसे 34 समाचार-पत्रों की सूची बनाई है जिनको हम विज्ञापन नहीं देते हैं अथवा केवल सीमित संख्या में देते हैं । "प्रताप" के मामले में भी इसके दिल्ली संस्करण को इस समय विज्ञापन नहीं दिया जाता है परन्तु उनके जालन्धर संस्करण को सीमित संख्या में विज्ञापन दिया जाता है, मैं आपसे एक मुख्य बात कहना चाहता हूं कि आप कृपया मुझे इसका ब्यौरा न देने को कहें क्योंकि यह हर्ष का विषय न होगा । मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि ज्योंही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सांप्रदायिक विषयों पर उनके लेखों में सुधार हुआ है तो उनके विज्ञापन सूची में शामिल किया जायेगा ।

मैं अपने मित्र को कहना चाहूंगा कि सम्भवतः उनके ध्यान में ऐसे समाचार-पत्र होंगे जो कि साम्प्रदायिक लेख लिख रहे हैं । मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि यदि वे मेरे ध्यान

में ऐसे समाचारपत्र लाएंगे तो उनके सुझाव पर सावधानी से विचार किया जाएगा और 34 की सूची में वे उस समाचारपत्र का नाम देखेंगे जिनका उन्होंने उल्लेख किया है ।

जहां तक राजनीतिक वैमनस्य अथवा राजनीतिक भेदभाव का संबंध है, मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं ऐसा कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है क्योंकि वे सभी समाचारपत्र, जो बड़ी संख्या में पढ़े जाते हैं और जो सरकार की नीति से सहमत नहीं है, बड़ी संख्या में विज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार के विचार में ऐसी कोई आकस्मिक घटना होने वाली है जिससे सरकार को किसी भी समाचार-पत्र को विज्ञापन देना बन्द करने के औचित्य तथा अनौचित्य पर विचार करना पड़ सकता है ? मैं जान सकता हूं कि उस आकस्मिक घटना पर क्या सरकार उस मामले को प्रेस परिषद को सौंपने तथा विज्ञापनों को बन्द करने के बारे में उसे परिषद की सिफारिशों को बाध्यकारी घोषित करने पर विचार करेगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं एक बात कहना चाहूंगा, जोकि मैंने सम्भवतः इस सभा में पहले भी कहा था, कि विज्ञापन लेना कोई अधिकार नहीं है और न ही यह मौलिक अधिकार है । सरकार तथा उसके विभाग कतिपय कार्यों के लिये विज्ञापन देती है ।

श्री लीबो प्रभु : ईमानदारी बरतना औचित्य अधिकार है ।

श्री इ० कु० गुजराल : राष्ट्रीय हित में ईमानदारी बरतनी चाहिये न कि लोबो प्रभु के मामले में बरतनी चाहिए ।

यदि कोई समाचार पत्र साम्प्रदायिक लेख लिखता है तो यह न्यायोचित है कि उसको विज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिये ।

जहां तक प्रेस परिषद से परामर्श का संबंध है, विभिन्न व्यक्ति समय-समय पर उनके मामलों को लाते हैं और प्रेस परिषद के निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाता है परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार अपने दायित्व से अलग नहीं हो सकती है। तब समाचारपत्र साम्प्रदायिक अथवा अश्लील लेख लिखते हैं तो हम उन्हें विज्ञापन नहीं दे सकते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस उत्तर से यह निष्कर्ष निकलते हुए कि विज्ञापन लेना किसी भी समाचार-पत्र का अधिकार नहीं है और प्रेस परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूं कि कर दाता का धन प्रेस परिषद पर बराबर करने और समाचारपत्रों को विज्ञापन देने से क्या लाभ है जबकि सरकार समझती है कि इससे जनता को लाभ नहीं पहुंचेगा ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे माननीय मित्र, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, ने वह विभाग संभाला हुआ था जिसका विज्ञापन बजट बहुत बड़ा था । जिन नीतियों का मैं अब अनुसरण कर रहा हूं वे नीतियां वही हैं जिनका अनुसरण उन्होंने किया था । और मैं उनको यह बात कह सकता हूं कि जहां तक प्रेस परिषद का संबंध है, इसकी सिफारिशों पर हमने यथोचित ध्यान दिया है तथा हमने प्रेस परिषद की सिफारिशों को हमेशा माना है । प्रेस परिषद ने जब भी किसी समाचारपत्र को अश्लील अथवा साम्प्रदायिक लेख लिखते पाया है, हमने उनको

विज्ञापन देना बन्द कर दिया है। परन्तु सरकार यह कहकर अपने दायित्व को छोड़ देने की स्थिति में नहीं है कि प्रेस परिषद सभी विज्ञापन नीतियों पर निर्णय लेगी। प्रेस परिषद आधार रूप से समाचार पत्रों की आन्तरिक अनुशासनीय संगठन है। यहां केवल एक बात है कि संसद ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे ऐसा पद दिया है। अतएव सरकार अपने दायित्व से अलग नहीं हो सकती है और उससे यह नहीं पूछ सकती है कि किन-किन समाचारपत्रों को विज्ञापन दिया जाना चाहिये और किन को नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री रंगा : क्या हमें यह आश्वासन मिल सकता है कि सरकार इस नीति का अनुसरण करने में कोई पक्षपात नहीं करेगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : सरकार इस समय 1,659 समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन दे रही है। यह बात देश में 34 समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के बारे में उठी है जिनमें से पांच अश्लील लेख लिखते हुए पाए गए हैं। ऐसे केवल 29 समाचारपत्र और पत्रिकाएं हैं जिनको या तो विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया है अथवा सीमित संख्या में दिया जा रहा है। यदि मैं लगभग 1700 समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन दे रहा हूं तथा केवल 29 को ही विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है तो स्पष्ट ही पक्षपात करने का प्रश्न नहीं उठता है। मैंने पहले ही सूची को सभा पटल पर रख दिया है। माननीय सदस्य उसको देखकर यह जान जाएंगे कि उन समाचार पत्रों को भी स्वीकृति की सूची में रखा गया है जिनकी नीति सरकार का विरोध करने की है अथवा जो सरकार की कड़े रूप में आलोचना करते हैं और उन्हें विज्ञापन दिया जा रहा है।

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि सरकार वे सभी आश्वासन देने को तैयार है जिसकी चर्चा उन्होंने की है।

Shri Tulshidas Jadhav : The Hon. Minister has just stated that there are 34 newspapers which have consistently been writing in the name of the Christians and the Muslims, e. g. organiser which has been spreading racial discrimination, what steps are the Government taking to stop them from doing so ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं कहना चाहूंगा कि 34 की सूची में साम्प्रदायिकता के केवल एक रूप को नहीं सुलझाया गया है, दुर्भाग्यवश इस देश में समाज के सभी वर्गों में ऐसे समाचार पत्र हैं जो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को नहीं समझते हैं। अतएव जब हम उनको विज्ञापन देना बन्द कर देते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल एक वर्ग के साथ ऐसा किया गया है अपितु सभी वर्गों के साथ ऐसा किया गया है।

Shri Janeshwar Mishra : Firstly, May I know whether Government will set up any high-powered commission to enquire whether newspapers have been banned or stopped the advertisement support because Government did not like them ? Secondly, may I know whether advertisements would be stopped to the newspapers on the grounds only of communal writings but on other national issues also, such as treason etc. ?

श्री इ० कु० गुजराल : उदाहरण के लिये मैं यह कह सकता हूं, मैं इस सूची को सरसरी तौर पर पढ़ रहा हूं। एक समाचार-पत्र को साम्प्रदायिक तथा राष्ट्रविरोधी होने के आधार पर विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : आप उस समाचार-पत्र का नाम लें।

श्री इ० कु० गुजराल : पांच समाचार-पत्रों को विज्ञापन अशिष्ट तथा चौंकाने वाले लेखों के कारण नहीं दिया जा रहा है। अतएव 24 समाचार पत्रों में से, जिनको इस समय विज्ञापन बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। 5 समाचार पत्र ऐसे हैं जोकि अशिष्ट और चौंकाने वाले लेख लिखते हैं। 19 समाचार पत्र ऐसे हैं जिनको सांप्रदायिक लेख लिखने तथा कुछ मामलों में राष्ट्र विरोधी लेख लिखने के कारण विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया है। मैंने सूची सभा-पटल पर पहले ही रख दी है और यदि सभा चाहती है तो मुझे इसे सभा-पटल पर पुनः रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

नये किस्म के खाद्यान्नों तथा शाक-सब्जियों का विकास

*633. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किये गये अनुसंधान के पश्चात् किन-किन नई किस्मों के गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों और शाक-सब्जियों का विकास हुआ ;

(ख) उक्त किस्मों का किसान किस सीमा तक प्रयोग कर रहे हैं और इन किस्मों के प्रयोग से उन्हें कितना लाभ होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या उक्त किस्मों को छोटे किसानों को रियायती दर पर सप्लाई करने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(घ) आगामी दो वर्षों में कितनी नई किस्में उपयोग में आने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) राज्यों के कृषि अनुसंधान विभागों/कृषि विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय संस्थानों द्वारा विकसित गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों की नई किस्मों के नाम तथा गत तीन वर्षों की अवधि में तत्कालीन केन्द्रीय किस्म निर्मुक्ति समिति तथा केन्द्रीय बीज निर्मुक्ति उप समिति द्वारा कृषि के लिये निर्मुक्त बीजों के नाम संलग्न अनुबन्ध में दे दिये गये हैं। इस विवरण में आलू तथा अन्य सब्जियों की किस्में / केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित संकर किस्में भी सम्मिलित हैं। राज्य सरकारें उन्हीं किस्मों को निर्मुक्त करती हैं जो कि उस प्रदेश विशेष की परिस्थितियों के अनुकूल हों तथा वहां प्रयोग किये जाने योग्य हों। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1969-70 के दौरान गेहूं की अधिक उपज देने वाली नई किस्मों तथा अन्य खाद्यान्नों के अन्तर्गत आवरित क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :—

गेहूं	61	लाख हेक्टार
चावल	43.7	,, ,,
मक्का	3.9	,, ,,
ज्वार	5.7	,, ,,
बाजरा	11.5	,, ,,

नई सब्जियों तथा आलू की किस्मों के अन्तर्गत आवरित क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नहीं। परन्तु छोटे कृषकों को ऋण उपलब्ध करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया किया जा रहा है ताकि वे बीज, उर्वरक आदि खरीदने की स्थिति में हों।

(घ) अगले दो वर्षों में उपयोग में लाने के लिए कितनी नई किस्में आयेंगी इसका अनुमान लगाना कठिन है, यद्यपि शस्य विज्ञान की दृष्टि से विभिन्न किस्मों की "जीनों" की श्रेष्ठता के परीक्षण कार्य विभिन्न चरणों में हैं।

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बीज निर्मुक्ति उप-समिति तथा तत्कालीन केन्द्रीय किस्म निर्मुक्ति समिति द्वारा खेती के लिये निर्मुक्त किए गए गेहूं तथा खाद्यान्नों की किस्मों की सूची :—

गेहूं	—शरबती सोनोरा	चावल	जया
	कल्याणसोना		पद्मा
	सफेदलेरमा		जगन्नाथ
	छोटीलेरमा		पंकज
	सोनिलिका		साबरमती
	हीरा		जमुना
	लालबहादुर		आइ० आर०—20
			बाला
जौ	—एन० पी० 109		रत्ना
	ज्योति		विजय
	आर० एस० 6		कृष्णा
			सी० ओ०—34
मक्का	—अम्बर		कावेरी
	विजय		सूमा
	सोना		कुसुम
	जवाहर		अन्नपूर्णा
	इशान		हम्सा
	विक्रम		करुणा
	गंगा—5		
		बाजरा	संकर—2
ज्वार	—स्वर्ण		संकर—3
	सी० एच० एच०-3		संकर—4
		दालें	बैसाखी-मूंग
रागी	—सरदा		सी० ओ०-1 (फलियां)
			ए० डी० टी०—1

ii. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा खेती हेतु निर्मुक्त सब्जियों की किस्मों की सूची :

टमाटर —एस० एल०-120
लाल मेरुति

बंदगोभी —पूसा ड्रमहेड

मूली —पूसा देशी
पूसा रेशमी
हिमानी

(फ्रैंच बीन) —कन्टैन्डर

(फ्रांसीसी सेम) —पूसा पार्वती

मटर —पूसा एरकेल
मेटोर

प्याज —रतनार

तरबूज —सुगरबेबी
पूसा वेदना

खरबूजा —पूसा शर्बती

करेला —पूसा दो मौसमी

शलगम —{ पूसन स्वेती, पूसा चन्द्रिमा, पूसा ज्योति }

पालक —पूसा ज्योति

बैंगन —पूसा क्रान्ति
पूसा अनमोल (संकर)

लौकी पूसा मेघदूत
पूसा मंजरी

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा निर्मुक्त की गई आलू की किस्में

1. कुफरी सिन्दूरी
2. कुफरी चन्द्रमुखी
3. कुफरी खासीगारों
4. कुफरी नवीन
5. कुफरी चमत्कार
6. कुफरी नीलमणि
7. कुफरी शीतमान
8. कुफरी अलंकार
9. कुफरी जीवन

Shri Kanwarlal Gupta : Mr. Speaker, the Minister has given negative reply to part (c) of my question. In this context I want to say that the benefit of new varieties is being reaped by only big farmers, who constitute 10 per cent of the total peasant population of the country, while 90 per cent small farmers have not had even a glimpse of the green revolution. The assistance being given to them does not as a matter of fact reach them. Unless a scheme favourable to small farmers is chalked out, your green revolution can not bring about socialism. Why do the Government not frame any scheme for small farmers, who cannot afford to purchase the improved varieties of seeds at the prohibitive rates of Rs. 200 to Rs. 300 per kilogram to enable them to purchase these seeds at subsidised rates ? I would also like to know the amount of loan given to small farmers from the nationalised banks. Is it a fact that the percentage of total loan to farmers has been increased from 3 to 4 after nationalisation of banks.

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagannath Pahadia) : From time to time it has been stated in this House and outside that all the schemes that are being chalked out now are for the benefit of

small farmers. The Central Research Institute, Agricultural Research Departments of various States and Agricultural Universities are making research to develop new varieties of seeds so that these latest varities may be made available to small farmers. As regards the total amount of loan given to farmers from the nationalised banks. I can give this information if notice of another question is given.

Shri Kanwarlal Gupta : Sir, my questions regarding the details of schemes for small farmers and the increase in total amount of loan to farmers have not been replied to.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विस्तार सेवा के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न तो बीजों के बारे में है। किसान को बीजों की सप्लाई का प्रश्न भी संगत है। किन्तु अब वह उन योजनाओं के बारे में पूछना चाहते हैं जो सरकार ने किसानों की सहायता के लिए बनाई है। यह प्रश्न के विषय से परे की बात है।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु भाग (ख) में योजनाओं के बारे में पूछा गया है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि छोटे किसानों का सरकार रियायती दर पर बीज नहीं दे रही है। हां, उन्हें ऋण अवश्य दिये जा रहे हैं, जिससे वे बीज ख़रीद सकें।

Shri Kanwar Lal Gupta : What is about the increase in credit facilities to farmers after bank nationalisation.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मूल उत्तर में बताया गया है कि बीज उर्वरक आदि खरीदने के लिए छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether the Hon. Minister is aware that the benefit of newly developed varieties of seeds has not percolated to the small farmers and if so, the steps being taken by Government to make these newly developed seeds of food grains and vegetables available to the farmers, so that there is increase in yield per acre ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह स्वीकार करता हूं कि कृषि सम्बन्धी विकास की योजनाओं, विशेषरूप से नये बीजों का उचित लाभ छोटे किसानों का नहीं प्राप्त हुआ है। अतः सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिनसे अधिक से अधिक किसानों को लाभ हो। किन्तु देश के सभी भागों में ऐसी प्रगति नहीं हो पा रही है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश कृषि संस्थान ने हाल ही में एक अध्ययन किया था जिससे यह पता चला था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत छोटे किसान नये बीजों और उर्वरकों से लाभ उठा रहे हैं। कुछ कठिनाइयां इस मार्ग में अवश्य हैं जिन्हें दूर करने के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही हैं।

Shri Randir Singh : A number of Central and State research institutes and agricultural universities are working for developing the new varieties of seeds of wheat, rice and other commodities, but there is no coordination among them. Has any scheme been chalked out for coordinating their work ? Secondly, may I know whether Government is prepared to give more funds to those research centres, which have inadequate financial resources ?

Shri Jagannath Pahadia : For this purpose we have introduced All India Coordinated Improved Crops Projects and in some projects coordinators have been appointed. Through them we want to ensure the use of new varieties of seeds by the farmers.

Shri Maharaj Singh Bharati : In the statement made by the Minister the Hira and the Lal Bahadur varieties of wheat have been referred to. But in this very sesssion in answer to

my question the Hon. Minister had stated that the Lal Bahadur variety of seed was not released by Government as it proved to be a failure. May I know the correct answer of these?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने उस प्रश्न का उत्तर गत वर्ष के सन्दर्भ में दिया था। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने लाल बहादुर किस्म का रिलीज किया था। उस समय इस बीज को केन्द्रीय बीज निर्मुक्ति समिति ने निर्मुक्त नहीं किया था। बाद में उपयुक्त समिति ने लाल बहादुर तथा हीरा बीज को निर्मुक्त करने का निर्णय किया था।

Shri Yashwant Singh Kushwah : The small farmers are not in a position to purchase the new varieties on the eve of the sowing season. In view of this will the Government advise the State Governments to advance loans to the farmers in kind instead of in cash ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने ऐसी सलाह राज्य सरकारों को पहले ही दे दी है।

Shri Yashpal Singh : Cattle and people have been dying by thousands after eating the poisonous hybrid maize and hybrid Bajara. May I know whether only such types of seeds are being developed or some better qualities are being developed.

Mr. Speaker : At least you should have waited till I call you.

Shri Jagannath Pahadia : Government have received no such information. If any particular case is brought to our notice, an inquiry will be held into that.

Shri Bhola Nath Master : May I know the names of such varieties as will be suitable for non-irrigated areas ?

Shri Jagannath Pahadia : Research is being made for developing such varieties. Some of such varieties have been released and some are at the testing stage.

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि बम्बई स्थित परमाणु शक्ति आयोग की प्रयोगशाला में खाद्यान्न की एक नई किस्म तैयार की गई है और क्या सरकार इस किस्म को निर्मुक्त करने जा रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य पूसा इंस्टीट्यूट में आकर देख सकते हैं कि परमाणु विकिरण प्रक्रिया द्वारा ही बीजों में आनुवंशिक परिवर्तन लाकर नये बीज तैयार किये जाते हैं। जहां तक बम्बई स्थित परमाणु शक्ति की प्रयोगशाला में किये अनुसंधान का सम्बन्ध है, हम उससे सम्पर्क बनाये हुए हैं।

चौथी योजना में नारियल के लिये अखिल भारतीय समन्वय अनुसन्धान परियोजना

*634. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना में नारियल के लिये एक अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ; और

(ग) इन अनुसंधान केन्द्रों के कर्तव्यों तथा कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक अखिल भारतीय समन्वित नारियल और सुपारी सुधार परियोजना मंजूर की गई है।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) परियोजना के अन्तर्गत गठन निम्न प्रकार है :—

मुख्य केन्द्र : कासरगोड (केरल)

1. कायांगुलम (केरल)

क्षेत्रीय केन्द्र 2. विट्टल (मैसूर)

उप केन्द्र : 1. विप्पनकुलम (तमिलनाडु)

2. रेजोल (आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय)

3. अन्दमान द्वीप समूह

4. रतनगिरि (महाराष्ट्र)

5. श्रीवर्धन (महाराष्ट्र)

6. पालोडे (केरल)

7. पीची (केरल)

8. हीरेहाली (मैसूर)

9. मोहित नगर (पश्चिम बंगाल)

10. काहीकुची (आसाम)

उपरोक्त केन्द्रों के अतिरिक्त राज्य सरकार निम्न केन्द्रों के लिये भी पूर्णरूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती है और ये केन्द्र भी परियोजना को सहयोग प्रदान कर रहे हैं :

1. नीलेश्वर (केरल)
2. अर्सिकेरी (मैसूर)
3. महुआ (गुजरात)
4. गुडियाथाम (तमिलनाडु)

(ग) इस परियोजना के कार्यक्रम का सम्बन्ध केवल क्षेत्रीय तथा अन्तरक्षत्रीय महत्व की मुख्य समस्याओं से है। पूर्णरूप से स्थानीय महत्व की समस्याओं से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य सम्बन्धित राज्य के कृषि विभागों/कृषि विश्वविद्यालयों के तत्वाबधान में होता रहेगा। तकनीकी कार्यक्रम की अनुसन्धान सम्बन्धी मदों में प्रजनन, शस्य-विज्ञान, मृदा-विज्ञान तथा रसायनविज्ञान क्वालिटी परीक्षण, पौध विकृति-विज्ञान तथा विरस विकृति-विज्ञान, पौध क्रिया-विज्ञान और इन फसलों का जीव-रसायन शामिल है। प्रत्येक मद का विस्तृत तकनीकी कार्यक्रम आयोजित होने वाली वर्कशाप के बैठकों में तैयार किया जायेगा।

श्री जी० वाई० कृष्णन : प्रत्येक केन्द्र को कितनी कितनी राशि के अनुदान दिये गये हैं ? दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि मैसूर राज्य अधिक नारियल का उत्पादन करने के लिए प्रयास कर रहा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मैसूर राज्य में एक और केन्द्र खोलेगी ?

खाद्य तथा कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : परियोजना के लिये 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारें भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही हैं। हम इस बात को अनुभव करते हैं कि मैसूर राज्य का नारियल का उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या यह सच है कि उनके बाग लगाने के दो वर्ष के भीतर ही कुछ किस्म के बीज फल देने लगे हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : कुछ अधिक उपज देने वाली शंकर किस्मों का विकास किया गया है जो 3 या 4 वर्ष में फल देने लगती है।

श्री ए० श्रीधरन : भारत का नारियल के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। इसके बावजूद भी हम नारियल का विदेशों से आयात कर रहे हैं। यदि नारियल की फसल को इस गति से रोग लगे जिस गति से अब लग रहा है तो मुझे भय है कि नारियल की खेती करना सम्भव नहीं होगा। **(अन्तर्बाधाएं)** मेरे निर्वाचन क्षेत्र में देश में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है और मैं भी नारियल का उत्पादक हूं। माननीय मंत्री ने केन्द्रों और अनुसंधान केन्द्रों की प्रभावशाली सूची दी है लेकिन हमारा यह अनुभव रहा है कि गत पांच वर्षों में जंगल की आग की तरह पत्तों में रोग लगने में वृद्धि हुई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नारियल उगाने वाली समस्त पट्टी नष्ट हो गई है। इस बारे में अनेक बार माननीय मंत्री तथा अनुसंधान केन्द्रों का ध्यान दिलाया गया लेकिन इस सम्बन्ध में अब तक कोई अनुसंधान नहीं किया गया। मुझे बताया गया है कि फोर्ड फाउन्डेशन भी···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल को भाषण-काल में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री ए० श्रीधरन : क्या किसी भी अनुसंधान केन्द्र में इस प्रश्न पर गम्भीरता से अनुसंधान किया गया है और क्या उन्होंने इस रोज के वास्तविक कारणों का पता लगाया है और यदि हां, तो उन क्षेत्रों में नारियल उत्पादकों को कीटनाशक दवाइयां छिड़कने के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं जिससे रोगों के और फैलने को रोका जा सके ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह सच है केरल में, जिसमें माननोय सदस्य का क्षेत्र भी शामिल है, नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। देश के दो तिहाई नारियल का उत्पादन केरल राज्य में होता है। माननोय सदस्य ने जिस रोग का उल्लेख किया है उससे लगभग 40,000 हैक्टर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वैज्ञानिक इस सम्बन्ध में प्रयास कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से इस बारे में बहुत सीमित सफलता प्राप्त हुई है, यद्यपि बीमारियों के कुछ कारणों का पता लगाया गया है। लेकिन अनुसंधान का काम और ये रोग बहुत पेचिदा हैं और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं कह सकूं कि हम इस सम्बन्ध में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उक्त रोग का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री ए० श्रीधरन : ऐसा गत पांच वर्षों से हो रहा है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह सच है। लेकिन पौधों के अनेक प्रकार के रोग होते हैं और उनका पता लगाने में कोई भी सफल नहीं हुआ है। लेकिन हम रोग के कुछ कारणों का पता लगाने में सफल हुए हैं और हमें आशा है कि हमारे वैज्ञानिक निकट भविष्य में रोग के सब कारणों का पता लगाने में सफल हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। श्री शिंकरे ; केवल नारियल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से हैं।

Shri Shinkre : From the statement which has been placed on the Table it appears that there will be only one Centre, two regional centres and ten sub-centres. None of the centres is going to be established in Goa.

As the Hon. Minister knows Goa is the bulk producer of coconut and arecanut at least one centre should be set up there. Taking into consideration the damage caused by the cerinopa nephantish disease there to coconut plants will Government decide to establish a centre there ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हम इन केन्द्रों की स्थापना राज्यवार नहीं करते लेकिन हम गोवा क्षेत्र के महत्व को समझते हैं। यदि हमने केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया तो हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री लोबो प्रभु : हममें से कुछ सदस्य नारियल का उत्पादन करते हैं और उनमें से एक मैं हूं। लेकिन हम सब नारियल खाने वाले या नारियल का तेल का प्रयोग करने वाले हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम गोले के आयात पर दो या तीन करोड़ रुपया खर्च करते हैं तो क्या नारियल के अनुसंधान और विकास पर 40 लाख रुपया व्यय करना पर्याप्त होगा। मेरे द्वारा दिये गये आंकड़ों में शुद्धि की जा सकती है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि नारियल के सम्बन्ध में क्या विशिष्ट अनुसंधान कार्य किये गये हैं। जहां तक हमें जानकारी है, नारियल का पेड़ वही रहता है चाहे वह दो वर्ष या तीन वर्ष के बाद उत्पादन करे। दूसरे, अन्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों में नारियल की खेती करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि खेतों की सीमाओं पर बिना दूसरे की भूमि पर अतिक्रमण किये नारियल की खेती आसानी से की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के क्षेत्र से बहुत बाहर जा रहे हैं।

श्री लोबो प्रभु : यह प्रश्न के क्षेत्र से बाहर नहीं है। माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : समन्वित परियोजना के लिये 40 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि केवल उक्त धनराशि को अनुसंधान के लिये स्वीकार किया गया है। राज्य क्षेत्र और समन्वित परियोजनाओं के अन्तर्गत भी इसकी व्यवस्था है।

जहां तक अन्य क्षेत्रों में इसकी खेती करने का प्रश्न है, हमारा विस्तार विभाग इसके क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में कार्यवाही कर रहा है और अन्य क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है।

श्री ए० सी० जार्ज : केरल में विमान द्वारा छिड़की गई कीट नाशक दवाई उक्त बीमारियों का उन्मूलन करने में बहुत प्रभावकारी रही है। क्या सरकार राज्य सरकार के सहयोग से इस बीमारी को दूर करने के लिये बड़े पैमाने पर विमान से कीट नाशक दवाइयां छिड़केगी ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के क्षेत्र के बारे में क्यों नहीं सोचते। यह अनुसंधान परियोजनाओं को समन्वित करने से सम्बन्धित है। यहां विमान से दवा छिड़कने का कोई प्रश्न नहीं।

श्री इ० के० नायनार : मुख्य केन्द्र कसारागोड में स्थापित किया गया है और वहां दो प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं। मेरा गांव केरल प्रादेशिक क्षेत्र से 35 मील दूर है। मैंने गतवर्ष प्रादेशिक केन्द्र को देखा था। प्रादेशिक क्षेत्र में भी नारियल के पेड़ों के पत्तों को कीड़ों ने खा लिया है। मालाबार के तटवर्तीय क्षेत्र में 40 प्रतिशत नारियल के पेड़ों की यह दशा है। दो वर्ष पूर्व नारियल उत्पादकों ने एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें सरकार से यह मांग की गई थी कि या तो अनुसंधान द्वारा या अन्य साधनों से निर्यात शुल्क में कमी करने के बारे में सरकार सहायता दे। लेकिन अभी तक न तो निर्यात शुल्क में कमी की गई है और ना ही अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों में विकास हुआ है। क्या सरकार केरल के तटवर्ती क्षेत्र के नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी क्योंकि उनकी आय प्रतिवर्ष कम होती जा रही है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी या विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करेगी जो इस बात पर विचार करेगी कि उत्पादकों को कैसे राहत दी जा सकती है?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सरकार को इस समस्या की पूरी जानकारी है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि वैज्ञानिक रोग के कारणों का पता लगाने में लगभग सफल होते ही गये हैं। ऐसा सम्भव होते ही नियंत्रण सम्बन्धी उपाय किये जा सकते हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों के भी रोग मुक्त होने की सम्भावना है। पौधों से सम्बन्धित सामग्री काफी मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है जिससे ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े न रह जायें।

श्री ई० के० नायनार : नारियल उत्पादकों को दी जाने वाली राहत का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बात नोट कर ली है।

Shri Om Prakash Tyagi : I am a farmer by birth. I am interested in cultivation. I want to draw your attention to a particular thing. Only coconut is produced in Andaman and Nicobar islands. Most of the coconut crops are eaten away by pigs there. I want to know whether the Government have taken this thing into consideration and whether the Research Centres have given any report in this connection?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : उन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले नारियल की उत्पादन क्षमता के बारे में हमें कुछ जानकारी है। लेकिन इस सम्बन्ध में वास्तविक समस्या उसको बेचने तथा उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर की है।

श्री अब्राहम : वहां एक नारियल विकास परिषद् है लेकिन उसे अनुसंधान केन्द्रों आदि के कार्य को देखने का अधिकार नहीं है। समिति के सदस्यों ने एक सुझाव दिया है कि नारियल विकास परिषद् के स्थान पर नारियल बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये। क्या सरकार उस सुझाव पर विचार कर रही है?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : नारियल विकास परिषद् की अभी हाल ही में स्थापना की गई थी और मेरे लिये ऐसा निर्णय करना उचित नहीं होगा कि उक्त परिषद् को समाप्त कर नये बोर्ड की स्थापना की जाये। परिषद् सरकार को सलाह देकर इस सम्बन्ध में प्रशंसनीय कार्यवाही कर रही है।

श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर एक समान नीति

+
*635. **श्री मयावन :**
श्री दण्डपाणि :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्री ने श्रमिक कानूनों तथा उद्योग में बढ़ती हुई श्रमिक समस्याओं के बारे में समान नीति की आवश्यकता पर बल दिया था; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर, जो इस प्रकार की नीति का आधार है, पहले ही त्रिपक्षीय स्थायी श्रम समिति में विचार-विमर्श किया जा चुका है। समिति के निष्कर्षों के प्रकाश में कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है।

श्री मयावन : क्या विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिये विभिन्न श्रमिक कानून हैं। अधिक मजूरी पाने वाले और कम मजूरी पाने वाले मजदूरों के कानूनों में असमानता होने के कारण उद्योगों में असंतोष है। यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या को कैसे हल करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : जैसा कि सभा को विदित है यह समवर्ती सूची में है। कुछ कानून केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में आते हैं और कुछ कानून राज्य सरकारों के अपने होते हैं। यद्यपि हम राष्ट्रीय श्रमिक आयोग की सिफारिश के अनुसार कानूनों को समान बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उद्योग और कार्य के अनुसार विभिन्न राज्यों के श्रमिक कानूनों में कुछ अन्तर होना अवश्यम्भावी है। जहां तक मजूरी का सम्बन्ध है कृषि तथा उद्योग में कुछ अन्तर है। हमारा उसको यथासम्भव युक्ति युक्त करने का प्रयास रहता है।

Shri Ramavtar Shastri : This question relates to bringing about uniformity in labour laws. Lakhs of people are working in Bidi industries in our country and there is difference of one to four rupees in their wages. May I know whether taking into consideration the economic situation of the country, Government intends to enforce uniform labour laws throughout the country. If not, the reasons thereof ?

Mr. Speaker : The question of bidi workers does not arise out of the main question.

Shri Ramavatar Shastri : They are also labourers and when the question of labour laws arises, they are also concerned.

Mr. Speaker : It is a general question and he has already replied.

खाद्य विभाग द्वारा मध्यस्थता के मामलों पर व्यय

*636. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य विभाग द्वारा खाद्य की वसूली तथा वितरण के कार्य को भारतीय खाद्य निगम को सौंपने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों और अधिकारियों पर भारी व्यय किया जा रहा है क्योंकि बहुत से मध्यस्थता के मामले अभी भी इस भय के कारण चल रहे हैं कि उनका शीघ्र निपटारा हो जाने से कुछ अधिकारियों के पद समाप्त हो जायेंगे ;

(ख) क्या मध्यस्थता के कई मामलों में जिनमें खाद्य विभाग दावेदार है, विलम्ब होने के कारण सरकार को अकारण ही हानि हो रही है ; और

(ग) क्या ऐसे व्यय तथा हानि को रोकने के लिये सरकार का कोई उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसे विवाचन के मामलों के निपटाने में कोई अनुचित विलंब का मामला ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं जानना चाहती हूं कि मध्यस्थता के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं और कितने वर्षों से । ठेके कब समाप्त हो गये थे और मध्यस्थता के लिये मुकदमें कब दायर किये गये । ठेकों की पूर्ति और मुकदमें दायर करने में कितना अंतर है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : 52 मामले अनिर्णीत हैं ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इनमें से कुछ मामले कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं । कई कानूनी पहलू तथा प्रश्न हैं कि जिनपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है । कुछ मामले न्यायालयों में ले जाये जा सकते हैं । फिर, मध्यस्थता का भी कुछ स्वविवेक होता है । भले ही नाम विवाचक है परन्तु हम ऐसे मामलों में मनचाहे ढ़ंग से कार्य नहीं कर सकते ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मुझे एक मामले की जानकारी है जिसमें ठेका 1962-66 में समाप्त हुआ परन्तु मामला मध्यस्थता के लिये 1970 में दायर किया गया । बम्बई में एक दूसरे मामले का कार्य 1962-63 में पूरा हुआ परन्तु उसे 1969 में मध्यस्थता के लिये दायर किया गया । दिल्ली के एक मामले का ठेका 1965 में पूरा हुआ परन्तु उसे मध्यस्थता के लिए 1970 में भेजा गया था । करार के अनुसार सभी विवादों को मध्यस्थता के लिये शीघ्र ही भेजा जाना चाहिए । यदि उन पर इतना अधिक समय लगता है तो कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं और कार्यालय खोले रखने पड़ते हैं । उस अवधि में कभी-कभी कर्मचारी स्थानान्तरित हो जाते हैं और फाइलें नष्ट हो जाती हैं । इसलिये विलम्ब से मुकदमेबाजी में कठिनाई पैदा होती है । दूसरे कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें मध्यस्थ स्वयं कार्यों में जान बूझकर विलम्ब करता है । ऐसा करने में उसका उद्देश्य वित्तीय लाभ उठाना है । इसलिये हर मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मुख्य रूप से मैंने विलम्ब के कारण बता दिये हैं । जिन विशिष्ट मामलों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है मैं उनकी जांच करने के पश्चात् विलम्ब के कारण बताऊंगा । वैसे ही हर मामले के बारे में बताना कठिन है । हमें कानून विद् कर्मचारियों से परामर्श लेना होता है और कोई कर्मचारी इसके लिये नहीं रखे जाते और मैं नहीं समझता कि सरकार उन मामलों पर अतिरिक्त व्यय करती है......... **(व्यवधान)**

श्री स० कुण्डू : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं मध्यस्थता के इन मामलों में विलम्ब मुख्यता इस कारण हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम मध्यस्थता के समक्ष नहीं आते

और उनकी कार्यवाही में भाग नहीं लेते। क्या वे इस बात की जांच करेंगे कि कई नोटिस देने के पश्चात भी भारतीय खाद्य, निगम मध्यस्थता के मामलों में उपस्थित नहीं होता।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष मामला है तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है भारतीय खाद्य निगम इन मामलों के निपटारे में सभी सतर्कता बरतती है।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा अन्य समाचार एजेंसियों को निगम में बदलना

*639. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा अन्य समाचार एजेंसियों को सार्वजनिक निगम में बदलने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो अनियमितताएं प्रस ट्रस्ट आफ इण्डिया में हो रही हैं, उनकी जो जानकारी आपको दी गई है क्या उसे सरकारी कार्पोरेशन नहीं बना दिये जाने तक उसकी कोई जांच होगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : हमें संसद् सदस्यों के हस्ताक्षर से एक शिकायत मिली है जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर न केवल प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया अपितु अन्य प्रेस एजेंसियों को भी सरकारी निगमों में बदलने के लिये अंतिम निर्णय लिया जायेगा ?

क्या ऐसा निर्णय इस वर्ष अथवा अगले वर्ष लिया जायेगा ?

श्री इ० कु० गुजराल : जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि प्रेस आयोग की रिपोर्ट का आशय था कि न्यूज एजेंसियों का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाये कि वे किसी व्यक्ति अथवा ग्रुप के स्वामित्व में न रहें अपितु व्यापक रूप से राष्ट्र की सम्पत्ति रहे एक न्यास अथवा निगम के रूप में। परन्तु जब प्रेस आयोग की रिपोर्ट आई थी तब न्यूज एजेंसियां विद्यमान नहीं थी और आयोग को इस प्रकार बदलने का ढंग विदित नहीं था। सरकार अब प्रेस आयोग की रिपोर्ट को उसके वास्तविक आशय के अनुरूप कार्यान्वित कर रही है। मेरे लिये उसकी तिथि बताना कठिन है। परन्तु जो भी निर्णय हम करेंगे संसद् से परामर्श के पश्चात् करेंगें, जोकि सभी न्यूज एजेंसियों पर लागू होंगे।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि इस बारे में उनकी दृढ़ नीति क्या है क्योंकि प्रायः कहा गया है कि वे न्यूज एजेंसियों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और दूसरी ओर वे कहते हैं कि समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता को भंग नहीं करना चाहते। क्या सरकार स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या वह न्यूज एजेंसियों का राष्ट्रीयकरण कर रही है, क्या आकाशवाणी के सम्बन्ध में पहले ही काफी शिकायतें नहीं हैं ? सरकार साफ-साफ बताए कि न्यूज एजेंसियों पर सरकारी नियंत्रण रहेगा।

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने कभी परस्पर विरोधी बातें नहीं कही हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि महिला सदस्या ने मुझे गलत समझा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सूझबूझ पैदा करने का इच्छुक हूं। जहां तक मेरी माननीय महिला मित्र द्वारा उठाए गये इस वक्तव्य का सम्बन्ध है कि सरकार न्यूज एजेंसियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। यह सरकार समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता के लिये वचनबद्ध है। हम बार-बार यह बात कहते आए हैं और मैं पुनः दुहराना चाहता हूं कि जहां तक न्यूज एजेंसियों का सम्बन्ध है हम प्रेस आयोग कि सिफारिशों के अनुरूप कार्य करते हुए दृढ़तापूर्वक समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का आश्वासन देते हैं। सरकार द्वारा उनको अधिकार में लेने अथवा उनमें हस्ताक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : प्रश्न यह है कि आप ऐसा कैसे करेंगे ? **(व्यवधान)**

श्री इ० कु० गुजराल : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्या मुझे सार्वजनिक रूप में प्रकट करने के लिये बाध्य नहीं करेंगी। हम जो भी कार्यवाही करेंगे संसद् के परामर्श से करेंगे।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या सरकार का उसे प्रेस आयोग की सिफारिशों के आशय के अनुरूप करने का विचार है।

श्री लोबो प्रभु : समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे मित्र ने बहुत युक्त प्रश्न उठाया है। मुझे अपने पूर्व कथन का स्पष्टीकरण करना चाहिए। सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के लिये कृतसंकल्प है। न्यूज एजेंसियों को नया रूप देते समय उसका ध्यान रखा जाये। इनका राष्ट्रीयकरण करने अथवा इन्हें सरकारी अधिकार में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न संख्या 640 का उत्तर देने दीजिए। मैं पूरक प्रश्न नहीं पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

भरसक प्रयत्न करने पर भी हम अधिक प्रश्न नहीं ले पाते। इसका कारण यह है कि सदस्य भूमिका बांधने लग जाते हैं जो कभी-कभी लम्बी हो जाती हैं। सदस्यों को अपने सुझाव भी नहीं देने चाहिए जैसा कि नियमों में निहित है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जोकि नियम विरुद्ध हैं। सबसे बड़ी खेद की बात यह है कि मंत्रियों के उत्तर बहुत लम्बे होते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लकड़ी को नौकाओं के निर्माण में राज सहायता

*637. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिये भारत में निर्मित 57 फुट और इससे अधिक लम्बी नौकाओं के लिए राज सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या देश में निर्मित लकड़ी की नौकाओं के लिये इस प्रकार की राज सहायता नहीं दी जाती ;

(ग) क्या केरल में स्थानीय नौका निर्माण उद्योग को राज सहायता देने से इंकार करने के कारण बम्बई और कलकत्ता के बड़ी नौकाओं के निर्माताओं से केरल के वर्तमान उद्योग को भारी खतरा है ; और

(घ) हजारों विशेषज्ञ दस्तकारों की जीविका के लिए केरल में स्थानीय नौका-निर्माण उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार लकड़ी की नौकाओं के लिये भी राज सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). यह योजना गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 57 फुट तथा उससे अधिक लम्बाई वाले लोहे के जहाजों के लिए है। इसका लकड़ी से बने जहाजों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) लोहे से बने मछली पकड़ने के जहाजों का विनिर्माण करने वाले पोत निर्माण-प्रांगण इस समय बम्बई, कलकत्ता, गोवा तथा कोचीन में स्थित हैं। अनुमान है कि चतुर्थ योजना की अवधि में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रयोग किये जाने वाले जहाज लगभग 57 फुट से 120 फुट तक की लम्बाई के होंगे। इस समय केरल में काष्ठ नौका निर्माण उद्योग द्वारा बनाये जा रहे मत्स्य जहाज, छोटे आकार के हैं और मुख्यतः 32 फुट से 36 फुट तक की लम्बाई के हैं। केरल सरकार की चतुर्थ योजना में 1600 यांत्रिक नौकायें चालू की जायेंगी। इन नौकाओं के लिये एक पृथक प्रकार की सहायता उपलब्ध है। सहायता के वर्तमान प्रतिमान के अन्तर्गत इंजन की लागत पर 25 प्रतिशत उपदान तथा 75 प्रतिशत ऋण और जहाज के ढांचे की लागत पर शत प्रतिशत ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों को चालू करने की योजना से भिन्न है। इसके अतिरिक्त यांत्रिक जहाज (जिनका निर्माण प्रायः काष्ठ से किया जाता है) को गैर सरकारी प्रयत्नों द्वारा भी चालू किया जा रहा है। अतः केरल स्थित वर्तमान काष्ठ मत्स्य नौका निर्माण उद्योग 57 फुट तथा उससे अधिक लम्बाई के जहाजों को दी जाने वाली राज सहायता की योजना से प्रभावित नहीं होता।

(घ) उपरोक्त परिस्थितियों में केरल स्थित काष्ठ मत्स्य नौका निर्माण उद्योग के संदर्भ में काष्ठ पोतों के लिये राज सहायता देने का प्रश्न ही नहीं होता। राज सहायता की

वर्तमान योजना को देश में निर्मित होने वाले लोहे के जहाजों की तुलनात्मक रूप से अत्यधिक लागत, लोहे के जहाजों को निर्माण के लिए उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने तथा बड़े मत्स्य जहाजों के प्रचलन के प्रोत्साहन की आवश्यकता को देखते हुए तैयार किया गया है।

Government Expenditure on Advertisements

*638. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by Government of India on advertisements during the last three years ; and

(b) the expenditure proposed to be incurred on this account during the financial year 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Year	Expenditure incurred by DAVP on advertisements to newspapers	*Expenditure incurred by Department of Tourism on advertisements and others pub. media	Amount spent by Railways
	Rs.	Rs.	Rs.
1967-68	74,05,609	58,79,000	42,88,450
1968-69	1,06,92,208	63,01,505	28,10,700
1969-70	1,19,07,137	81,01,000	39,53,142
1970-71 (Budget)	1,73,05,000	1,00,25,500	Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

*Separate figures for advertisements above not readily available.

अन्दमान द्वीपों में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का बसाया जाना

*640. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 12 नवम्बर, 1970 को सभा में यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों के अन्दमान में बसाये जाने के लिए प्रारम्भिक अपेक्षाएं पूरी कर ली जायेंगी वैसे ही उन्हें वहां भेज दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इन शरणार्थियों के बसाये जाने सम्बन्धी प्रारम्भिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या अवधि निश्चित की गई है ;

(ग) सरकार का किन-किन द्वीपों में कितने-कितने परिवारों को कब तक बसाने का कार्यक्रम है ; और

(घ) क्या सरकार का संसद् सदस्यों के एक दल को अन्दमान द्वीप समूह में भेजने का विचार है जो नये शरणार्थियों को वहां बसाने की दशा में हुई प्रगति के बारे में अध्ययन करे और सरकार को इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दे ; यदि हां, तो ऐसा दल कब भेजा जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मैंने कहा था, कि अन्दमान में और व्यक्तियों का पुनर्वास कर सकने से पूर्व, हमें द्वीपों में आधार-भूत सुविधाएं सुदृढ़ करनी होंगी ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये इस प्रकार की कोई अवधि नहीं रखी गई है ।

(ग) इस समय, पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों को मुख्य रूप में जटिल अन्दमान तथा कच्चल द्वीपों में बसाया जायेगा । अनुमान है कि, जूं ही अपेक्षित भूमि का उद्धार किया जा सकेगा, पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों और बर्मा तथा अन्य देशों से स्वदेश लौटे भारतीयों के कुल मिलाकर लगभग 6,000 परिवार प्रारम्भ में अन्दमान व निकोबार द्वीपों में बसाये जा सकेंगे ।

(घ) पुनर्वास विभाग की सलाहकार समिति के सदस्यों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में भेजने की व्यवस्था संसद् कार्य विभाग द्वारा की जा रही है । प्रस्तावित दौरे की तिथियों और अन्य ब्योरों को अन्दमान प्रशासन के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

मूंगफली का रक्षित भण्डार तथा खाद्य तेलों का आयात

*641. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य-तेलों के मूल्यों को स्थिर करने के लिए मूंगफली का रक्षित भण्डार बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या खाद्य-तेलों का आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा तथा उक्त माल कब तक पहुंच जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) . जनवरी-जून, 1971 के दौरान कनाडा से 75,000 मीटरी टन तोरिया आयात करने हेतु व्यवस्था की गई है । 1971 में, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेलों की और मात्रा प्राप्त करने के लिये भी पग उठाए जा रहे हैं ।

भारतीय श्रम सम्मेलन तथा स्थायी श्रम समिति में निर्णय लेने का तरीका

*642. **श्री स० कुन्दू :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय श्रम सम्मेलन तथा स्थायी श्रम समिति में बहुमत के आधार पर निर्णय करने का फैसला किया है ;

(ख) क्या पहले निर्णय एकमत से किये गये थे ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) राष्ट्रीय श्रमिक संघ संगठन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मजूरी बोर्डों के निर्णयों को लागू करने के लिए विधान

*643. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 12 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न मजूरी बोर्डों के पंचाटों को सांविधिक रूप से लागू करने के लिये उपयुक्त विधान बनाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है।

पट्टा प्रणाली का समाप्त किया जाना और बड़े पैमाने पर खेती के लिए सहकारी समितियों की स्थापना

*644. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुझाव दिया गया है कि पट्टा प्रणाली को जिसके अन्तर्गत किसानों को भूमि का वितरण किया जाता था, समाप्त किया जाना चाहिए और किसानों से सहकारी समितियों की स्थापना करने और बड़े पैमाने पर खेती करने का अनुरोध करना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्देश्य यह होगा कि ऐसी सेवाओं को अधिक से अधिक सीमा तक संस्थात्मक रूप दिया जाये जिसकी कृषिकों को आवश्यकता है। विशेषकर भूमिहीन कृषि मजदूरों को बसाने के लिए उपलब्ध की हुई भूमि पर सहकारी कृषि समितियों को संगठित करने में किसानों की सहायता के लिए एक चयनात्मक नियोजित उपागम की सिफारिश की गई है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

*645. **श्री मु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राज्य सरकारों एवम् संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, मंत्रिमण्डल सचिव, तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय क्या हैं और क्या इनके पुनर्वास के मामले का पुनरीक्षण करते समय सीमावर्ती प्रदेशों को ध्यान में रखा गया था ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). जी, हां ; "भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन" के सम्बन्ध 11 और 12 नवम्बर, 1970 को एक सम्मेलन में, जिसमें कि मंत्रिमंडल सचिव, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों तथा सेवा के मुख्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कुछ निर्णय लिये गये थे।

सभी राज्यों से सम्बन्धित मामलों पर 11 नवम्बर, 1970 को विचार किया गया था और जो मामले सीमावर्ती राज्यों से सम्बन्धित थे उन पर 12 नवम्बर, 1970 को विचार किया गया था। 11 और 12 नवम्बर, 1970 को हुए सम्मेलन में जो मुख्य निर्णय लिये गये थे वे निम्नलिखित है :—

(1) यह सामान्य सहमित थी कि पुनर्वास सम्बन्धी सारी कार्यवाही के लिये केन्द्र में पुनर्व्यवस्थापन के महानिदेशालय को पहल करनी चाहिए। केन्द्रीय संगठन को उपयुक्त दृष्टि से सुदृढ़ तथा सुप्रवाही बनाया जाये ताकि व्यक्तिगत भूतपूर्व सैनिक की निबृत्ति से एक वर्ष पूर्व ही उसके मामले को हाथ में ले लिया जाय। निबृति से 6 मास पूर्व, संगठन यह बताने के योग्य हो कि निवृत होने वाला भूतपूर्व सैनिक किस प्रकार के पुनर्व्यवस्थापन को तरजीह देगा और उसे अपने लिये चुने गये व्यवसाय में लगाने के लिये निबृत्ति से पूर्व या निबृत्ति के उपरान्त कैसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। यह जानकारी निबृत्ति से 6 मास पूर्व राज्य एकक तथा जिला एकक को अवश्य भेज देनी चाहिए ताकि सभी सम्बन्धित लोग मामले की अनुवर्ती कार्यवाही के लिये संगठित हो जाएं। जब किसी भी भूतपूर्व सैनिक को किसी राज्य या केन्द्रीय संगठन में रोजगार की पेशकश की जाय तो निबृत्ति से काफी पहले ही चुनाव की प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जानी चाहिए ताकि भूतपूर्व सैनिक को यह ज्ञात हो जाये

कि उसका चुनाव हो गया है या नहीं। यदि उसे चुन लिया गया हो तो निवृत्ति के बाद वह इस प्रयोजन के लिये जिस प्रकार का भी प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त करके उस कार्य में लग जाने की स्थिति में होगा। यदि उसे चुना न गया हो तो वह वैकल्पिक रोजगार के लिये इच्छा प्रकट करने के योग्य हो। यह सहमति हुई कि केन्द्र के वर्तमान संगठन को सुदृढ़ किया जाए ताकि वे कार्य की मात्रा और महत्ता को निभा सके।

2. कुछ राज्यों ने विचार प्रकट किया कि यदि वर्तमान प्रणाली को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ कर दिया जाये तो यह पर्याप्त होगा। अन्य ने यह इच्छा प्रकट की कि जिस प्रणाली की, पुनर्व्यवस्थापन के महानिदेशालय ने सिफारिश की है, अर्थात इस प्रयोजन के लिए, पुनर्वास के राज्य एककों और जिला एककों में रक्षा सेवा के सक्रिय अधिकारियों को रोजगार पर लगाया जाना चाहिए, उसे लागू किया जाना चाहिए। यह सहमति हुई कि जो राज्य ऐसी इच्छा प्रगट करें उन्हें रक्षा सेवाएं ऐसे अधिकारियों को, जिनको कि इस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, सूचियां भेजें और राज्यों को उस सूची में से चुनाव की अनुमति दी जाए। तीनों सेवाओं के अधिकारियों की पेशकश की जाएगी।

3. राज्यों को पहले सूचित किया गया था कि विभिन्न सेवाओं में विशेष श्रेणी के लिए, जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित हैं, 45 प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं रखे जा सकते। अब यह तय किया गया कि सभी राज्यों में 50 प्रतिशत तक पदों का आरक्षण और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण में और 5 प्रतिशत की वृद्धि युक्ति संगत होगी। यह उल्लेख किया गया कि जिन राज्यों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिये अभी तक स्थान आरक्षित नहीं रखे हैं वह भी इस श्रेणी के लिए शीघ्र ही आरक्षण रख देंगे। यह भी तय हुआ कि वह भूतपूर्व सैनिक जो कि अन्य आरक्षित श्रेणियों में आते हों उन्हें उन श्रेणियों के आरक्षण में दिखाया जाना चाहिये, जैसे कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के अधीन, न कि भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के अधीन। यह भी तय किया गया कि गैर-आरक्षित पदों के लिए सामान्य प्रतियोगिता में भी जो भूतपूर्व सैनिक योग्यता के आधार पर आते हों उन्हें भी खपाया जाना चाहिए। इस प्रकार भूतपूर्व सैनिकों द्वारा और पद प्राप्त करने की सम्भावना है।

4. भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिए विस्तृत क्षेत्रों की विशेष भूमि उद्धार और पुनर्व्यवस्थापन के लिए पेशकश की गई है। इस समय, बहुत से राज्यों ने पर्याप्त क्षेत्रों की पेशकश की हैं। इन भूमियों का विशेषज्ञों के दलों द्वारा सर्वेक्षण किया जायेगा और भूमि उद्धार और व्यवस्थापन की लागत शीघ्र ही निश्चित की जायेगी। इस बीच में, चतुर्थ योजना के अन्तर्गत व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शी योजनाएं पहले ही हाथ में ली जा सकती हैं। किन्तु बड़े पैमाने पर किसी कार्यक्रम का अभिज्ञान किया जाना चाहिये और उसे पंचम योजना में निधि दिये जाने के लिये तैयार रखना चाहिए। एक राज्य ने भूतपूर्व सैनिकों को भूमि खरीदने के लिये ऋण देने की एक योजना लागू की थी। अन्य राज्यों द्वारा भी इस प्रकार के कार्यक्रम लागू किए जा सकते हैं और अग्रिमों को भूमि उद्धार कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से सम्बन्धित कार्य पर धनराशि के अभाव में बुरा प्रभाव न पड़े।

5. यह मान लिया गया कि निवृत्ति से पूर्व के प्रशिक्षण का प्रभाव प्रति रक्षा मंत्रालय पर होगा ; निवृत्ति के उपरान्त के प्रशिक्षण का प्रभार सम्बन्धित राज्यों पर होगा। उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाने होंगे ताकि वह निवृत किए जाने वाले भूतपूर्व सैनिकों और राज्यों में उपलब्ध सिविल रोजगारों के स्वरूपों के लिए उपयुक्त हों। इस कार्यक्रम को स्थाई बनाने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

6. लघु उद्योग विकास कमिश्नर के समन्वय से यह विशेष छान-बीन की जानी होगी कि सेना से निबृत्त किए गए तकनीकी व्यक्तियों को लघु उद्योग क्षेत्र और आनुषंगिक उद्योग क्षेत्र में उद्यमकर्ताओं या कुशल कामगारों के रूप में किस प्रकार खपाया जा सकता है। पुनर्व्यवस्थापन के महानिदेशालय द्वारा कार्यवाही संबंधी विस्तृत योजना तैयार की जायेगी।

पोस्टकार्ड के मूल्य में वृद्धि

*646. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोस्टकार्ड के मूल्य, जिसमें इस समय राज सहायता दी जा रही है, बढ़ाने का है और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस समय कितनी राज सहायता की मांग की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिया जाएगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं। इस समय पोस्टकार्डों का मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पोस्टकार्डों पर मौजूदा आर्थिक राज सहायता सेवा की लागत का लगभग 45.6 प्रतिशत है। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के भत्तों में प्रस्तावित अन्तरिम वृद्धि के परिणामस्वरूप यह बढ़कर आगे लगभग 50 प्रतिशत हो सकती है।

(ग) ऊपर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा राज्य के आकाशवाणी केन्द्रों को सरकारी निदेश

*647. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य के आकाशवाणी केन्द्रों के अधिकारियों को यह अनुदेश जारी किये हैं कि यदि कोई जिलाधीश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी कर, उनको सौंपे गए सरकारी कार्य के निर्वहन पर रोक लगा देता है तो उस आदेश की विधि मान्यता को चुनौती दी जानी चाहिये तथा उच्च न्यायालय से उसके रोक-आदेश प्राप्त करने चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे अनुदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग). उड़ीसा के कुछ राजनैतिक दलों ने द्वितीय स्टील प्लांट उड़ीसा में लगाने की अपनी मांग के समर्थन में 9-11-70 को आन्दोलन करने के लिये आवाहन किया था । ऐसी उम्मीद की गई थी कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का कामकाज ठप करने के लिये उनके सामने प्रदर्शन होंगे । आकाशवाणी के केन्द्र निदेशकों से यह कहा गया था कि वे अपने केन्द्रों को हर परिस्थिति में चालू रखें ।

कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में आकाशवाणी के केन्द्रों को बन्द करने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत 27-7-1970 को मजिस्ट्रेट के आदेश जारी किये गये थे । केन्द्र निदेशकों को ये अनुदेश दिये गये थे कि यदि ऐसा आदेश फिर से जारी हो तो वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 के अन्तर्गत पुनरीक्षण के लिये उच्च न्यायालय में याचिका तुरन्त दायर करें और अन्तरिम रोक आदेश की प्रार्थना करें ताकि रेडियो स्टेशन अपना कार्य चालू रख सकें ।

खराब किस्म के चावल और गेहूं की सप्लाई करने के कारण भारतीय खाद्य निगम, कूच-बिहार के प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही

*648. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच-बिहार स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में से सप्लाई किये गये चावल और गेहूं बहुत घटिया किस्म के हैं और लोगों के उपभोग के लायक नहीं हैं और कूच बिहार के उच्चायुक्त तथा लोगों ने इसके विरुद्ध कई शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ;

(ग) क्या स्थानीय राशन व्यापारियों ने घटिया किस्म के चावल और गेहूं लेने से इंकार किया है और भारतीय खाद्य निगम, कूच-बिहार के प्रबन्धक ने उन्हें गम्भीर परिणामों की धमकी दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

डायल घुमा कर लन्दन से सीधा सम्पर्क

*649. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में लन्दन के साथ सीधी डायलिंग प्रणाली

स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को कब तक कार्य रूप में परिणत कर दिया जायेगा ; और

(ग) इस परियोजना में कुल कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) से (ग). भारत में उपग्रह संचार के भूमि-स्थित केन्द्र की स्थापना के साथ, जिसके कि 1971 के आरम्भ में हिन्द महासागर उपग्रह के सहयोग में कार्य प्रारम्भ कर देने की सम्भावना है, यह सम्भव हो जायगा कि 1972 में किसी समय अर्ध-स्वचल आधार पर लन्दन को ट्रंक डायलिंग सुविधाएं सुलभ की जा सकें। अलबत्ता, पूर्णतः स्वचल अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग प्रणाली आरम्भ किये जाने की सम्भावना 1975 से पहले नहीं है।

आर्वी स्थित मुख्य केन्द्र और विदेश संचार भवन, बम्बई में स्थित, अन्तर-महाद्वीपीय टेलीफोन और टेलेक्स एक्सचेंजों आदि सहित संपूर्ण भूमि-स्थित-केन्द्र प्रायोजना की कुल लागत 786 लाख रुपये रहने का अनुमान है। इस समय, पूर्णतः स्वचल आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त उपस्कर की लागत का पूर्वानुमान सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित प्राविधिक प्रणालियां अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं की जा सकी हैं।

दूर संचार व्यवस्था के लिये निगम की स्थापना

*650. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार व्यवस्था के लिये एक निगम स्थापित करने की मांग विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दूर संचार व्यवस्था के लिए एक अलग निगम स्थापित करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां। कुछ सर्कलों और टेलीफोन जिलों में यह मांग की गई है।

(ख) और (ग). प्रशासन सुधार आयोग ने डाक-तार विभाग या दूरसंचार शाखा को सार्वजनिक निगम में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था। उन्होंने यह सिफारिश की थी कि यह अवसर ऐसे परिवर्तन के लिये उपयुक्त नहीं होगा और डाक-तार विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी अन्य प्रतिष्ठान की तरह सार्वजनिक उत्तरदायित्व की सीमाओं के भीतर व्यापार और वाणिज्य के ठोस सिद्धान्तों के आधार पर काम करना चाहिए।

सरकार आयोग की इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

Dispute regarding Bonus in H. M. T.

*651. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any dispute is going on between the workers and the management of the Hindustan Machine Tools on the question of payment of bonus ;

(b) if so, the number of employees involved therein ;

(c) the amount of loss being suffered by this undertaking daily on account of this dispute; and

(d) the action being taken by Government to resolve it immediately ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (d). The matter falls in the State sphere. However, according to information made available by the State Government, the dispute over bonus arising out of the workers' strike notice, dated November 4, 1970, and involving about 5000 workmen, was admitted in conciliation by the State Industrial Relations Machinery. While conciliation was in progress, the workers are reported to have struck work from November 9, 1970 ; the management declared a lockout from the same day. On November 17, 1970, the State Government referred the dispute relating to bonus, legality and justification of the strike and the lockout to adjudication and simultaneously prohibited the strike and the lockout. The workers, it is reported, however, continued to stay away from work and resumed it only from November 30, 1970, following bipartite discussions and settlement on November 29, 1970, in terms of which the workers accepted 4 per cent bonus for 1969-70, pending decision of the Industrial Tribunal in the matter.

(c) Work having been resumed, the question of daily losses to the undertaking does not now arise.

Dissatisfaction over working of Panchayati Raj Institutions at Meeting of Advisory Council on Panchayati Raj

*652. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Advisory Council on Panchayati Raj at its first meeting held in November, 1970 expressed concern and dissatisfaction over the working of the Panchayati Raj institutions ;

(b) if so, the details of the recommendations made by the Council in this regard ; and

(c) the action Government propose to take to make Panchayati Raj institutions effective and successful ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. C. Jamir) : (a) No, Sir. The Consultative Council on Panchayati Raj in its first meeting held on November 10, 1970, generally reviewed the implementation of Panchayati Raj administration in the country and suggested measures to make it more efficient and effective.

(b) The summary of recommendations of the Council is attached.

(c) Among the various measures suggested are genuine transfer of adequate powers, responsibilities and appropriate funds to the Panchayati Raj bodies besides grant of necessary incentives to enable them to mobilise local resources through taxation.

Summary of Recommendations

(i) The Panchayati Raj institutions should be strengthened by transfer of adequate powers, responsibilities and appropriate funds. Besides, they should be provided necessary incentives to enable them to mobilise local resources through taxation.

(ii) The Zila Parishads which were co-ordinating bodies in a number of States needed, in particular, to be vested with greater powers which should be additive, and need not involve shrinkage of powers already vested in the lower tiers of Panchayati Raj.

(iii) There was considerable variation in the pattern and functioning of the Panchayati Raj in the different States. Maharashtra and Gujarat had evolved the most successful pattern and its functioning could well be emulated by other States who may send team of officers including M. L. As. to benefit from their experience.

(iv) A dialogue should be started with the Government of Kerala for the introduction of Panchayati Raj in the State and with other States for strengthening these institutions.

(v) Haryana Government was requested not to shift to indirect elections in Panchayati Raj institutions but to examine retention of direct elections.

(vi) Community Development and Panchayati Raj should be under the common charge of one Department in the States. This would facilitate close integration between the two and assist Panchayati Raj institutions to act as an effective agency for execution of Community Development and other rural development functions.

(vii) Similarly, at the Centre, the Consultative Councils on Community Development and Pachayati Raj should be amalgamated.

(viii) The State Governments should ensure that the Community Development and Panchayati Raj work did not suffer for want of funds. They should secure adequate allocations to meet their commitments in this regard through Planning Commission/Finance Commission.

(ix) It was urged that the post-stage II blocks should be provided with adequate funds.

(x) The State Governments should raise the resources of Panchayati Raj by transferring to them, among others, share from land revenues.

(xi) The possibility of routing funds under the Special Scheme of Small Farmers, Marginal Farmers, Crash Scheme for employment etc. through Panchayati Raj bodies may be examined so that the involvement of rural people is ensured.

(xii) It was urged that the Panchayati Raj institutions needed a specific cadre to man various positions in the Panchayati Raj bodies. Present system of inducting officers from various cadres did not always work satisfactorily because the officials were looking for better prospects in their own cadres.

(xiii) The Centre was urged to organise study and publicity of tangible achievements of Panchayati Raj in various parts of the country and try steadily for acceptance by the States of the key recommendations. There are several excellent studies of the Panchayati Raj organisations on various facets, these would be utilised.

(xiv) The Centre should, at the National level, undertake responsibility in regard to traing, holding of seminars and distribution of literature.

Rehabilitation of Repatriates from Foreign Countries

*653. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Indians likely to be repatriated to India as a result of the policy being followed by the Governments of Ceylon, Burma, Malaysia, Singapore, and East African countries towards the Indians living in those countries ;

(b) whether Government have chalked out any scheme for the rehabilitation of such Indians ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Ceylon—5.25 lakh persons.

Burma : So far, 1,82,042 persons have arrived from Burma and approximately 3,000 persons are expected to come to India in early 1971. Further assessment of the number of Indians likely to return to India from Burma is not possible at this stage, as this is dependent on various factors.

Mozambique : About 2,300 persons have already arrived. Information about further influx is not available.

Singapore and Malaysia : There is no exodus of Indians from these countries.

East African countries (other than Mozambique) : No estimate can be made of the number of persons likely to come to India as a result of certain legislative and other measures recently adopted by some East African countries.

(b) and (c). A statement is attached.

Statement

The following steps have been taken for the resettlement of the repatriates from Burma and Ceylon :

(1) Orders have been issued for the grant of loans for trade and business upto a ceiling of Rs. 5,000/- per family.

(2) Priority has been accorded for appointment under the Central Government through Employment Exchanges.

(3) Upper age limit has been relaxed to 45 years (50 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) for appointment under Central Government through the Employment Exchanges.

(4) Upper age limit has been relaxed by 3 years, and fee concessions have also been granted, in respect of appointments made through competitive examinations held by the Union Public Service Commission.

(5) Special Employment Liaison Officers have been appointed at Madras and Vishakhapatnam, to render employment assistance to repatriates.

(6) Financial assistance is given for housing upto Rs. 4,100/- in urban areas and Rs. 2,050/- in rural areas.

(7) Educational concessions in the form of grants for purchasing books and stipends in deserving cases are granted.

(8) Agriculturist families are resettled in agricultural projects sanctioned by the Department of Rehabilitation, such as Sindhanur Project (Mysore) and Betul Project (Madhya Pradesh), and also under Land Colonisation Schemes.

(9) The following schemes have been sanctioned for the Ceylon repatriates :

State	Name of Scheme	Cost Rs. in lakhs
Tamil Nadu	Nilgiris Tea Plantation Scheme (400 families).	92.71
	Kanyakumari Rubber Plantation Scheme. (333 families)	124.63

	Co-operative Spinning Mill at Srivelliputhur. (200 families)	15.00
	Tiruchendur Co-operative Spinning Mills, Nazareth. (200 families)	15.00
Mysore	Sulia Rubber Plantation Scheme. (1334 families)	275.13
Andaman & Nicobar Islands	Rubber Plantations in Katchal Island. (1200 families)	450.00

(10) Rehabilitation assistance has so far been given to about 1075 Ceylon repatriate families, and 52,721 families of Burma repatriates, in the form of business loans, allotment of agricultural land and employment in plantations. Besides, employment, including casual employment, was found for 9,781 Burma repatriates in Government offices, private and public undertakings etc.

(11) The Repatriates Co-operative Finance and Development Bank has been set up with headquarters at Madras for giving loans to the repatriates for small scale industries, business and other economic schemes.

Repatriates from Mozambique

At the time of repatriation, Mozambique repatriates were granted liberal customs facilities. Widows, orphans and infirm persons in indigent circumstances were being given financial assistance upto Rs. 1,200/- per annum. Rehabilltation assistance was also given to the repatriates by the Government of Gujarat by granting loans at concessional rate of interest to enable them to start small trades, business enterprises or small scale industries. Priority is accorded in the matter of allotment of agricultural land. Children of the repatriates are also given facilities regarding freeships, scholarships, supply of books etc. for education.

आकाशवाणी प्रशासन का विकेन्द्रीकरण

*654. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या विशिष्ट कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रों के अच्छे प्रशासन तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों के केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की योजना में सुधार के लिए।

Committee on Abolition of Contract System in Coal Mines

*655. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 392 on 12th March, 1970 regarding the Enquiry Commission for abolition of contract system in coal mines and state :

(a) whether the recommendations made in the Enquiry Report have since been implemented ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The Government have requested the employers and employees' associations to take appropriate action for the implementation of these recommendations. Information regarding the extent of implementation is being collected and will be laid on the Table of the House.

गैर-पंजीकृत डाक-वस्तुओं पर तारीख की मोहर लगाना तथा डाक सेवा में सुधार

*656. **श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-पंजीकृत डाक वस्तुओं पर उनके वितरण से पूर्व तारीख की मोहर लगाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार-मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) ऐसा निश्चय किया गया है कि प्रयोग के बतौर कुछ चुने हुए स्थानों में बिना रजिस्ट्री की डाक-वस्तुओं पर वितरण से पहले तारीख मोहरे लगाने की पद्धति बंद कर दी जाए।

(ख) वितरण से पहले डाक वस्तुओं पर तारीख-मोहरें लगाने की पद्धति बहुत से देशों में बंद कर दी गई है, क्योंकि इससे डाक के वितरण में विलम्ब होता है, साथ ही सेवा की लागत भी बढ़ जाती है। यह नई योजना प्रयोग के बतौर सीमित आधार पर इस उद्देश्य से चलाई जा रही है कि वस्तुओं का वितरण शीघ्र हो और आगे चल कर खर्च में भी कमी हो।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये गये दूध की बोतल में मरा हुआ चूहा

*657. **श्री केदार नाथ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में दिल्ली दुग्ध योजना की डबल टोन्ड दूध की बोतल में एक मरा हुआ चूहा पाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस घटना को गम्भीर मानती है। दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष से कहा गया है कि वे बोतलें भरने की लाइन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी करें कि बोतलों में दूध भरने और उनको बन्द करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर ले कि

किसी भी ऐसी बोतल में दूध न भरा जाये जिसमें कोई वाह्य पदार्थ पड़ा हुआ हो। उनसे यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

लंका में भारतीय चीनी के आयात की मनाही

*658. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका सरकार ने भारतीय चीनी का आयात करने से इन्कार कर दिया है जबकि वहां चीनी की बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के लिए क्या कारण बताए गये हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी नहीं। हमने 1970 में निर्यात हेतु पहले ही 40,000 मीटरी टन चीनी श्रीलंका को बेची है और लगभग 30,000 मीटरी टन चीनी का जहाज में लदान हो चुका है। दिसम्बर, 1970 में 10,000 मीटरी टन की शेष मात्रा का भी लदान किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

*659. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 26 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 651 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति के बारे में पुनरीक्षण पूरा हो गया है और यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ख) क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जी नहीं। राष्ट्रीय वन नीति पर केन्द्रीय वन आयोग की प्रत्येक 4 क्षेत्रीय बैठकों में अनुच्छेद-वार विचार विमर्श किया गया था तत्पश्चात् इस पर केन्द्रीय वन आयोग की 26 और 27 सितम्बर 1969 को श्रीनगर में हुई 5 वीं बैठक में विचार विमर्श किया गया था। आयोग ने चार क्षेत्रीय बैठकों की सिफारिशों पर विचार किया और राज्यों और अन्ततोगत्वा केन्द्रीय वन विज्ञान मण्डल के विचारार्थ नई संशोधित राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा तैयार करने के लिये एक मसौदा लेखन समिति नियुक्त की।

2. मसौदा लेखन समिति की 26-10-1970 को हुई प्रथम बैठक में वर्तमान नीति में तबदीली करने के लिये अपनाये जाने वाले उपागम पर विचार किया गया और निर्णय किया गया कि तबदीलता वन नीति के तीन भाग होने चाहिये अर्थात् ; भाग 1-पृष्ठ भूमि, भाग 2-वर्तमान नीति का मूल्यांकन, और भाग 3-नीति से सम्बन्धी व्याख्या। यह भी निर्णय किया गया कि वन अनुसन्धान संस्थान के अध्यक्ष और केन्द्रीय वन विज्ञान आयोग के सचिव मसौदा तैयार करेंगे और उसे अगली बैठक से पहले मसौदा लेखन समिति के सदस्यों को भेज देंगे। मसौदा तैयार किया जा रहा है।

(ख) इसे सरकार के संकल्प के रूप में प्रकाशित किया जायेगा और एक प्रति संसद पुस्तकालय में रखी जायेगी।

विद्यार्थियों द्वारा "बेरोजगारी दिवस" प्रदर्शन

*660. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादियों के नेतृत्व वाले युवक तथा विद्यार्थी संघों के आह्वान पर 'बेरोजगारी दिवस' मनाने के लिए 25 नवम्बर, 1970 को कुछ प्रदर्शन हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). जी हां। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार देश के विभिन्न भागों में बेरोजगारी की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन हुए हैं।

देश में बढ़ी हुई संख्या में नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए सरकार ने कई प्रकार की कार्यवाही की है और इसी तरह के अन्य कदम उठाने की बात पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा 2.12.70 को संसद के सभा पटल पर अतारांकित प्रश्न संख्या 2970 के उत्तर में रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

स्फटिक तोड़ने वाले कारखानों में फुफ्फुस रोग से मरे या रोगग्रस्त हुए कर्मचारी

4029. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में स्फटिक तोड़ने वाले कारखानों में कार्य करने से, राज्यवार, कितने कर्मचारी फुफ्फुस रोग से मरे अथवा रोगग्रस्त हुए ;

(ख) क्या यह सच है कि इन कारखानों के प्रबन्धक कर्मचारियों को मुख आवरण तथा दस्ताने प्रदान नहीं करते हैं जिनकी श्वास के साथ सेल-खड़ी के सूक्ष्म कणों को निगलने से बचने की अत्यंत आवश्यकता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य-परीक्षा नहीं कराई जाती ; और

(घ) क्या इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस कार्य में लगे हुए कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये एक नया विशिष्ठ कानून बनायेगी ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में श्रमिकों में सिलिकोसिक के पांच संदिग्ध मामले थे।

(ख) से (घ). कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, राज्य सरकारों द्वारा कुछ प्रक्रियाओं पर नियुक्त एग्जास्ट ड्राट की व्यवस्था करने के लिये नियम बनाए गए हैं ; कुछ प्रक्रियाओं पर काम करते समय श्रमिकों द्वारा सुरक्षात्मक कपड़े और धूलि रेसपिरेटर पहनने पड़ते हैं ; और श्रमिकों की प्रारम्भिक तथा सामाजिक डाक्टरी-परीक्षा की व्यवस्था है। ये नियम राज्य कारखाना निरीक्षकों द्वारा लागू किए जा रहे हैं।

मंत्रियों तथा संसत्सदस्यों के पास उच्चतम सीमा से अधिक कृषि भूमि

4030. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के संसत्सदस्यों के पास स्वीकृत सीमा से अधिक अलग-अलग कितने एकड़ कृषि भूमि है तथा ऐसे मंत्रियों, संसद सदस्यों और उनके परिवारों के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं जिनके पास स्वीकृत सीमा से अधिक भूमि है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : प्राय: समस्त राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के विषय में कानून बनाया जा चुका है और वह क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में है। कानून लागू हो जाने पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह संसद् सदस्य हो या नहीं, अनुमत सीमा से अधिक भूमि नहीं रख सकता है। पूछी गई जानकारी इकट्ठी करने की सम्भाव्यता की जांच की जायेगी।

डाक व तार विभाग में सितम्बर, 1968 की हड़ताल के दौरान अपनी सेवाये देने वाले श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के कर्मचारियों को खपाना

4031. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़ताल की अवधि में 12 अक्तूबर, 1968 के जी० ओ० संख्या 20/22/68-8 पी० बी०-1 के अधीन डाक व तार के महानिदेशक द्वारा डाक विभाग में श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के पदों पर की गई भर्ती के सम्बन्ध में कोई रियायत दी गई थी ;

(ख) क्या उक्त रियायत उन सभी लोगों के लिये थी जिन्होंने हड़ताल के दौरान अपनी सेवायें पेश की थीं तथा जिनकी सेवायें स्वीकार करके उन्हें कार्य करने अथवा प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया था ;

(ग) क्या इन शर्तों का पालन करने वाले सभी ऐसे स्वयं सेवियों को विभाग में खपा लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, दिनांक 12-10-68 के आदेशों द्वारा जिनका आगे 11-11-68 के आदेशों में स्पष्टीकरण दिया गया था, सरकार ने डाक-तार विभाग में हड़ताल के दौरान स्वेच्छापूर्वक काम करने वाले व्यक्तियों की भर्ती के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दी थीं ।

(ख) हड़ताल के दौरान जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छापूर्वक सेवा के लिये अपने आपको अर्पित किया था तथा जो व्यक्ति वास्तविक रूप से काम पर लगाये गये थे उन सभी व्यक्तियों को रियायतों के अन्तर्गत विभाग में खपाने के लिये विचार किया गया था बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिये निर्धारित शर्तों को वे पूरा करते हैं ।

(ग) जी हां, सभी पात्र व्यक्तियों को अब तक खपा लिया गया होगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी अभी तक गैर-खपत का कोई विशिष्ट मामला हो, तो सम्बन्धित व्यक्ति को छूट है कि वह सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे ।

उत्तर प्रदेश को अखबारी कागज का आवंटन

4032. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में अखबारी कागज आवंटित किया गया है ;

(ख) आवंटित कागज का कितना भाग दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक पत्र-पत्रिकाओं को वितरणार्थ रक्षित रखा जा रहा है ;

(ग) यदि छोटे समाचारपत्रों के लिये कोई आरक्षण किया गया हैं तो कितना किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में जिला फर्रुखाबाद तथा इटावा के लिये अखबारी कागज के कोटे के आवंटन के बारे में जानकारी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (घ). अखबारी कागज राज्यवार या जिलेवार आधार पर आवंटित नहीं किया जाता है और ना ही उपलब्ध अखबारी कागज की कोई मात्रा दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्रों में वितरण करने हेतु आरक्षित की जाती है । प्रत्येक समाचार-पत्र को अखबारी कागज का आवंटन अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति जो उपलब्ध होने वाले आयातित तथा देशी अखबारी कागज, विभिन्न समाचारपत्रों की आवश्यकताओं तथा छोटे और मझौले समाचारपत्रों के विकास को बढ़ावा देने की सरकारी घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष बनाई जाती है, के अनुसार किया जाता है । 1970-71 लाइसेंस वर्ष के लिये अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति 7 अप्रैल, 1970 को घोषित की गई थी । इस बारे में जारी की गई 'सार्वजनिक सूचना' की एक प्रति उसी दिन सदन की मेज पर रख दी गई थी ।

(ग) छोटे समाचारपत्रों के लिये अखबारी कागज की किसी मात्रा का आरक्षण नहीं है, परन्तु वार्षिक नीति में इस श्रेणी के समाचार-पत्रों के अखबारी कागज के कोटे में उदारतापूर्वक वृद्धि करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा राज्यों को दिया गया धन

4033. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को, राज्यवार, अब तक कितना धन दिया गया है ;

(ख) क्या किसी राज्य ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा दी गई सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राज्य सरकारों को 14.3.1963, जिस दिन निगम की स्थापना की गई थी, से 31.3.1970 तक 78.46 करोड़ रु० की धनराशि दी है। राज्यवार ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). जी हां। एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4533/70.]**

सोयाबीन की खेती के लिये सुविधायें

4034. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात हेतु तेल निकालने के उद्देश्य से सोयाबीन की खेती के बारे में सरकार जानकारी तथा अन्य ब्यौरा दे सकती है ; और

(ख) क्या सरकार सोयाबीन की खेती के लिये निशुल्क सुविधायें प्रदान करेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सोयाबीन की कृषि तथा उससे तेल निकालने की तकनीकी जानकारी देश में ही उपलब्ध है।

(ख) वर्ष 1970-71 की अवधि में 1,70,000 रुपये की अनुमानित लागत से सोयाबीन के प्रदर्शन की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना की 13 राज्यों में संस्वीकृति की गई है ताकि कृषकों को इसकी पैकेज प्रणालियों से परिचित कराया जा सके। आदानों की लागत की पूर्ति के लिये योजना के अन्तर्गत 500 रुपये प्रति हैक्टार की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त देश में सोयाबीन के विकास के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

आम के कीड़ों के कारण हुई हानि तथा आम के कीड़ों पर नियंत्रण पाने के लिये कार्यवाही

4035. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ऋतु में आमों के कीड़ों के कारण भारत को कितनी वित्तीय हानि हुई ;

(ख) किस राज्य में आमों को सबसे अधिक क्षति हुई है ;

(ग) भारत के विभिन्न राज्यों में आम के कीड़ों का मुकाबला करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(घ) गत वित्तीय वर्ष में आम के कीड़ों पर नियंत्रण सम्बन्धी अनुसन्धान पर कितनी राशि खर्च की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) अनुमान लगाया गया है कि गत मौसम में आम के कीड़ों तथा बीमारियों के कारण विभिन्न राज्यों में आम के उत्पादन में कमी हुई है। यह हानि 25 से 75 प्रतिशत तक हुई है। परन्तु आम के उद्यानों के मालिकों को हुई वित्तीय हानि के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश से अत्यधिक हानि के समाचार प्राप्त हुए हैं, जहां "गाल मिजेज", हापरों तथा "पाउडरी मिलड्यू" के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा आम के कीड़ों से बचाव के लिये पौध संरक्षण उपायों की व्यवस्था की जा रही है और आम के मुख्य कीड़ों, अर्थात् आम हापरों, पाउडरी मिलड्यू, गाल मिल्ज, माइट ऐन्थ्रैक्नोज, अपरिपक्वता आदि के लिये राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा नियमित रूप से कीट नियंत्रण अभियान चलाये जा रहे हैं।

(घ) समन्वित फल सुधार परियोजना के अंतर्गत आम के फसल के सम्बन्ध में कीट नियंत्रण सहित विभिन्न समस्याओं पर अनुसंधान किये जा रहे हैं, यह योजना आम सहित मुख्य फलों पर अनुसंधान करने के लिये तैयार की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना के लिये 43.83 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और गत वर्ष इस पर 5.15 लाख रुपये की रकम व्यय हुई थी। (1) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (2) उद्यान-विज्ञान अनुसंधान संस्थान, हेसरघाटा, बंगलौर (3) साबौर (बिहार) तथा (4) संगरेडी (आन्ध्र प्रदेश) में स्थापित किये गये चार अनुसंधान केन्द्रों में इस परियोजना के अन्तर्गत आम सहित मुख्य फलों तथा आम की फसल पर कीट नियंत्रण के लिये अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किये जाने हैं।

आम के कीट नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधान के लिये कोई अलग योजना नहीं है।

आकाशवाणी की सेवा में विदेशी राष्ट्रिक

4036. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की सेवा (विदेश-सेवा प्रभाग) में सभी विदेशी राष्ट्रिक

350 रुपए प्रति मास का समान समुद्र-पार भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने उक्त समुद्र-पार भत्ते में काफी अन्तर करते हुए उन विदेशी राष्ट्रिकों को 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो नई दरों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) एक ओर नेपाली तथा अफगानिस्तान आदि के राष्ट्रिकों के मध्य तथा दूसरी ओर तिब्बत, श्रीलंका तथा बर्मा आदि के राष्ट्रिकों के मध्य भेदभाव करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) ताईवान राष्ट्रिकों तथा हांग कांग के राष्ट्रिकों के बीच असमानता बरतने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) : जी, हां, अगस्त, 1970 के अन्त तक।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4534/70]** ।

(घ) और (ङ). विभिन्न राष्ट्रिकों को दिए जाने वाले समुद्र-पार भत्ते की राशि उन देशों के वेतन स्तरों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की गई है जिनसे लोगों को भर्ती किया जाता है ताकि लोग उपलब्ध हो सकें।

भारत में वर्ष 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

4037. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में वर्ष 1971 में एक और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समारोह किस तारीख को होगा तथा इसमें कितने देश भाग लेंगे ;

(ग) क्या फिल्म समारोह में भाग लेने वाली फिल्मों के लिए सांस्कृतिक सेंसर व्यवस्था की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) : जी, हां।

(ख) समारोह को नवम्बर / दिसम्बर, 1971 के आसपास करने का प्रस्ताव है। समारोह के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित किये जाने के बाद ही भाग लेने वाले देशों की संख्या का पता चल सकेगा।

(ग) और (घ). समारोह में प्रवेशार्थ किसी फिल्म को स्वीकृति देने से पहले, चयन एक जांच समिति की सहायता से किया जाएगा जिसमें कुछ ख्याति प्राप्त फिल्म आलोचक तथा कला और संस्कृति से विज्ञ कुछ व्यक्ति होंगे।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का समुचित ढंग से वितरण

4038. **श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम ने गत दो वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य के कौन-कौन से तथा कुल कितनी मात्रा में बीजों का उत्पादन किया ;

(ख) क्या चुकन्दर के बीज का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि राष्ट्रीय बीज निगम पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन करता है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र से कुछ उत्पादकों की शिकायतें आई हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें न तो वायदा किये गये बीज ही दिये गये और न ही उनका आयात करने की अनुमति दी गई जिससे कि बहुत से किसान तथा गैर-सरकारी एजेन्सियां इस क्षेत्र में प्रवर्तक कार्य न कर सकें ;

(घ) ऐसा व्यवहार करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) बीज के शीघ्रता से तथा समुचित ढंग से वितरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहेब शिन्दे) : (क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बेचे गए बीजों के नाम और उनकी मात्रा और क्रय मूल्य के हिसाब से इन बीजों का मूल्य अनुबन्ध 1 में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4535/70]**।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा चुकन्दर बीजों का उत्पादन प्रथम बार 1969-70 में शुरू किया गया था। अनपेक्षित प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण निगम आशा के प्रतिकूल 50 क्विन्टल के बजाय केवल 15 क्विन्टल बीज ही तैयार कर सका। चुकन्दर के बीजों के आयात की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उससे ऐसे रोगों तथा कीटों के लगने का भारी खतरा था जिनसे अभी तक भारत में इस फसल को हानि नहीं हुई थी। यह भी अनुभव किया गया कि ये कीट तथा रोग चुकन्दर के अतिरिक्त अन्य फसलों और विशेषकर सलीबदार फसलों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

(ग) महाराष्ट्र के एक बीज उत्पादक से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(घ) जैसा कि इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है उत्पादन में कमी के कारण इस बीज उत्पादक की 10 क्विन्टल की मांग के लिये केवल 2 क्विन्टल बीज सप्लाई किया जा सका।

(ङ) अब तक प्रयोगात्मक आधार पर केवल चुकन्दर के बीजों का उत्पादन ही शुरू किया गया है। अतः चुकन्दर के बीजों के लिए विशेष वितरण प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, बीजों के शीघ्र तथा उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सामान्य रूप से बीज वितरण हेतु राष्ट्रीय बीज निगम ने देश भर में स्थान-स्थान पर व्यापारियों तथा वितरकों को जाल बिछाने की व्यवस्था की हुई है। राष्ट्रीय बीज निगम के प्रादेशिक एककों तथा उप-एककों के 68 विक्रय केन्द्र खोले गये हैं और व्यापारियों के माध्यम से 491 विक्रय केन्द्रों की स्थापना की गई है।

फिल्म वित्त निगम को दी गई अतिरिक्त सहायता का उपयोग

4039. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के सिनेमा गृहों को पट्टे पर देने के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता किस तरीके से आवंटित की जायेगी और उन पट्टों की क्रमशः मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ख) फिल्म स्टुडियोज को आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए ऋण देने पर फिल्म वित्त निगम द्वारा कितना धन व्यय किया गया और उन फिल्म स्टुडियोज के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) फिल्म वित्त निगम को हाल ही में दिए गए 50 लाख रुपए के ऋण की राशि में से, 25 लाख रुपए, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली में चार सिनेमाघर लोज पर अधिग्रहण करने के लिए रखे गए हैं । इस बारे में निगम आजकल बम्बई तथा मद्रास के कुछ थियेटरों के मालिकों से बातचीत कर रहा है । सिनेमाघर अभी तक लीज पर प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए प्रस्तावित लीजों का ब्यौरा देना संभव नहीं है ।

(ख) निगम ने उपकरण खरीदने के लिए अभी तक जो ऋण मंजूर किए हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. मेसर्ज रिकार्डिंग सेन्टर, बम्बई	90,000 रुपए
2. मेसर्ज फिल्मालय, प्रा० लि०, बम्बई ।	95,000 रुपए
	1,85,000 रुपए

रिकार्डिंग सेन्टर को दिया गया 90,000 रुपए का समूचा ऋण ब्याज सहित वसूल हो चुका है । फिल्मालय प्रा० लि० के लिए मंजूर किया गया 95,000 रुपए का ऋण अभी उन्हें नहीं दिया गया ।

दिल्ली में क्रास-बार एक्सचज द्वारा सेवित टेलीफोनधारियों के निवासस्थानों पर मीटर लगाना

4040. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली टेलीफोन क्षेत्र में क्रांस-बार एक्सचेंजों द्वारा से वित्त टेलीफोनधारियों के निवास स्थानों पर अतिरिक्त अदायगी पर तथा तजुर्बे के तौर पर अलग-अलग मीटर लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में आठ रुपये तथा इससे अधिक मूल्य के पोस्टल आर्डरों की कमी

4041. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1970 के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह में दिल्ली के डाकघरों में 8 रुपये तथा इससे अधिक मूल्य के पोस्टल आर्डर उपलब्ध नहीं थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे पोस्टल आर्डरों के स्टाक पुन: उपलब्ध करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). दिल्ली सर्कल के कुछ उप-डाकघरों में 8 रुपये और इससे ऊपर के मूल्यवर्ग के पोस्टल आर्डरों की कुछ कमी थी, क्योंकि लेखा-परीक्षा कार्यालय से इनकी सप्लाई में कमी और विलम्ब हो गया था। भारतीय पोस्टल आर्डरों के लिए जो मांगपत्र भेजा गया था ; उसमें से बकाया सप्लाई प्राप्त होने पर सभी डाकघरों में पोस्टल आर्डरों के पर्याप्त स्टाक की व्यवस्था कर दी गई है।

नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट डाकखाने की रजिस्ट्री कराने की खिड़की पर असुविधा

4042. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मुख्य डाकखाने की उस खिड़की पर जहां लोग अपने पत्रों की रजिस्ट्री कराते हैं वहां लोगों को अपने पत्रों पर स्वयं रजिस्ट्री पत्र तथा क्रम संख्या के लेबल चिपकाने पड़ते हैं क्योंकि उस खिड़की पर कार्य करने वाला क्लर्क इसके लिये उन्हें मजबूर करता है ;

(ख) क्या उस खिड़की पर कार्य करने वाले क्लर्क को जनता से प्राप्त रजिस्ट्री पत्रों पर इन लेबलों के चिपकाने के लिये कोई चपरासी नहीं दिया गया है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इस काम के लिये काऊंटर क्लर्कों को चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सहायता अवश्य प्रदान की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार पत्रों के परिचालन की संख्या का बढ़ा-चढ़ा कर दिया जाना

4043. **श्री लताफत अली खां :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में कोई ऐसी घटना आई है जिससे भारत के किसी

समाचार-पत्र के परिचालन की संख्या पिछले तीन वर्षों में बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी परिचालन संख्या बढ़ा-चढ़ा कर दी है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). जी, हां । जिन समाचार-पत्रों के परिचालन संख्या के दावों में अतिश्योक्ति पाई जाती है उनके नाम भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्टों में दिए जाते हैं । इन रिपोर्टों की प्रतियां संसद् के दोनों सदनों की मेजों पर रखी जाती हैं । 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष की 'प्रेस इन इंडिया-1969 ' नामक 13वीं रिपोर्ट अगस्त, 1969 में लोक सभा की मेज पर रखो गई थी । आशा है वर्ष 1969 के विवरण को दर्शाने वाली चौदहवीं रिपोर्ट चालू अधिवेशन के दौरान ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

इस प्रकार के समाचार-पत्रों की परिचालन संख्या पुर्ननिर्धारित की जाती है तथा प्रकाशकों द्वारा ली गई अखबारी कागज की अधिक मात्रा उनके भावी कोटे में समंजित कर दी जाती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आर एस-09 ट्रैक्टरों के आयात के पूर्व उनकी विशिष्टियों के संबंध में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र से पत्र-व्यवहार

4044. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र से ट्रैक्टरों के आयात सम्बन्धी ठेके पर हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व सप्लाई करने वालों ने पहले के आर एस-09 ट्रैक्टर की विशिष्टियों जिसका बुदनी मध्य प्रदेश में जांच परीक्षण किया गया था और नवीनतम माडल जिसका निर्माण अब जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र में किया जा रहा था, के सम्बन्ध में तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या इन विशिष्टयों की तकनीकी जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सप्लाई करने वालों द्वारा भेजी गई सूचना जिसमें परिवर्तन के बारे में कहा गया था और तत्सम्बन्धी तकनीकी मतों की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) इन कागज पत्रों को सभा पटल पर रखना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

टेलीविजन का विकास तथा विस्तार कार्यक्रम

4045. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 26 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2498 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने देश में टेलीविजन-कार्यक्रम-प्रसार की जो अस्थायी योजना बनाई है

उसमें सम्मिलित किये गये 20 क्षेत्रीय मूल टेलीविजन केन्द्रों तथा 150 रिले-केन्द्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये टेलीविजन के विकास और विस्तार के कार्यक्रम की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) सरकार के अस्थायी कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के कौन-कौन से नगर सम्मिलित हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु०-गुजराल) : (क)से(ग). समूचे देश में टेलीविजन विस्तार की योजना का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है। सभी राज्यों तथा कुछ संघ प्रशासित क्षेत्रों में एक-एक मूल रूप से कार्यक्रम देने वाला प्रादेशिक केन्द्र तथा उपयुक्त संख्या में रिले केन्द्र होंगे। रिले केन्द्रों की संख्या कवर किये जाने वाले क्षेत्र / जन संख्या पर निर्भर करेगी ।

श्रीनगर, बम्बई, पूना, कलकत्ता, लखनऊ/कानपुर, मद्रास आदि में प्रस्तावित टेलीविजन केन्द्रों की प्रदर्शन क्षेत्र सीमा

4046. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर, बम्बई, पूना, कलकत्ता, लखनऊ/कानपुर तथा मद्रास आदि में स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक टेलीविजन केन्द्र की परियोजना की कुल लागत कितनी है तथा प्रत्येक पर अब तक अलग-अलग वस्तुतः कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र के लिए स्टूडियो के निर्माण तथा दूरदर्शन उपकरणों की स्थापना से सम्बन्धित अब तक अलग-अलग कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक केन्द्र के लिये किन देशों से टेलीविजन-उपकरण आयात किये जा रहे हैं, प्रत्येक केन्द्र पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी तथा क्या समस्त विदेशी उपकरण यहां भारत में अपने-अपने निश्चित स्थान पर पहुंच गये हैं, यदि नहीं, तो कब पहुंच जायेंगे; और

(घ) उक्त प्रत्येक टेलीविजन केन्द्र के चालू हो जाने पर उसकी प्रदर्शन क्षेत्र सीमा कितनी होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु०-गुजराल) : (क) प्रत्येक टेलीविजन केन्द्र की परियोजना पर कुल अनुमानित लागत इस प्रकार :

1. बम्बई/पूना	336.67 लाख रुपये
2. श्रीनगर	306.00 लाख रुपये
3. मद्रास	182.76 लाख रुपये
4. कलकत्ता	190.59 लाख रुपये
5. लखनऊ/कानपुर	300.33 लाख रुपये

इन परियोजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक व्यय इस प्रकार है :

1. श्रीनगर	9.82 लाख रुपये
2. बम्बई/पूना	12.57 लाख रुपये

मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ/कानपुर की परियोजना पर अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त केन्द्रों को स्थापित करने में अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है :

(1) **श्रीनगर**

स्टूडियो भवनों तथा ट्रांसमीटर स्थल को जाने वाली सड़क के निर्माण का कार्य चालू है। इस परियोजना के लिये अपेक्षित उपकरणों के आर्डर दे दिए गए हैं।

(2) **बम्बई/पूना**

स्टूडियो भवन तथा बम्बई टेलीविजन केन्द्र के लिए ट्रांसमीटर स्थान पर निर्माण कार्य चालू है। 300 मीटर ऊंचे टेलीविजन टावर बनाने का कार्य चालू है। पूना रिले केन्द्र के स्थान का चयन कर लिया गया है तथा उसे अधिग्रहण किया जा रहा है। बम्बई/पूना टेलीविजन केन्द्र के लिए उपकरण फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी की सरकार द्वारा भेंट रूप में दिए जाने हैं।

(3) **मद्रास**

टेलीविजन ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो के लिये स्थान का चयन कर लिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने उस भूमि को मुफ्त देना स्वीकार कर लिया है।

(4) **कलकत्ता**

स्थान का चयन किया जा रहा है।

(5) **लखनऊ/कानपुर**

टेलीविजन स्टूडियो लखनऊ में और रिले केन्द्र कानपुर के निकट बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिये स्थानों का चयन किया जा रहा है।

(ग) प्रस्तावित टेलीविजन केन्द्रों के लिये उपकरणों के आयात के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

श्रीनगर :

उपकरण फ्रांस, हालैंड, पश्चिम जर्मनी तथा जापान से आयात किए जा रहे हैं। अधिकांश उपकरण मैसर्स भारत एलेक्ट्रोनिक्स लि० की मार्फत आयात किए जाएंगे। इन पर 47 लाख 27 हजार रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी। उपकरणों के लिए आर्डर दिया गया है और उम्मीद है यह सितम्बर/अक्तूबर, 1971 में पहुंच जाएंगे।

बम्बई/पूना

इन परियोजनाओं के लिये उपकरण पश्चिम जर्मन द्वारा भेंट रूप में दिए जाएंगे। भेंट स्वरूप दिये जाने वाले इन उपकरणों की कुल लागत 113 लाख रुपये है। ये उपकरण जून, 1971 तक भारत पहुंच जाएंगे।

मद्रास :

उपकरणों के लिये अभी तक आर्डर नहीं दिया गया है। इन पर 56.34 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होगी।

कलकत्ता :

उपकरणों के लिये अभी तक आर्डर नहीं दिया गया है। इन पर 60.85 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होगी।

लखनऊ/कानपुर :

उपकरणों के लिये अभी तक आर्डर नहीं दिया गया है। इन पर 78.73 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होगी।

(घ) प्रत्येक टेलीविजन केन्द्र का प्रदर्शन क्षेत्र तथा ये कब तक चालू हो जायेंगे, यह नीचे दिया गया है :

टेलीविजन केन्द्र	प्रदर्शन-क्षेत्र	केन्द्र के कब तक चालू होने की सम्भावना है।
श्रीनगर	3900 वर्ग किलोमीटर	1971-72
बम्बई/पूना	16000 वर्ग किलोमीटर	1971-72
मद्रास	10400 वर्ग किलोमीटर	1973-74
कलकत्ता	11400 वर्ग किलोमीटर	1973-74
लखनऊ/कानपुर	27000 वर्ग किलोमीटर	1973-74

Code of Conduct for A. I. R. Programmes

4047. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to frame any code of conduct with regard to news bulletins and other programmes broadcast over the All India Radio ; and

(b) if so, the date by which it is likely to be brought into force?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir. AIR has a code governing the broadcast of talks.

(b) Does not arise.

अमरेली जिले के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये गुजरात को वित्तीय सहायता

4048. **श्री शंकर राव माने :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात के अमरेली जिले के प्राचीन काल से चले आ रहे सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिये 1.80 करोड़ रुपये की मन्जूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये गुजरात के 7 चुनिन्दा जिलों में अमरेली भी शामिल है। सन् 1970-71 से 1973-74 तक चार वर्ष की अवधि में प्रत्येक चुनिन्दा जिले में 2 करोड़ रुपये तक की राशि व्यय होने की सम्भावना है। सन् 1970-71

के दौरान अमरेली जिले में निम्नलिखित योजनाओं के लिये 40.20 लाख रुपये मन्जूर किये गये हैं :—

(क) लघु सिंचाई	19.00 लाख रुपये
(ख) भूमि संरक्षण	2.75 ,, ,,
(ग) वन क्षेत्र में वनों और चरागाह भूमि का विकास	2.46 ,, ,,
(घ) गोचर तथा चारा विकास	0.39 ,, ,,
(ङ) सड़कें	15.60 ,, ,,
कुल	40.20 लाख रुपये

केरल के समाचार-पत्रों में सरकारी विज्ञापन

4049. **श्री के० एम० अब्राहम :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में समाचार-पत्रों में अपने विज्ञापनों के प्रकाशन पर सरकार ने कुल कितनी राशि खर्च की है;

(ख) विज्ञापन-ब्यूरो के अगस्त, सितम्बर, 1970 के अन्तिम रिकार्ड के अनुसार इन समाचार-पत्रों की कितनी बिक्री होती है; और

(ग) केरल राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने केरल के समाचार-पत्रों को 1-4-1970 से 31-9-1970 तक की अवधि के दौरान कुल 3,47,539/- रुपये के मूल्य के विज्ञापन रिलीज किये।

(ख) समाचार-पत्रों के प्रकाशकों द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष की परिचालन संख्या का ब्योरा उन वार्षिक विवरणों में दिया जाता है जो उन्हें प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार को प्रतिवर्ष फरवरी के अन्तिम दिन तक भेजने होते हैं। अगस्त-सितम्बर, 1970 के महीनों की समाचार-पत्रों की परिचालन संख्या भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के पास इस समय उपलब्ध नहीं है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय मुख्यतया भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई परिचालन संख्या के आधार पर कार्रवाई करता है।

(ग) उन समाचार-पत्रों का एक विवरण संलग्न है जिनकी परिचालन संख्या 50,000 या इससे अधिक है।

विवरण

केरल

क्रम संख्या	पत्र का नाम और प्रकाशन स्थान	परिचालन संख्या
आवधिकता : दैनिक		
मलयालम		
1.	मलयाला मनोरमा, कोट्टयम	1,78,895
2.	केरल कौमुदी, त्रिवेन्द्रम	1,21,959
3.	मात्रुभूमि, कालीकट	1,21,572
4.	मात्रुभूमि, एर्नाकुलम	1,13,238
5.	मलयालम मनोरमा, कालीकट	67,685
आवधिकता : साप्ताहिक		
मलयालम		
6.	मलयाला मनोरमा, कोट्टयम	2,54,085
7.	मात्रुभूमि इलस्ट्रेटेड वीकली, कोजीकोड	1,18,945
8.	जनयुगम, क्वीलोन	56,965
आवधिकता : मासिक		
9.	सिनेमामासिका, कोट्टयम	53,374

सरकारी विभागों द्वारा अनुमति-पत्र विहीन कम्पनियों से कोयले की खरीद

4050. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभागों, विशेषत: सिंचाई तथा विद्युत विभाग ऐसी फर्मों से कोयला खरीद रहे हैं जिनके पास श्रम विभाग का अनुमति-पत्र नहीं है; और

(ख) क्या बहुत से सरकारी विभाग कोयला सीधे न खरीद कर विचौलियों की मार्फत ऐसी कम्पनियों से खरीदते हैं जिनके पास उचित प्रमाण-पत्र नहीं हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). सभी सरकारी विभागों को सूचित कर दिया गया है कि कोयले की खरीद केवल उन्हीं कोयला-खानों से करनी होगी जो ये प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं। ये अनुदेश मध्यस्थों द्वारा की गई कोयले की खरीद पर भी लागू होते हैं। यदि चूक के किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख किया जाता है, तो उस मामले की जांच की जा सकती है।

Financial Assistance to Madhya Pradesh

4051. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received any request from the Madhya Pradesh Government that the entire amount of rupees 100 crores provided in the Five Year Plan for the develop-

ment of drought affected or water lodged areas and for construction works in rural areas, or a part thereof, may be allotted to Madhya Pradesh ; and

(b) if so, reaction of Government thereto and the amount proposed to be given by the Central Government to the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. The Madhya Pradesh Government have requested that seven districts of the State, which are worst affected by scarcity, should be covered under the Rural Works Programme. The Rural Works Programme is designed to assist the chronically drought affected areas of the country by organising works of a long term productive nature.

(b) For coverage under the Rural Works Programme, districts have been selected on the basis of objective criteria such as incidence of rainfall, frequency and extent of occurrence of drought, intensity of dry farming and other relevant factors. On this basis, 4 districts have been selected in Madhya Pradesh. There is a total provision of Rs. 100 crores for this Programme over the four year period from 1970-71 to 1973-74. Each elected district is expected to get an amount up to Rs. 2 crores over the four year period. On this basis, an amount upto Rs. 8 crores will be available over the four year period for the 4 selected districts of Madhya Pradesh.

चिकित्सा सुविधाओं के लिये नियतन

4052. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा से लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिये नियतन 62 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा के चिकित्सा अधिकारियों ने इस कमी का इस आधार पर विरोध किया है कि इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं में भारी कमी हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर कमी की गई है और उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार उक्त कमी को फिर से पूरा करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना की व्यवस्था का सम्बन्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम से है, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित किया गया है। निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) 1-4-1970 से पहले कोई सीमा विद्यमान नहीं थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निर्णय किया है कि राज्य सरकारों के हिस्से को मिलाकर चिकित्सा लाभों पर खर्च की सीमा प्रति कर्मचारी 50 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए। यह सीमा चिकित्सा लाभ पर बांटे जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा के रूप में लागू होगी और यदि किसी वर्ष विशेष में किसी राज्य में वास्तविक खर्च 50 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़ जाता है, तो फालतू खर्च एकमात्र सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) दिल्ली को छोड़कर, विभिन्न राज्यों में इस योजना के अन्तर्गत काम करने वाले

चिकित्सा अधिकारियों से कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है। दिल्ली में चिकित्सा अधिकारियों ने डाक्टरी देख-रेख पर खर्च की सीमा को बढ़ाने का सुझाव दिया था।

(ग) निगम ने सीमा निश्चित करने का निर्णय किया, क्योंकि उसने यह पाया कि आय बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सीमा में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मणिपुर में खण्डसारी मिल की स्थापना

4053. **श्री एम० मेघ चन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मणिपुर में खण्डसारी मिल स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा उक्त योजना के स्वरूप का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मणिपुर सरकार सरकारी क्षेत्र में 60 मीटरी टन प्रतिदिन गन्ना पेरने की क्षमता की खण्डसारी मिल थौवल क्षेत्र में स्थापित करने का विचार कर रही है। इस पर 10.60 लाख रुपये की पूंजी लगेगी। केन्द्र शासित क्षेत्र में यह अपने किस्म की पहली मिल होगी। उक्त क्षेत्र की चीनी की आवश्यकताएं इस समय अधिशेष राज्यों से आयात कर पूरी की जाती हैं। अतः प्रस्तावित मिल में उत्पादित खण्डसारी चीनी की बिक्री में किसी प्रकार की कठिनाई होने की आशा नहीं की जाती है। मिल के प्रस्तावित स्थान के इर्द-गिर्द लगभग 5,000 एकड़ भूमि में पहले ही गन्ने की खेती हो रही है जहां गन्ने की प्रति एकड़ उपज अनुमानतः लगभग 20 मीटरी टन है। इस क्षेत्र से प्रस्तावित मिल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त गन्ना मिलेगा। बिजली की सप्लाई को पूरा करने के लिए उक्त मिल के पास अपना जेनरेटिंग सेट होगा। तैयार हो जाने पर, इस परियोजना से 200 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। कारखाने की स्थापना राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर के निर्देशन में होगी।

निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर ने स्थान और क्षेत्र का निरीक्षण करने के उपरान्त परियोजना-रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें परियोजना की व्यवहार्यता और उसके लाभालाभ का उल्लेख किया गया है। परियोजना सम्बन्धी 10.60 लाख रुपये के व्यय को पहले ही प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। भवन के नक्शों और ले-आऊट आदि की व्यवस्था राष्ट्रीय शर्करा संस्था ने की है। भवन का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है। मणिपुर सरकार ने परियोजना हेतु मशीनरी और उपकरण की खरीदारी करने के लिए एक टेन्डर इनक्वायरी जारी की थी लेकिन कोई टेन्डर स्वीकार नहीं किया जा सका और मणिपुर प्रशासन ने फिर टेन्डर मंगवाने का फैसला किया था। यह किया जा चुका है और टेन्डर प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 26 दिसम्बर, 1970 है।

Irrigation Facilities in Bundelkhand

4054. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether economic position of the farmers in Bundelkhand is still very bad ;

(b) whether the economic position of farmers of Banda in the above area is worse ;

(c) whether it is because of the accute shortage of irrigation facilities in these areas ; and

(d) if so, whether Government propose to provide irrigation facilities there by drilling wells etc. in the above areas ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. The economic position of the farmers in the Bundelkhand region of U. P. is improving because of development programmes being taken in the region.

(b) The economic position of the farmers in Jhansi and Jalaon districts of the Bundelkhand region is comparatively better than in Hamirpur and Banda Districts.

(c) Irrigation facilities available in the Bundelkhand region amount to about 20% of the net sown area as compared to 36% for the whole of the State.

(d) The State Government has fixed a target for construction of 28,700 masonary wells, installation of 20,000 pump sets and 4,625 private tubewells in the Bundelkhand region during the Fourth Plan. Three districts, namely Banda, Hamirpur and Jalaon of the Bundelkhand region, are being covered under the Centrally sponsored programme of Rural Works. Additional irrigation facilities will be provided under this programme. The Central Ground Water Board under the Ministry of Food and Agriculture has been carrying out exploratory drilling in lower Bundelkhand region where the geohydrological investigations undertaken by the G. S. I. have indicated some scope for constructing tubewells. Production tubewells are proposed to be constructed in the areas which are proved to be groundwater worthy as a result of exploratory drilling.

Irrigation by Tubewells and Pumping Sets in Areas where Underground Water is Available in U. P.

4055. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the area, out of the total agricultural land in U. P., where underground water is available and the area out of that which is being irrigated by tube-wells and pumping sets ; and

(b) whether with regard to exploitation of the underground waters, Uttar Pradesh is the most backward State and if so, the efforts being made by Government to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The total cultivable land in Uttar Pradesh is about 21 million hectares. It is expected that it will ultimately be possible to irrigate about 6.5 million hectares from groundwater resources in the State. The area being irrigated at present by wells/tubewells, pumpsets etc. is assessed as about 3.8 million hectares.

(b) No, Sir. In ground water exploitation U. P. is one of the leading States accounting for about 30% of the total irrigation from groundwater in the country as a whole. The efforts being made for further exploitation of groundwater on an expanded scale include : (a) setting up a hydrogeological organisation in the State for evaluating groundwater development schemes and providing technical guidance to the farmers ; (b) providing drilling and boring facilities to the cultivators departmentally, in addition to those provided by the private contractors ; (c) increasing mobilisation of institutional finance from such sources as the land development banks, Commercial Banks central cooperative banks, Agro Industries Corporation, Agricultural Refinance Corporation etc. ; and (d) accelerating the programme of energisation of pump sets.

तमिल नाडु में कृषि सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक के एक दल का दौरा

4056. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का चार सदस्यीय दल तमिल नाडु में वहां के जिलों की कृषि संबंधी समस्याओं तथा लघु सिंचाई और कृषि विकास सम्बन्धी योजनाओं का अध्ययन करने आया था;

(ख) यदि हां, तो उनके इस दौरे का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। विश्व बैंक के 4 सदस्यों के दल ने तमिल नाडु में फार्म पर लघु सिंचाई और यन्त्रीकरण विकास की एक कृषि ऋण परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में इस राज्य का दौरा किया था।

(ख) विश्व बैंक ने अभी तक भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं दी है कि वे इस परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था करेंगे या नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता। उपरोक्त (ख) के बारे में विश्व बैंक से जानकारी प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

मध्य प्रदेश सरकार को लघु सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता

4057. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार को उस राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1969-70 और 1970-71 में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति में कहां तक प्रगति हुई है तथा 1969-70 में कितने नलकूप लगाये गये, कितनी उठाऊ सिंचाई योजनाओं में धन लगाया गया तथा कितने सिंचाई पम्प चालू किये गये और 1970-71 के लिये इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) इन योजनाओं के परिणामस्वरूप कुल कितने एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है तथा लाई जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) प्रचलित प्रतिमान के अनुसार केन्द्रीय सहायता किसी विशेष कार्यक्रम/योजना से सम्बन्धित नहीं होती। यह सहायता केन्द्र द्वारा समग्ररूप से वार्षिक योजना के लिए सामूहिक ऋण और अनुदान के आधार पर उपलब्ध की जाती है। किसी विशेष राज्य प्लान स्कीमों के लिए रकम अलाट करने का कार्य मुख्यतः राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः लघु सिंचाई जैसी विशेष योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं होता।

राज्य सरकार ने 1969-70 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं पर प्लान क्षेत्र की निधि से 6.18 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। सन् 1970-71 वर्ष का प्रत्याशित व्यय 6.62 करोड़ रुपये है।

(ख) सन् 1969-70 के दौरान कितने नलकूप लगाये गये, कितनी उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं में धन लगाया गया और कितने सिंचाई-पम्पों को बिजली दी गई, इस सम्बन्ध में की गई प्रगति और 1970-71 के निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

योजना	1969-70 उपलब्धि	1970-71 लक्ष्य
लगाये गये नलकूप	401	525
उठाऊ सिंचाई परियोजनायें (सहकारी) जिनमें धन लगाया गया	3	45
पम्पों की संख्या जिनके लिए बिजली दी गई।	22,000	25,300

(ग) इनके अतिरिक्त 1969-70 के दौरान समस्त लघु सिंचाई योजनाओं से लगभग 1.87 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचा है और आशा है 1970-71 के दौरान लगभग 2.47 लाख एकड़ क्षेत्र को लघु सिंचाई के अन्तर्गत लाया जायेगा।

अच्छी किस्म की ऊन के लिये भेड़ पालन कार्यक्रम

4058. **श्री मधु लिमये : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में उच्च श्रेणी की ऊन के लिये भेड़ पालन का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में भेड़ सुधार कार्य के लिये उपयुक्त प्रजनन नीति के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति गठित की थी। इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया और केन्द्रीय भेड़ विकास परिषद् ने अप्रैल, 1970 में हुई बैठक में इसे अपना लिया। अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने सिफारिश की है कि अच्छी ऊन के लिए प्रसिद्ध भारतीय नस्लों का श्रेणीकरण किया जाये और स्थानीय भेड़ों का विशेषकर उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्रों तथा देश में अच्छी किस्म की ऊन के उत्पादन के लिये उपयुक्त राज्यों में विदेशी मेरिनो नस्ल की भेड़ों के साथ संकरण किया जाये। समिति के प्रतिवेदन में प्रजनन कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिये राज्यों का मार्गदर्शन भी किया गया है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भेड़ों के और उन्नयन के लिये भेड़ प्रजनन फार्मों में श्रेष्ठ स्टड भेड़ों की वृद्धि की भी व्यवस्था है। आस्ट्रेलिया की सहायता से हिसार (हरियाणा) में कौरिडेल भेड़ों पर आधारित एक केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित किया जा रहा है, जो कि राज्यों के प्रजनन कार्यक्रमों के लिये शुद्ध नस्ल के कौरिडेलों की आपूर्ति करेगा। फार्म भेड़ पालन तथा प्रजनन कार्यक्रमों की व्यवस्था में राज्यों के कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधायें भी प्रदान करेगा।

एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 7 विशाल भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना का निश्चय किया गया है। ये फार्म विभिन्न क्षेत्रों में भेड़ प्रजनन कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त सीमा

तक स्टड मेढ़ों की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे । विदेशी भेड़ों का आयात मुख्यतः स्थानीय भेड़ों के उन्नयन के लिये शुद्ध प्रजनन स्टाक उपलब्ध करने की दृष्टि से किया जा रहा है ।

एक जोरदार योजना के अन्तर्गत निरन्तर रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों का चयन

4059. **श्री मा० सुदर्शनम : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्राकृतिक रूप से दीर्घकालिक उपादिकता को एक जोरदार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में निरन्तर रूप से सूखाग्रस्त कुछ क्षेत्रों का चयन किया है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : चौथी योजना के दौरान ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिये विभिन्न राज्यों में बार बार सूखे से प्रभावित होने वाले 53 जिले चुने गये हैं (सूची अनुबन्ध में है) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4536/70]**। यह कार्यक्रम, दीर्घावधि उत्पादन वर्द्धक कार्यों को संगठित करके जो श्रम प्रधान कार्य भी हैं, ऐसे क्षेत्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है, ताकि कुछ समय पश्चात आपात प्रभाव सम्बन्धी राहत उपायों से बचा जा सके ।

दिल्ली के चिड़ियाघर के कर्मचारियों के लिए आवास सम्बन्धी सुविधाएं

4060. **श्री म० ला० सोंधी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में चिड़ियाघर के उन कर्मचारियों के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था करने हेतु कोई कार्यवाही की है, जो कि गत बीस वर्षों से झुग्गियों में रह रहे हैं तथा जो कुछ समय पूर्व विनाशकारी आग से तबाह हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) राज्य मंत्री द्वारा आग से तबाह हुए व्यक्तियों को दिए गए आश्वासन पर कि उसी स्थान पर उनके लिए शीघ्र ही पक्के आवास की व्यवस्था की जायगी, तत्काल कार्यवाही न करने तथा इसमें हुये विलम्ब के कारणों की जांच करवाई गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां, निम्नलिखित कदम उठाए गए है :

(i) इस वर्ष पार्क के परिसर में टाइप 1 के 10 क्वाटर बनाने का प्रस्ताव है ।

(ii) भारत सरकार अग्नि-पीड़ित व्यक्तियों को केन्द्रीय पूल 'से बिना पारी के क्वाटर' देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(iii) अग्नि-पीड़ित व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि वे निम्न आय ग्रुप आवास योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लेटों के आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र भेजें ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में 10 क्वाटरों का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है । भारत सरकार की आवश्यक प्रशासनिक तथा खर्च सम्बन्धी स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है ।

(ग) आग लगने के स्थान के समीप केवल अग्नि पीड़ित व्यक्तियों के लिए ही आवास की व्यवस्था करने का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया और जैसा कि ऊपर (क) में लिखा गया है, विस्तृत प्रबन्ध किए जा रहे हैं । अतः जांच करने का प्रश्न ही नहीं होता ।

पंजाब में टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्रों की स्थापना

4061. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने वाला केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन सा स्थान चुना गया है तथा इसकी कब तक स्थापना हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० क० गुजराल): (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों में सुविधाओं की व्यवस्था करना

4062. **श्री बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बीस वर्षों में दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों में पट्टे की कुल कितनी राशि एकत्रित की गई ;

(ख) इसमें से कितने धन का उपयोग शरणार्थी बस्तियों के सुधार के लिए किया गया तथा कितना अभी सरकार के पास पड़ा है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के कतिपय शरणार्थी बस्तियों को अपने अधिकार में नहीं लिया है क्योंकि उनके मंत्रालय ने वहां समुचित सेवाएं प्रदान नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार शरणार्थी बस्तियों से प्राप्त धन का उपयोग वहां की सेवाओं में सुधार करने तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) अक्तूबर, 1970 तक, पुनर्वास विभाग ने 82.39 लाख रुपए की धन-राशि पट्टे के धन के रूप में वसूल की है । इस राशि में, निर्माण, आवास और नगरीय विकास विभाग के भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा वसूल की गई धन राशि शामिल नहीं है ।

(ख) पट्टे की रकम का पुनर्वास बस्तियों में सुधार लाने के लिये प्रयोग नहीं किया जाना था और इसलिए इस प्रकार की रकम में से किसी राशि के खर्च किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पुरानी कालकाजी बस्ती के कुछ भाग, जो कि 'कालकाजी एकस्टेन्शन' और एल, एम तथा एन ब्लाक कहलाता है, और गीता कालोनी एकस्टेन्शन के अतिरिक्त, दिल्ली में पुनर्वास विभाग द्वारा विकसित की गई प्रायः सभी बस्तियां, सेवाओं के बनाए रखने के प्रयोजन के लिए, दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी गई है । स्थानीय निकाय ने इन कुछ स्थानों की

सेवाओं को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उनके विचार में इन स्थानों की सेवाएं निर्दिष्ट स्तर की नहीं है ।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लौह अयस्क उद्योग के कर्मचारियों के लिये उड़ीसा के क्योंझर जिले में अस्पताल का निर्माण

4063. **श्री गु० च० नायक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में जोड़ा में 50 पलंगों की क्षमता वाले क्षेत्रीय अस्पताल की इमारत तथा जरोरी में 10 पलंगों की क्षमता वाले क्षेत्रीय अस्पताल की इमारत के निर्माण के लिये जनवरी, 1970 में स्थान का चुनाव कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क के उद्योग कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त अस्पतालों की बनाई जाने वाली इमारतों के निर्माण में देरी किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) प्रत्येक अस्पताल की इमारत की उपकरणों सहित क्या अनुमानित लागत होगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) उड़ीसा की कच्चा लोहा खान श्रमिक कल्याण सलाहकार समिति ने 15 जनवरी, 1970 को हुई अपनी बैठक में जोड़ा में 50 पलंगों की क्षमता वाले क्षेत्रीय अस्पताल और जरोरी में 10 पलंगों की क्षमता वाले क्षेत्रीय अस्पताल के लिये स्थान अनुमोदित कर दिए हैं ।

(ख) पहले तैयार की गई योजनाओं और प्राक्कलनों में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के सुझावों के अनुसार संशोधन किया जा रहा है ।

(ग) जोड़ा के 50 पलंगों वाले अस्पताल के मामले में भवनों के निर्माण की अनुमानित लागत 4,21,000 रुपये आती है और जरोरी के 10 पलंगों वाले अस्पताल के मामले में 1,52,000 रु० ।

जहां तक उपकरणों और कर्मचारियों के क्वार्टरों का सम्बन्ध है, अनुमानों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

दिल्ली की टेलीफोन निर्देशिका में राज्य सभा के सदस्य के रूप में जाली नाम का शामिल किया जाना

4064. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की टेलीफोन निर्देशिकों के नवीनतम संस्करण में श्री बृज बिहारी लाल नामक एक व्यक्ति ने अपना नाम राज्य सभा के सदस्य के रूप में दर्ज करवा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है ; और

(ग) इस त्रुटि के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि यह गलती उस गलत सूचना के कारण हुई जो कि उपभोक्ता ने डायरेक्टरी में उपभोक्ताओं के नामों को ठीक ढंग से क्रमबद्ध करने वाले कर्मचारी को दी थी । यह सूचना उपभोक्ता द्वारा जबानी दी गई थी जिसे टेलीफोन क्लर्क ने उस पर भरोसा करके मंजूर कर लिया था । कर्मचारी के विरुद्ध तो किसी किस्म की कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है, किन्तु ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से मौजूदा पद्धति की खामियों को दूर करने के लिए महाप्रबन्धक कदम उठा रहे हैं ।

कृषि सम्बन्धी फिल्मों को क्षेत्रीय भाषाओं में रूपान्तरित करना

4065. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि पर आदेशात्मक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी फिल्मों को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में रूपान्तरित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी फिल्मों के रूपान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) . कृषि पर निर्देशात्मक तथा प्रशिक्षणात्मक फिल्में केवल हिन्दी या अंग्रेजी में बनाई जा रही हैं । आवश्यकतानुसार उनको कभी-कभी प्रादेशिक भाषाओं में भी डब किया जाता है । कृषि पर कई निर्देशात्मक फिल्में प्रादेशिक भाषाओं में डब की गई हैं ।

छोटे खेतों के लिए उपर्युक्त एक नवीन बहुउद्देशीय विद्युत-चालित हल का विकास

4066. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री जागेश्वर यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के एक इंजीनियर ने एक नवीन बहुउद्देशीय विद्युत-चालित हल का डिजाइन बनाया है जो कि छोटे खेतों के लिए उपर्युक्त है ;

(ख) यदि हां, तो डिजाइन बनाने वाले का नाम क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस हल की उपयोगिता के बारे में सन्तुष्ट है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन हलों का निर्माण वाणिज्यिक आधार पर करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय को ऐसे किसी उपकरण के बारे में पता नहीं है। फिर भी, मैसर्स कृषि इंजिन्स, हैदराबाद के श्री बी० आर० रेडी ने एक शक्ति चालित टिल्लर का उत्पादन आरम्भ किया है जिसके निर्माण के लिए 1963 में लाइसेंस दिया गया था। उपरोक्त फर्म 1965 से अब उपरोक्त उपकरण का उपयुक्त औजारों सहित निर्माण कर रही है।

(ख) से (घ). उपरोक्त (क) में दिए उत्तर को देखते हुये, प्रश्न नहीं होता।

ठेका सम्बन्धी दायित्वों का पालन न करने के कारण धन की वसूली करना

4067. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में खाद्य विभाग/भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने टेंडर स्वीकृत होने के उपरान्त ठेका सम्बन्धी दायित्वों का पालन नहीं किया तथा जिनसे खाद्य विभाग/भारतीय खाद्य निगम ने उनके द्वारा ठेका सम्बन्धी दायित्वों का पालन न करने पर जोखिम तथा लागत के कारण धन वसूल करने का निर्णय किया है ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे उक्त वसूली अब तक नहीं की गई है तथा उन अधिकारियों के नाम क्या है जिनके कारण वसूली में विलम्ब किया जा रहा है तथा उन फर्मों से ऐसी वसूली करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि अनुसन्धान के बारे में चल-चित्रों के निर्माण

4068. **श्री नि० रं० लास्कर** :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी चलचित्रों के सम्बन्ध में चलचित्रों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इसके क्या कार्य होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। कृषि पर अनुदेशनात्मक और अनुसन्धान सम्बन्धी फिल्मों की प्रगति की संवीक्षा के लिए कृषि विभाग में एक समिति स्थापित की गई है।

(ख) कृषि विभाग के अपर सचिव इस समिति के अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्य सचिव, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ; संयुक्त आयुक्त (विस्तार और प्रशिक्षण) सूचना तथा

प्रसारण मंत्रालय के कृषि विभाग में स्थिति जन सम्पर्क निदेशक ; विस्तार निदेशालय के फार्म सूचना, निदेशक ; और फिल्म प्रभाग एकक दिल्ली के प्रौड्यूसर। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रवर अधिकारियों की बैठकों में नियमित रूप से आमन्त्रित किया जाता है।

(ग) यह समिति प्रोडक्शन कार्यक्रम के पहलुओं पर सलाह देती है और साथ ही साथ समय समय पर कृषि पर अनुदेशात्मक और अनुसन्धान सम्बन्धी फिल्मों की प्रगति की संवीक्षा भी करती है।

श्रम आयुक्तों का सम्मेलन

4069. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में 9 मार्च, 1970 को राज्य तथा केन्द्रीय श्रम आयुक्तों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) राज्य तथा केन्द्रीय श्रम आयुक्तों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 9 और 10 नवम्बर, 1970 को हुआ था, न कि 9 मार्च, 1970 को।

(ख) सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें केन्द्रीय और राज्य औद्योगिक सम्पर्क, दर्जे के अधिकारियों में सम्पर्क, सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्ध, समझौता कार्यवाही के लिये भेजने योग्य विवाद और समझौता अधिकारियों द्वारा उनका निपटान, समझौता अधिकारियों का पंचों के रूप में काम करना, श्रमिकों की देय-राशियों की वसूली और श्रम-आंकड़ों में सुधार शामिल हैं।

Proceeds from Commercial Broadcasts over A.I.R.

4070. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minster of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total revenues from commercial broadcasts of the All India Radio during the last 5 months ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in future to make the Commercial Broadcasting Service more energetic ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The gross income from commercial service during the five months ending September, 1970, was Rs. 1,07,17,835.

(b) The Commercial Broadcasting Service of All India Radio is working satisfactorily, but its working is under constant review.

Credit Provided by Film Finance Corporation for Development of films

4071. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the total amount of credit provided by the Film Finance Corporation for development of films during the last two years?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : The amount of loan advanced by the Film Finance Corporation during the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 (up to Novem-30, 1970) is as under :—

Year	Amount of loan advanced
	Rs.
1968-69	19,06,358
1969-70	17,36,893
1970-71 (Up to 30-11-70)	7,03,800

भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

4072. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विभिन्न कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस भेजने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भविष्य निधि संगठनों के कर्मचारियों की यह सर्वसम्मत मांग है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) . कर्मचारियों के संगठनों ने मांग की है कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों को वापस भेजा जाए। सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया गया है कि जैसे ही संगठन के अधिकारी आवश्यक अर्हता और अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे वे इस समय प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा भर्ती किए गए पदों पर नियुक्ति के अधिकारी हो जाएं, तैसे ही ये पद विभागीय अधिकारियों की उन्नति द्वारा भरे जायेंगे, परन्तु ऐसा न होने तक केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की पद्धति जारी रहेगी।

राजनयिक दलों द्वारा भूमि राजस्व का वसूल किया जाना

4073. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री राजनीतिक दलों द्वारा भूमि राजस्व के वसूल किये जाने के बारे में 27 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा है ।

केरल विश्वविद्यालय में समुद्रीय जीव-विज्ञान संबंधी अनुसंधान कार्य

4074. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री केरल विश्वविद्यालय के समुद्रीय जीव विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान कार्य के बारे में 27 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 656 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केरल विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि वेस्टीफाइड कालेज, लन्दन के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर जी० ई० फोग्ग ने कोचीन में विश्वविद्यालय के समुद्रीय जीव विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान विभाग में चार सप्ताह व्यतीत किये थे । किन्तु, उन्होंने विश्वविद्यालय की त्रिवेन्द्रम में स्थित समुद्रीय जेब प्रयोगशाला तथा जल जीवशाला का दौरा नहीं किया । प्रोफेसर फोग्ग का प्रतिवेदन वाह्‌य निरीक्षणों पर आधारित है तथा तथ्यों को स्पष्टतः समझे बिना प्रस्तुत किया गया है । अतः विश्वविद्यालय का विचार है कि उपर्युक्त प्रतिवेदन को भारत में समुद्रीय जैविक कार्य के किसी विशेषज्ञ की अधिकृत रिपोर्ट के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए ।

यह कहना ठीक नहीं है कि उपलब्ध अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है । जहां तक केरल विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान अनुसंधान पोत का प्रश्न है, इसने केरल तट के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि के समुद्र विज्ञानीय सर्वेक्षण का बहुत अच्छा कार्य किया है और इसका प्रयोग गत 13 वर्षों में समुद्र विज्ञानीय जांच पड़तालों में विद्यार्थियों तथा अनुसंधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में भी किया गया है । फिर भी, हाल ही में इस प्रकार का भी एक प्रस्ताव था कि मरम्मत आदि पर अत्यधिक व्यय के कारण इस पोत को रद्द कर दिया जाये और एक बड़ा जहाज लिया जाये, जोकि तटवर्ती ही नहीं बल्कि तट से दूरवर्ती जांच पड़तालों के भी उपयुक्त होगा ।

कुपोषण की समस्या के निवारण के लिए उपाय

4075. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री कुपोषण की समस्या के निवारण के लिए उपाय के बारे में 13 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2747 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). संबंधित एजेन्सियों से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापकों का वर्गीकरण

4076. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे अध्यापक औद्योगिक कर्मचारियों अथवा तकनीकी अध्यापकों की श्रेणी में आते हैं ; और

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे अध्यापकों के लिये आधार संहिता क्या है तथा उन्हें सौंपे गये कार्य क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे अधिकारी न तो औद्योगिक कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं और न ही तकनीकी अध्यापकों की। ये सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें आम तौर पर अनुदेशन कार्य पर लगे कर्मचारी कहा जाता है।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशन कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के अधिशासित होते हैं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के काम को प्रभावपूर्ण ढंग से चलाने के लिए आम तौर से उन्हें अनुदेशन का कार्य सौंपा जाता है।

उड़ीसा में धान तथा चावल के मूल्य निर्धारित करने के लिए विशेष विवरण निश्चित करना

4077. **श्री स० कुन्दू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चावल तथा धान के मूल्य निर्धारित करने के लिए इनके कोई विशेष विवरण निश्चित करती है और यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उड़ीसा में चावल तथा धान का जो व्यापार किया जाता है उसके लिए सामान्य तौर पर तथा विशेष तौर पर स्वीकार करने और रद्द करने की सीमाओं के अर्थ क्या हैं ;

(ग) उड़ीसा से प्राप्त किए जाने वाले आय, मध्यम, बढ़िया और बहुत बढ़िया चावलों में टूटा चावल, दड़ा चावल, वाह्य पदार्थों, दड़ा रेड ग्रेन आदि के लिये कितने प्रतिशत की अनुमति है ; और

(घ) क्या घटिया किस्म का चावल सप्लाई किये जाने के बारे में उड़ीसा को वालासरू सम्मबलपुर और मयूरगंज जिलों से कोई आरोप प्राप्त हुए हैं और घटिया किस्म के चावल की सप्लाई को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। उड़ीसा में चावल और धान की खरीदारी संबंधी निर्दिष्टियां संलग्न हैं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4537/70.]**

(ख) सहन-सीमाएं वे हैं, जोकि एक जैसी निर्दिष्टियों में विभिन्न प्रकार के कूड़ाक्कर्कट

के संबंध में निर्धारित की जाती है और उस सीमा तक स्टाक बिना किसी किस्म सम्बन्धी कटौती के उचित औसत किस्म के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है । अस्वीकृति-सीमाएं वे हैं जोकि एक जैसी निर्दिष्टियों में विभिन्न प्रकार के कूड़ाकर्कट के बारे में निर्धारित की जाती हैं और उस सीमा तक स्टाक प्रत्येक मद के सामने निर्दिष्टि दरों पर किस्म-कटौती सहित स्वीकार कर लिया जाता है ।

(ग) चावल को पांच वर्गों में बांटा जाता है अर्थात् लम्बा बारीक चावल, छोटा बारीक चावल और मध्यम बारीक चावल जोकि बारीक चावल वर्ग के अंतर्गत आते हैं और लम्बा मोटा चावल व छोटा मोटा चावल मोटे चावल वर्ग के अंतर्गत आते हैं । बारीक चावल और मोटे चावल के लिए अलग-अलग निर्दिष्टियां निर्धारित की जाती हैं । इन निर्दिष्टियों में टोटा चावल, विजातीय पदार्थ आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कूड़ेकर्कट की प्रतिशतता का उल्लेख किया जाता है । उत्तर के भाग (क) के संबंध में उनकी प्रति संलग्न है ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

कटक और भुवनेश्वर में टैलेक्स सेवा

4078. **श्री स० कुन्दू :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों तथा अन्य लोगों को कलकत्ता और भुवनेश्वर में टैलेक्स सेवा प्रदान करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह सेवा कब प्रदान की जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार बिभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) कटक में 50 लाइनों का एक टैलेक्स दिसम्बर, 1970 के दौरान चालू किये जाने के लिए तैयार है । भुवनेश्वर में भी 50 लाइनों के एक टैलेक्स एक्सचेंज का कार्यक्रम बनाया गया है । आशा है कि यह 1971-72 के अन्त तक चालू कर दिया जाएगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रिहेबिलीटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन

4079. **श्री स० कुन्दू :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहेबिलीटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन की वर्तमान गतिविधियों का ब्यौरा क्या है, इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था तथा यह कब स्थापित की गई तथा इसका वित्तीय परिव्यय क्या है ;

(ख) क्या उक्त कारपोरेशन ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है और यदि नहीं, तो इसके विस्तार के लिये क्या कार्य-क्रम हैं ;

(ग) क्या कारपोरेशन के कर्मचारियों को, काम की मांग किये जाने पर, काम नहीं दिया जाता है ;

(घ) कारपोरेशन को लाभप्रद बनाने के लिये तथा कर्मचारियों को पर्याप्त काम देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) अब तक कारपोरेशन को कितनी हानि हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) गैर सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करके, और स्वयं अपने औद्योगिक एकक स्थापित करके, पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अधीन पुनर्वास उद्योग निगम, कलकत्ता की 1959 में स्थापना की गई थी।

निगम का वित्तीय परिव्यय नीचे दिया गया है :—

(i)	अधिकृत पूंजी	5 करोड़ रुपये
(ii)	प्रदत्त पूंजी (जो 31-3-1970 तक पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई है)	3.03 करोड़ रुपये
(iii)	केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये गये ऋण (31-3-1970 तक)	3.46 करोड़ रुपये

(ख) निगम द्वारा अब तक 5728 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया है। निगम के सीमित संसाधनों और पश्चिम बंगाल में श्रमिक स्थिति के फलस्वरूप, किसी विस्तार कार्यक्रम को हाथ में लेना संभव नहीं हो पाया है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(घ) औद्योगिक तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनका रूप निर्धारण करने में सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी, 1968 में स्थापित पुनर्वास बोर्ड के विचारार्थ विषयों में एक विषय पुनर्वास उद्योग निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देना था। पुनर्वास बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसमें जो सिफारिशें की गई हैं वे भारत सरकार के विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, निगम के घाटे के एककों की "इन प्लान्ट स्टडी" करने और उनको वाणिज्यिक दृष्टि से योग्य बनाने के उपाय खोजने का प्रस्ताव है।

(ङ) 31-3-1970 तक 210.33 लाख रुपये।

फिल्म परिषद की स्थापना

4080. **श्री स० कुन्दू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म परिषदों की स्थापना का निर्णय किया है, यदि हां तो, उसके गठन का ब्यौरा और उसकी क्रियाकलापों का कार्यक्षेत्र क्या है ;

(ख) सरकार इसको कब और कैसे कार्यान्वित कर रही है ;

(ग) क्या फिल्म उद्योग में रोजगार एवं कार्य की स्थिति को नियमित करने के लिये कोई विधेयक लाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० क० गुजराल): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार सांविधिक फिल्म परिषद की स्थापना के विवरण पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार का फिल्म उद्योग में कर्मचारियों के लिए रोजगार की स्थिति को विनियमित करने के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव भी है। अन्य बातों के साथ-साथ, इस विधेयक में फिल्म निर्माण तथा फिल्म प्रोसेसिंग के काम में लगे कर्मचारियों को पंजीकृत करने एवं लाइसेंस देने, काम के घण्टे तथा स्त्रियों एवं बच्चों को काम पर लगाने को विनियमित करने, विश्राम घरों का प्रबन्ध करने तथा नियमित कर्मचारियों के लिए ग्रेच्यूटी देने, आदि की व्यवस्था होगी।

डाक तथा तार सर्किल में कार्य कर रहे अंशकालिक कर्मचारियों के वेतनों का निर्धारण

4081. **श्री पी० विश्वम्भरन : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार के महानिदेशक ने वर्ष 1969 में सभी डाक तथा तार सर्किलों को विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों के वेतनों को पुनः निर्धारण करने का निदेश देते हुए आदेश जारी किये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सारे डाक तथा तार सर्किलों में अंशकालिक कर्मचारियों के वेतनों का पुनरीक्षण निर्धारण किया गया था ;

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके वेतन तथा भत्ते इस वेतन पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप कम हो गये हैं ; और

(घ) केरल सर्किल में ऐसे अंशकालिक डाक तथा तार कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके वेतन तथा भत्ते वर्ष 1969 में कम कर दिये गये थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में कपास के उत्पादन में वृद्धि

4082. **श्री शशि भूषण : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में देश में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है ; और

(ख) उस प्रदेश में कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष फार्मों की स्थापना और कपास के बीज की अधिक परिष्कृत किस्म बनाने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) कपास की श्रेष्ठ किस्मों के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना का एक उप-केन्द्र खंडवा के निमाड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया है ।

कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिये राज्य तथा केन्द्र दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत इस क्षेत्र में विशेष योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में कर्मचारियों की यूनियनों की संख्या

4083. **श्री शशि भूषण** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्रों के कर्मचारियों की कितनी यूनियनें हैं तथा उनके कितने सदस्य हैं; और

(ख) क्या कर्मचारियों की यूनियनों की कुछ मांगों पर सरकार विचार कर रही है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनपर सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी के कर्मचारियों को दो संस्थायें ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत हैं जिनके नाम ए० आई० आर० स्टाफ आर्टिस्ट्स यूनियन और ए० आई० आर० ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड हैं । श्रम मंत्रालय द्वारा प्रमाणित उनकी सदस्य संख्या 1 मार्च, 1969 को क्रमश: 1094 और 765 थी ।

(ख) इन यूनियनों ने अपनी मांगों की सूचियां इस वर्ष के प्रारम्भ में दी थीं । प्रत्येक मांग पर की गई कार्यवाही/कार्रवाई की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०- 4538/70]**

मालवीय नगर नई दिल्ली में मकानों के लिये अलाटियों द्वारा पूरा भुगतान न किया जाना

4084. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री मालवीय नगर, नई दिल्ली में मकानों के लिये अलाटियों द्वारा पूरा भुगतान न किये जाने के बारे में 6 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1703 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक पुन: अधिगृहीत की गई तथा नीलाम की गई सम्पत्ति की संख्या तथा

उनका अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिसमें मूल अलाटी मर गये तथा प्रतिस्थापन कार्यवाही की गई;

(ग) यदि अब तक प्रतिस्थापन कार्यवाही नहीं की गई तो उसके विशिष्ट कारण क्या हैं तथा यह कार्यवाही कब की जायेगी; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि 16 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6405 के उत्तर में प्रस्तुत की गई सूची पूर्ण है तथा उसमें कोई भूल नहीं है और यदि उसमें कोई भूल है तो उसके क्या कारण हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) मालवीय नगर की 6 सम्पत्तियां, जिनकी संख्या 10/133-134, 15/212. 6/76 जी-15/7 जी-3/3 और 14/195 हैं, बकाया किश्तों का भुगतान न करने के कारण वापिस ले ली गई थीं और नीलाम द्वारा बिक्री के लिये विज्ञापित की गई थी।

मालवीय नगर में 14/195 के अतिरिक्त इन सभी सम्पत्तियों को बाद में नीलाम कार्यक्रम में से निकाल दिया था क्योंकि प्रस्तावित नीलाम से पूर्व अलाटी आ गये और उन्होंने देय का भुगतान कर दिया।

(ख) और (ग). प्रारम्भ में, 8 मामलों में अलाटियों की मृत्यु हो जाने की सूचना मिली थी। इन सभी मामलों में प्रति-स्थापन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। 16 अप्रैल 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6405 का उत्तर दिये जाने के उपरान्त, इस प्रकार के और 6 मामलों की सूचना मिली थी। इनमें से तीन में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और निर्णय ले लिया गया है और शेष तीन मामलों में प्रति स्थापन कार्यवाही प्रगति पर है।

(घ) माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट की गई सूची में कोई चूक नहीं हुई है।

आकाशवाणी के ठेके पर काम करने वाले कलाकार

4085. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा ठेके पर बहुत से कलाकारों को नियुक्ति किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में कुल कितने कलाकारों को नियुक्त किया गया है;

(ग) उनको ठेके पर नियुक्त करने का क्या औचित्य है जबकि देश में ठेके पर श्रमिकों की नियुक्त की पद्धति को समाप्त किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का है तथा उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करने का है जैसे सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेंशन आदि देना; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का उन्हें कब से नियमित करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० क० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) 10-1-1970 को 2,554.

(ग) से (ङ). आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों को ठेके पर रखने की पद्धति लगभग 20 वर्षों से चली आ रही है । तथापि, सरकार अब स्टाफ आर्टिस्टों के कार्मिक ढांचे का पुनर्विलोकन कर रही है तथा इन सभी मामलों में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ।

आयातित दुग्ध संयंत्रों का कार्य

4086. **श्री शशि भूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने दुग्ध संयन्त्रों का आयात किया गया है;

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा क्या ये सभी संयन्त्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं;

(ग) उनसे कितना वार्षिक उत्पादन होता है;

(घ) इन संयन्त्रों के रख रखाव पर वार्षिक कितना व्यय होता है तथा क्या इसमें कुछ विदेशी मुद्रा भी अन्तर्ग्रस्त है; और

(ङ) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है तथा ये किन-किन वस्तुओं/मदों पर व्यय की जाती है और क्या इन संयंत्रों के रखरखाव के लिये विदेशी तकनीकी जानकारी तथा उपकरणों का देश में विकास नहीं हो सकता और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 74

(ख) इन सब संयंत्रों की दैनिक उत्पादन क्षमता लगभग 35 लाख लिटर दूध है । इनमें से 24 संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं ।

(ग) इन सभी संयंत्रों का वार्षिक उत्पादन लगभग 7300 लाख लिटर दूध है ।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के सिवाय सभी संयंत्रों को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा चालू किया जा चुका है । अतः राज्यों में संयंत्रों के रख रखाव पर होने वाले वार्षिक व्यय के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । जहां तक दिल्ली दुग्ध योजना का संबंध है, रख रखाव पर 1967-68 से 1969-70 के तीन वर्षों में 9.24 लाख रुपये खर्च हुये हैं । इस रकम में से लगभग 3 लाख रु० की विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ।

(ङ) राज्य क्षेत्रक में डेरियों पर होने वाली विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । 31-3-70 तक दिल्ली दुग्ध योजना के लिये खर्च हुई विदेशी मुद्रा लगभग 136.47 लाख रु० है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	(रु० लाखों में)
(1) स्वागत	5.75
(2) प्रक्रिया	6.41

(3) बोतल भराई	34.69
(4) वायलर	6.73
(5) रैफ्रीजरेशन	15.06
(6) द्रुत शीतन केन्द्र	37.88
(7) उप-उत्पाद	29.95
कुल	136.47

बहुत ही विशिष्ट प्रकार के कुछ उपकरणों को छोड़ कर डेरी मशीनरी का निर्माण अब देश में ही शुरू कर दिया गया है।

Shortage of Postage stamps of 15 Paise Denomination

4087. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether at present, there is an acute shortage of postage stamps of 15 paise denomination as a result of which the people are facing a good deal of difficulty;

(b) whether Government propose to discontinue the circulation of this postage stamp; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in future to remove the shortage of this postage stamp?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is no shortage of 15 paise postage stamp in post offices in the country. However, to exhaust the stock of 13 paise stamps which is no longer in use some post offices are supplying 13 paise stamp along with 2 paise stamp against demands for 15 paise stamp, unless the demand is specifically for 15 paise stamps.

(b) and (c). Do not arise.

राज्य सहकारी समितियों की ओर ऋण की बकाया राशि

4088. **श्री शंकर राव माने :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये उन ऋणों की राशि राज्यवार कितनी-कितनी है, जिनका भुगतान अब तक हो जाना चाहिये था किन्तु हुआ नहीं है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4539/70**]।

(ख) 24 अक्तूबर, 1970 को राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में अतिदेयों के प्रश्न पर विचार किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ निम्न निर्णय किये गये थे :

(1) अतिदेयों को कम करने के लिये सभी प्रयास किये जाने चाहिए।

(2) बकायादारों को सहकारी संस्थाओं अथवा अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं के चुनाव के लिये खड़े होने अयोग्य ठहराया जाना चाहिए, जबकि बकायादार समितियों के नामितों को उच्च स्तर के संगठनों के प्रबन्ध मंडलों में पद ग्रहण करने से वंचित किया जाना चाहिये।

(3) बहु सस्योत्पादन जैसी नई बातों के सन्दर्भ में इस समय ऋण देने तथा वापसी अदायगी की अवधि निश्चित करने के लिये अपनाए जाने वाले मानकों का पुनर्विलोकन किया जाए, ताकि अतिदेयों का सही स्तर निश्चित करने के लिए एक उचित मानदण्ड अपनाया जा सके।

(4) यदि समितियां अतिदेयों की वसूली के लिये बकायादार सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असमर्थ रहती हैं तो सभी राज्यों में जिला केन्द्रीय बैंकों को ऐसे सदस्यों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने के योग्य बनाया जाना चाहिए।

(5) विशेष अप्राप्य ऋण आरक्षण निधियों के उपयोग के लिये लागू नियमों तथा पद्धतियों का पुनर्विलोकन किया जाना है, ताकि पुराने तथा अप्राप्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिये आरक्षण निधि से धन निकाला जा सके और प्राथमिक समितियों के वित्तीय कार्यकरण को सुदृढ़ बनाया जा सके।

दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

4089. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तृतीय श्रेणी के कुल ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी निरन्तर तीन वर्ष से अधिक की सेवा है, परन्तु जिन्हें अब तक अर्द्ध-स्थायी घोषित नहीं किया गया;

(ख) उन्हें अर्द्ध-स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कब तक अर्द्ध-स्थायी घोषित किया जायगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 98

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरब-की-सराय	56
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूसा	4
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहदरा	18
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालवीय नगर	14
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तिलक नगर	2
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सब्जी मंडी	2
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिलाओं के लिये	2
जोड़	98

(ख) तीन वर्ष का सेवा काल एक कर्मचारी को स्थायीवत् घोषित करने की बहुत सी शर्तों में से केवल एक शर्त है। बहुत से ऐसे कर्मचारियों को स्थायीवत् घोषित करने में देर हो गई है, क्योंकि वे इसके लिये सभी आवश्यकतायें पूरी नहीं करते हैं।

(ग) कर्मचारियों को स्थायीवत् घोषित करना एक अनवरत् प्रक्रिया है और इसको पूरा करने के लिये एक विशिष्ट तिथि निर्धारित करना कठिन है। फिर भी मामलों को शीघ्रता के साथ अन्तिम रूप से निपटाने के लिये संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं।

मछली उद्योग को भी कृषि के समान मानने के लिये भारत के रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया जाना

4090. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण संबंधी आवश्यकताओं के मामलों में मछली उद्योग को भी कृषि के समान मानने हेतु भारत के रिजर्व बैंक अधिनियमों में संशोधन करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) देश में मछली उद्योग के लिये यह कहां तक सहायक होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम में संशोधन करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रिजर्व बैंक के विचाराधीन है ताकि बैंक मीन उद्योग की वित्तीय सहायता प्रदान कर सके।

(ख) और (ग). रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के मौजूदा अधिनियम में मीन उद्योग स्पष्टत: कृषि कार्यों को परिभाषित करने वाले अधिनियम की धारा 17 (2) (क) के अन्तर्गत नहीं आता। अधिनियम की धारा 17 (2) (ख) द्वारा प्रदत्त वित्तीय सुविधायें इस समय मीन उद्योग सम्बन्धी गतिविधियों पर लागू नहीं समझी गई हैं। कृषि ऋण मण्डल ने इस आशय की एक सिफारिश मंजूर की है कि अधिनियम में एक विशेष व्यवस्था की जाए ताकि बैंक मीन उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। इस सिफारिश के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम में संशोधन करने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया विचार कर रहा है। आशा है मीन-उद्योग गतिविधियों के लिये अधिनियम की धारा 17 (2) (ख) के अन्तर्गत वित्तीय सुविधायें प्रदान होने से मीन-उद्योग को और अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी जिसके परिणाम-स्वरूप विकास की गति बढ़ेगी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली के अनुदेशक कर्मचारियों का स्थायीकरण

4091. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक कर्मचारियों को, जो कि दिल्ली प्रशासन के अधीन हैं, अब तक क्यों स्थायी घोषित नहीं किया गया हालांकि उनमें से कुछ ने इस विभाग में 10-15 वर्ष की निरंतर सेवा की है;

(ख) इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कुल कितनी है जिनको स्थायी नहीं किया गया है; और

(ग) उन्हें कब तक स्थायी घोषित किया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक कर्मचारियों के लिये जितने स्थायी पद उपलब्ध थे उतने कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया है।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 150 अनुदेशक कर्मचारी हैं जिनका सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक है किन्तु उन्हें अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है।

(ग) पदों के स्थायी होने के पश्चात् उनको भी स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जायेगा।

तमिलनाडु में रूसी सहायता से सरकारी फार्म की स्थापना

4092. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में रूसी सहायता से एक नये सरकारी फार्म के स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे देश में कृषि उत्पादन में कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है; और

(घ) देश में रूसी सहायता से पहले से ही चलाये जा रहे फार्मों से क्या अनुभव प्राप्त हुआ तथा उनका कार्य कैसा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तमिलनाडु में एक केन्द्रीय यन्त्रीकृत फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह मामला विचाराधीन है। तमिलनाडु सरकार ने फार्म के लिये कुछ स्थानों का सुझाव दिया है और केन्द्रीय सरकार के एक प्रतिष्ठान "भारतीय राजकीय फार्म निगम, लिमिटेड" के एक विशेषज्ञ दल द्वारा हाल ही में तूतीकोरिन के निकट एक स्थान का निरीक्षण किया गया था। फार्म के लिये स्थान उपयुक्त पाया गया है, बशर्ते कि भूमिगत जल की उपलब्धता देखने के लिये परीक्षण बोरिंग सफल सिद्ध हों। ये परीक्षण बोरिंग राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे हैं और परिणामों के शीघ्र उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है। इन परिणामों के उपलब्ध होने के पश्चात् ही इस स्थान पर फार्म स्थापित करने के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

(ग) यदि फार्म स्थापित हो गया तो तमिलनाडु की मांग के लिये बीज उत्पादन करेगा जो तमिलनाडु के कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान होगा।

(घ) कुल मिला कर देखा जाये तो अन्य सभी केन्द्रीय राजकीय फार्म अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन फार्मों का प्रबन्ध सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान भारतीय राजकीय फार्म निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है जिसकी स्थापना मई, 1969 में की गई थी। ये फार्म पर्याप्त मात्रा में बीज, अनाज और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करते हैं। निगम के प्रथम वर्ष 1969-70 के कार्यों से लगभग 34 लाख रु० का लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है।

14-11-1970 को दिल्ली में बाल-चलचित्रों का न दिखाया जाना

4093. **श्री दंडपाणि** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 नवम्बर को समस्त देश के थियेटरों में दिखाई गई बच्चों की फिल्म को इस वर्ष दिल्ली में नहीं दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी राज्यों में बच्चों की फिल्में दिखाई गई थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). 14 नवम्बर, 1970 को बच्चों की फिल्मों को सभी राज्यों तथा संघ प्रशासित क्षेत्रों में दिखाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये गये थे। तथापि, मोशन पिक्चर्स एसोसियेशन, दिल्ली के अध्यक्ष के बाल चित्र समिति के अध्यक्ष के नाम लिखे एक पत्र के अनुसार, दिल्ली के फिल्म प्रदर्शकों ने फिल्म उद्योग के प्रदर्शन पक्ष के प्रति दिल्ली प्रशासन के रवैये के विरोध में दिल्ली में इन फिल्मों का दिखाना रोक दिया।

(ग) तथा (घ). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सुधार करने के लिये आकाशवाणी के निदेशकों का सम्मेलन

4094. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 नवम्बर, 1970 को आकाशवाणी केन्द्र के निदेशकों का इस बात पर विचार करने के लिये सम्मेलन किया गया था कि उनके कार्यक्रमों में किस प्रकार सुधार किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भी सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ग) आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए उन्होंने तथा निदेशकों द्वारा क्या विभिन्न सुझाव दिये गए ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी के केन्द्र निदेशकों का वार्षिक सम्मेलन 16 नवम्बर से 18 नवम्बर, 1970 तक हुआ था ।

(ख) सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री ने इस सम्मेलन का उद्घाटन दिया था । उन्होंने सम्मेलन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था ।

(ग) सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री के भाषण का सारांश सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०- 4540/70**] सम्मेलन केन्द्र निदेशकों और आकाशवाणी एवं मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक मामलों पर अनुभव तथा विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए हुआ था । केन्द्र निदेशकों ने अपने व्यवसायिक रुचि के मामलों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया था ।

कलकत्ता पत्तन के श्रमिकों का पंजीयन

4095. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना के अनुसार कलकत्ता पत्तन में केवल अस्थायी श्रमिकों का ही पंजीयन किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संसद सदस्यों की ओर से सभी श्रमिकों के पंजीयन की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) यह कल्पना की जाती है कि इसका आशय कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनिमयन) योजना, 1970 से है ; यदि हां, तो उत्तर निषेधात्मक है ।

(ख) 26 नवम्बर, 1970 को लोक सभा में उत्तर के लिए पेश किये गये कलकत्ता बन्दरगाह में हड़ताल के सम्बन्ध में एक अल्प नोटिस प्रश्न पर विचार-विमर्श के दौरान एक सदस्य ने तमाम जनरल पर्पज मजदूरों और गियरमैनों को पंजीकृत करने की मांग का समर्थन किया । इसी प्रकार 11 नवम्बर, 1970 को राज्य सभा में इसी विषय संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई बहस में कुछ सदस्यों ने यह बात उठाई कि ऐसे सभी जनरल पर्पज मजदूरों और गियरमैनों को जो नैमित्तिक आधार पर काम कर रहे हैं, उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत तत्काल पंजीकृत कर दिया जाना चाहिये ।

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत, कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1956 और कलकत्ता अपंजीकृत गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1957 के अन्तर्गत क्रमशः पंजीकृत और सूचीबद्ध श्रमिकों को पंजीकृत करना होगा । इनके अतिरिक्त, कुछ ऐसे जनरल पर्पज मजदूरों और गियरमैनों को भी । जो नैमित्तिक आधार पर काम कर रहे हैं, पंजीकृत करना होगा, बशर्ते कि वे इस योजना में निर्धारित शर्तों को पूरा

करते हों। पंजीकृत किए जाने वाले इस वर्गों के इस प्रकार के नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या, केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की अनुमानित वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

राजस्थान में खरीफ की फसल की वसूली का लक्ष्य

4096. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम राजस्थान में खरीफ की फसल के 40,000 टन की वसूली के लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो फसल-वार प्राप्ति में कितनी कमी हुई ; और

(ग) क्या बाजार की वसूली विशेषकर कम रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार राज्य सरकार के परामर्श से किसी राज्य से अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करती है। कृषि मूल्य आयोग ने राजस्थान से 40,000 मीटरी टन खरीफ के मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति के लक्ष्य की सिफारिश की थी । भारतीय खाद्य निगम अधिप्राप्ति मूल्य पर मूल्यों को स्थिर करने के उद्देश्य से मूल्य सहाय के रूप में खरीफ के मोटे आनाजों की खरीदारी कर रहा है। अतः मूल्य साहाय्य खरीदारी के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, निगम ने अब तक निम्नलिखित मात्रा में अधिप्राप्ति की है :

मक्का	2029 मीटरी टन
ज्वार	66 ,, ,,
बाजरा	1962 ,, ,,

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि विशेष रूप से बाजार की अपेक्षाकृत कम अधिप्राप्ति हुई है। क्योंकि खरीफ विपणन मौसम अभी शुरू ही हुआ है, अतः मूल्य साहाय्य के लिये सम्भावी खरीदारी की मात्रा का अन्दाजा लगाना बहुत जल्दबाजी होगी।

ट्रैक्टरों की बिक्री तथा पुनः बिक्री की प्रक्रिया में परिवर्तन

4097. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच ट्रैक्टरों की बिक्री तथा पुनः बिक्री की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). ट्रैक्टरों की बिक्री और पुनः बिक्री पर सांविधिक नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव है । सरकार इस मामले में सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रोटीन खाद्य का उत्पादन

4098. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने प्रोटीन खाद्य का उत्पादन आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है और उत्पादन किये जाने वाले खाद्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कब और कहां इस योजना को कार्यान्वित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारतीय खाद्य निगम द्वारा तैयार की गई प्रोटीन खाद्य के उत्पादन की योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(1) "बालाहार" का उत्पादन कम लागत का प्रोटीन खाद्य जिसमें 25 प्रतिशत मूंगफली का आटा, 70 प्रतिशत गेहूं अंश, विटामिनों तथा खनिजों से युक्त 5 प्रतिशत दुग्ध चूर्ण शामिल हैं । निगम मद्रास तथा केरल में यह योजना शुरू करने जा रहा है ।

(2) परिणामी आटे को 5 प्रतिशत तक विटामिनों/खनिजों और मूंगफली के आटे से युक्त करना/निगम इस योजना को भी रोलर आटा मिलों के माध्यम से बम्बई तथा कलकत्ता में लागू कर रहा है और इसे दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है ।

(3) प्रोटीन से भरपूर खाने योग्य मूंगफली के आटे का उत्पादन/उज्जैन में एक विधायन यूनिट लगाने के लिये एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(4) खाने योग्य प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन के आटे का उत्पादन/यूनिसेफ की सहायता से सोयाबीन के विधायन के लिये एक संयंत्र स्थापित करने से संबंधित एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल में भाण्डागार

4099. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रदेशों में केन्द्रीय भाण्डागार निगम और पश्चिम बंगाल राज्य भाण्डागार निगम ने कितने भाण्डागार बनाये हैं और उन सरकारी क्षेत्र के भाण्डागारों की कुल क्षमता क्या है ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अपने स्टाकों का भण्डारण सरकारी क्षेत्र के गोदामों को देकर पश्चिम बंगाल में अपना कार्य आरम्भ किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने कलकत्ता में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्टाक कम कर दिया है और कुछ मामलों में सरकारी क्षेत्र के भांडागारों से स्टाक पूर्णतया वापस ले लिया है और यह कार्यभण्डारण की विशेषज्ञता न रखने वाले गैर-सरकारी भण्डारक एजेन्टों को सौंपा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा पश्चिमी बंगाल राज्य भाण्डागार निगम ने पश्चिमी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 10,620 मीटरी टन भण्डारण क्षमता के 5 भाण्डागारों का निर्माण किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). भारतीय खाद्य निगम ने कुछ मामलों में सरकारी क्षेत्र के भाण्डागारों से किराये पर लिये भण्डारण स्थान को छोड़ दिया है क्योंकि किराये पर लिए गए स्थान को निगम ने अपनी आवश्यकताओं से फालतू समझा था और निगम के अपने निर्माणाधीन गोदाम भी तैयार हो रहे थे।

भण्डारण एजेन्ट गत कई वर्षों से चले आ रहे हैं और भारतीय खाद्य निगम राशन-व्यवस्था आदि वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के सरकारी वितरण को बनाए रखने के लिये उनकी सेवाओं का सीमित रूप में उपयोग कर रहा है।

पश्चिमी बंगाल में गैर-सरकारी भण्डागार एजेंसियां

4100. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा कलकत्ता तथा उसके इर्द-गिर्द भण्डागार एजेंसियां देने के लिये भण्डागार एजेंटों से हाल ही में खुली निविदाएं आमन्त्रित की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में उन गैर-सरकारी भण्डागारों के नाम क्या हैं, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डागार की एजेंसियां दी गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय बीज निगम

4101. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई तथा इसके क्या उद्देश्य हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में अब तक कुल कितने मूल्य के तथा कितनी मात्रा में बीजों का वितरण किया गया तथा उक्त अवधि में बीजों के परिवहन पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ग) क्या निगम ने कार्यालय के लिये अपने भवन का निर्माण किया है यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया है तथा किराया, फर्नीचर आदि के कारण कितना वार्षिक व्यय हो रहा है ; और

(घ) क्या निगम के पास बीज का अपना कोई फारम नहीं है तथा अच्छे किस्म के बीजों के लिये मुख्यतः उत्पादकों पर निर्भर रहना पड़ता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 19-3-1963 को पंजीकृत किया गया था। निगम की स्थापना सुधरे बीजों और विशेषकर अधिक उत्पादनशील किस्मों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि वह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रत्यायोजन करके तथा जहां कहीं आवश्यक हो प्रमाणीकरण सेवाओं के लिये तकनीकी मार्गदर्शन की व्यवस्था करके एक आधार बीज एजेंसी के रूप में कार्य कर सके।

(ख) गत तीन वर्ष की अवधि में मक्का, ज्वार, बाजरे, धान, गेहूं तथा सब्जियों के 1,79,237 क्विन्टल बीजों के विक्रय से 5,15,75,408 रुपये प्राप्त हुये थे। गत तीन वर्ष की अवधि में परिवहन पर 23,56,078 रुपये व्यय हुये हैं।

(ग) निगम ने अभी तक अपने कार्यालय के लिये कोई भवन नहीं बनाया है। कार्यालय भवन के लिये भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में प्रयत्न किये जा रहे हैं। वर्ष भर में किराये पर 1,72,289 रुपया व्यय होता है। किराये पर कोई फर्नीचर नहीं लिया गया है।

(घ) निगम के नन्दीकोटकुर (आन्ध्र प्रदेश) हेमपुर (उत्तर प्रदेश) तथा यमुनानगर (हरियाणा) में तीन बीज फार्म हैं। इन फार्मों का उपयोग मुख्यतः आधार बीजों के उत्पादन के लिये किया जाता है। प्रमाणिक बीजों का उत्पादन सामान्यतः प्रत्येक मौसम में उपयुक्त उत्पादकों के साथ ठेके पर किया जाता है। निगम द्वारा प्रमाणिक बीजों का उत्पादन केवल सम्भावित मांगों के आधार पर किया जाता है ताकि प्रमाणित बीजों की आपूर्ति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उसे दूर किया जा सके। प्रमाणिक बीजों का उत्पादन तथा वितरण करना मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

श्रमिकों की उपलब्धियां

4102. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक उद्योग में (1) 200 रुपये से कम मासिक वेतन वाले और (2) 400 रुपये से कम वेतन वाले प्रत्येक श्रमिक को मूल मजूरी, मंहगाई भत्ता तथा अन्य लाभ रुपये में कितने हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

इस समय निर्माण उद्योग के 4001—रु० प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों पर लागू होता है। दो विवरण संलग्न हैं, जिनमें 1968 में श्रमिकों के इस वर्ग की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार और उद्योगवार ब्यौरा तथा संघटकों के अनुसार उनका विश्लेषण दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखें गये। देखिये संख्या एल० टी० 4541/70**] बाद की समयावधि के संबन्ध में सूचना और 200 रु० प्रति मास से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में अलग सूचना उपलब्ध नहीं है।

शरणार्थियों के लिये औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना

4103. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों के रहन-सहन की वास्तविक स्थिति जानने के लिये संसद् सदस्यों तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यकताओं की तथ्यों का पता लगाने वाली एक समिति की स्थापना करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा आसान किस्तों पर ऋण दिये जाने के लिये एक शरणार्थी औद्योगिक वित्त निगम स्थापित करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) (क): भारत सरकार से हुई चर्चा के परिणाम-स्वरूप, मध्य प्रदेश सरकार राज्य पुनर्वास उद्योग वित्त निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है। शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिये, निगम निजी उद्योग स्थापित करेगा और निजी उद्यमकर्ताओं को नए उद्योग स्थापित करने या पुराने उद्योगों का विस्तार करने के लिये वित्तीय सहायता भी देगा।

इस विभाग के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि शरणार्थियों के रहन-सहन की वास्तविक स्थितियों का निश्चय करने के लिये संसद सदस्यों और प्रसिद्ध समाज सेवकों की एक तथ्य अन्वेषण समिति स्थापित की जाये।

(ख) पुनर्वास उद्योग वित्त निगम के बारे में राज्य सरकार के विशिष्ट प्रस्तावों की अभी तक प्रतीक्षा है।

(ग) जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार गुण-दोष के आधार पर उनकी जांच करेगी।

Applications for Telephone Connections in M. P.

4104. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the present number of Telephone connections in Madhya Pradesh ;

(b) the number of applications under consideration for providing Telephone connections ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to reduce the number of pending applications?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 32,964

(b) 5,161

(c) There is a general shortage of exchange equipment and underground cables. Efforts are being made to increase the capacity of existing exchanges and provide the cables to give as many connections as possible with the available resources.

Villages Provided with Post and Telegraph Offices

4105. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the number of villages in Madhya Pradesh which have been provided with Post Offices as well as the number of villages where Telegraph Offices have been opened ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : In Madhya Pradesh State, 5,244 villages have been provided with post offices and 461 villages with Telegraph offices as on 30-11-1970.

Applications for Telephone Connections Pending in Burhanpur, M. P.

4106. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the number of applications for Telephone connections pending in Burhanpur city of Madhya Pradesh, the reasons for not providing the same and the time by which Telephone connections will be provided ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : 61 applications are pending for telephone connections at Burhanpur city. The exchange at Burhanpur is in an advanced stage of expansion. However, in view of the shortage of certain essential stores particularly underground cables, it is difficult to give any definite date for clearing the existing waiting list.

Applications for Telephone Connections Pending with Telephone Exchanges of East Nimar District

4107. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications for Telephone connections pending in the various Telephone Exchanges in the East Nimar District ;

(b) the reasons for not providing Telephone connections ; and

(c) the time by which Telephone connections would be provided to the applicants ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a)

Name of exchange	No. of applications pending
Burhanpur	61
Khandwa	44
Bir	—
Harsud	—
Nepanagar	1
Pandana	—

(b) The connections at Burhanpur could not be provided due to shortage of exchange capacity and underground cables and those at Khandwa due to shortage of underground cables.

(c) The exchange at Burhanpur is already being expanded. Efforts are also being made to obtain underground cables. Since, however, there is a general shortage of underground cables in the country, it is difficult to give any definite date for clearing the existing waiting lists at Burhanpur and Khandwa. The only pending demand at Nepanagar is being met shortly.

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को कालकाजी, नई दिल्ली स्थित कालोनी में प्लाटों का वितरण

4108. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को कालकाजी, नई दिल्ली स्थित कालोनी में प्लाटों के वितरण के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में बहुत से संसद् सदस्यों से कई निर्देश प्राप्त हुए थे। सबकी छानबीन की गई है और सम्बन्धित संसद् सदस्यों को उपयुक्त उत्तर भेज दिये गए हैं।

कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में प्लाटों के लिये भूमि के किराए में कमी

4109. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 27 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4266 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालोनी में प्लाटों के लिए भूमि के किराए में कमी के प्रस्ताव को किस तारीख को वित्त मंत्रालय में भेजा गया था ;

(ख) मंत्रालय के साथ क्या पत्र-व्यवहार किया गया था ;

(ग) क्या यह भी निर्णय किया गया था कि वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेंजे जाने के पश्चात् जिन संसद् सदस्यों के साथ इस मामले पर चर्चा की गई थी, उन्हें भी इसकी जानकारी दी जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन सदस्यों में से किसी एक सदस्य को जानकारी दी गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). इस सम्बन्ध में संसद् कार्य विभाग के परिपत्र संख्या 528, दिनांक 13 अक्तूबर, 1970 द्वारा पुनर्वास विभाग की सलाहकार समिति के, जिसके माननीय सदस्य हैं सदस्यों को परिचालित किए गए नोट के

पैराग्राफ 7 की ओर निर्देश किया जाता है। सुसंगत उद्धरण की प्रतिलिपि संलग्न है [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4542/70**]

नई दिल्ली में कालकाजी की पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की कालोनी में प्लाटों का मूल्य निर्धारित करना

4110. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कालकाजी, नयी दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की कालोनी में प्लाटों के वर्ग गज के मूल्य के बारे में असली लागत तथा अन्य खर्चों सहित पुनर्विचार करने तथा उसमें संशोधन करने से सहमत हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ संसद् सदस्यों की संतुष्टि के लिए कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक जांच की जाएगी तथा भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री श्री जयसुखलाल हाथी के आश्वासन के अनुरूप वर्ग का मूल्य कम कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाटों के आवंटन की योजना "न लाभ न हानि" के आधार पर तैयार की गई है। चूंकि न्यायालयों में बहुत से अधिनिर्णय शेष पड़े हैं। इसलिए अर्जन का अन्तिम मूल्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। तथापि, गणना के प्रयोजन के लिए, लागत 4 रुपये प्रति वर्ग गज ली गई है। विकास पर किये जाने वाले वास्तविक खर्च के, जिसमें उपरोक्त परिकलित भूमि का मूल्य भी शामिल है, आधार पर प्रति वर्ग गज दर 30.39 रुपये बनती है। ज्योंही भूमि अर्जन की अन्तिम लागत उपलब्ध हो जाएगी, अन्तिम मूल्य का और निर्धारण किया जायेगा। माननीय सदस्य ने जो छान-बीन ध्यान में रखी है वह, यदि आवश्यक समझा गया तो, केवल उस समय ही की जाएगी जबकि अन्तिम मूल्य निर्धारण करने के लिए सामग्री प्राप्त हो जाएगी।

मनीपुर पशु चिकित्सा संघ कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव

4111. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुचिकित्सा संघ जो कि अखिल भारतीय पशुचिकित्सा संघ से सम्बद्ध है, के मंत्री ने संघ की कार्यकारिणी द्वारा पारित कुछ प्रस्ताव मनीपुर के राज्यपाल के निजी सचिव को भेजे हैं और क्या उन्हें मनीपुर सरकार के सचिव द्वारा प्रस्ताव भेजने के लिये चेतावनी दी गई तथा उनकी निन्दा की गई ;

(ख) यदि हां, तो संघ के मंत्री के विरुद्ध इस कड़ी कार्यवाही के क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार अपनी कार्यवाही पर पुनर्विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). यह मंत्रालय स्थिति का पता कर रहा है। अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

मनीपुर में व्यावहारिक पौष्टिक आहार कार्यक्रम के लिये सहायता

4112. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मनीपुर में व्यावहारिक पौष्टिक आहार कार्यक्रम के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त अवधि में इस कार्यक्रम के लिये कितनी मोटर गाड़ियां सहायता के रूप में दी गई ; और

(ग) क्या यह गाड़ियां व्यावहारिक पौष्टिक आहार कार्यक्रम में सम्बद्ध अन्य प्रयोजनों के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) व्यावहारिक पौषाहार कार्यक्रम 1967-68 में 2 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा था। 1968-69 तथा 1979-70 के दौरान, तीन तथा एक और खण्डों में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जिससे इन खण्डों की संख्या 6 हो गई थी। पिछले दो वर्षों में अर्थात् 1968-69 तथा 1969-70 में, 333 ग्रामों को इसके अन्तर्गत लाया गया था ; 194 स्कूल, रसोई तथा सामुदायिक उद्यान लगाए गये थे ; 167 बागवानी ग्राम यूनिटें, 161 मत्स्य ग्राम यूनिटें तथा 84 कुक्कुटादि पालन ग्राम यूनिटें स्थापित की गई थीं। भोजन प्रदर्शन का विस्तार 4520 बाल तथा महिला दिनों तक किया गया था ; इस कार्यक्रम में 153 महिला समितियों तथा युवक क्लबों को लगाया गया था और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 522 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था ;

(ख) 13 मोटर गाड़ियां ; और

(ग) मणिपुर प्रशासन से प्राप्त विवरण के अनुसार इन मोटर गाड़ियों का प्रयोग व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम से सम्बन्ध न रखने वाले प्रयोजनों के लिये नहीं किया जा रहा है।

मणिपुर पशु चिकित्सा संघ को मान्यता देने का अनुरोध

4113. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु चिकित्सा स्नातक डाक्टरों द्वारा अखिल भारतीय पशु चिकित्सा संघ के समान ही संगठित तथा अखिल भारतीय संघ से संबंद्ध किये गये मणिपुर पशु चिकित्सा संघ को मणिपुर सरकार ने मान्यता दे दी है ;

(ख) क्या संघ को मान्यता देने के लिये उसने सरकार के पास अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो मान्यता देने में विलंब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). मणीपुर सरकार से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल के प्रत्येक गांव में डाकखानों का खोला जाना

4114. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में गांव-गांव डाकखानों को खोलने के कितने आवेदन पत्र कब से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) उन पर अन्तिम रूप से कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

वर्ष 1970-71 और 1971-72 में त्रिपुरा में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

4115. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कुल कितनी भूमि में कृषि की जाती है तथा उसमें कितने एकड़ भूमि के लिये सिंचाई सुविधाएं दी गई हैं ; और

(ख) वर्ष 1970-71 में छोटी तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत त्रिपुरा में अधिक भूमि के लिये सिंचाई सुविधाएं देने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1971-72 के लिये प्रस्तावित योजनाएं क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) त्रिपुरा में लगभग 3.4 लाख हैक्टार क्षेत्र में खेती होती है । जिस में से 18,000 हैक्टार क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था मौजूद है ।

(ख) त्रिपुरा में मुख्यत: उठाव सिंचाई परियोजनाओं तथा नलकूपों के माध्यम से तथा कुछ हद तक तोड़-सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है । सन् 1970-71 में इन योजनाओं पर 21 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है । सन् 1971-72 के लिए योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

त्रिपुरा में सहकारी समितियां

4116. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय ऋण सहकारी समितियों समेत विभिन्न व्यापारों की कितनी सहकारी समितियां हैं ;

(ख) त्रिपुरा में वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कितनी सहकारी समितियों का परिसमापन हुआ है ; और

(ग) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के लिये त्रिपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के विकास के लिये योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) : इस समय त्रिपुरा में सभी किस्मों की 606 सहकारी समितियां हैं।

(ख) पांच सहकारी समितियों को 1969-70 में और एक को 1970-71 में परिसमाप्त किया गया था।

(ग) 1970-71 के दौरान त्रिपुरा में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का विकास करने की योजनाओं से सम्बन्धित अनुमोदित परिव्यय तथा प्रत्याशित व्यय के आंकड़े और 1971-72 के लिए प्रशासन से प्राप्त हुए प्रस्ताव संलग्न विवरण में दिए गये हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4543/70]** 1971-72 के लिए प्रस्ताव अभी तक योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

त्रिपुरा में खाद्य फसलों के अन्तर्गत भूमि के एकड़ तथा उनका उत्पादन

4117. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में त्रिपुरा में कुल कितना चावल और अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन किया गया ; और 1970-71 में उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है ;

(ख) त्रिपुरा में प्रत्येक खाद्यान्नों की कुल कितनी एकड़ भूमि में खेती की जा रही है ;

(ग) त्रिपुरा में अगर किसी गहन कृषि कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कार्यक्रम में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ; और

(घ) 1969-70 के दौरान त्रिपुरा में धान की प्रति एकड़ अधिकतम उपज कितनी हुई है और विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और त्रिपुरा में धान की प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिए दिये जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) अन्तिम अनुमानों के अनुसार 1969-70 के दौरान त्रिपुरा में 234.7 हजार मीटरी टन चावल और 1.1 हजार मीटरी टन अन्य खाद्यान्न (दलहन) पैदा हुए थे। सन् 1970-71 के दौरान 245.9 हजार मीटरी टन खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) सन् 1969-70 के अन्तिम अनुमानों के अनुसार त्रिपुरा में इस वर्ष के दौरान चावल के अन्तर्गत 266.4 हजार हैक्टार और दलहनों के अन्तर्गत 3.2 हजार हैक्टार क्षेत्र था।

(ग) त्रिपुरा में जो एकमात्र सघन कृषि कार्यक्रम चल रहा है वह अधिक उत्पादनशील किस्मों का कार्यक्रम है। चौथी योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन धान के अन्तर्गत 10,000 तथा गेहूं के अन्तर्गत 2000 हैक्टार क्षेत्र लाने की योजना है जबकि सन् 1968-69 के दौरान धान के अन्तर्गत 1,400 हैक्टार से अधिक और गेहूं के अन्तर्गत 132 हैक्टार क्षेत्र था सन् 1969-70 में चावल के अन्तर्गत 7,890 हैक्टार तथा गेहूं के अन्तर्गत 300 हैक्टार क्षेत्र होने की सूचना मिली है। सन् 1970-71 के विषय में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

(घ) सन् 1969-70 के दौरान धान की प्रति एकड़ अधिकतम उपज से सम्बन्धित जानकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

त्रिपुरा में धान की प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिए किसानों के खेतों में प्रदर्शनों किये जाते हैं और इन प्रदर्शनों के लिए बीज, उर्वरक और पौध रक्षा रसायन निःशुल्क दिये जाते हैं।

Implementation of a Scheme for Testing and Improving Breed of Cattle in Madhya Pradesh

4118. **Shri Ram Avtar Sharma:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any Centrally sponsored scheme for testing and improving the cattle breed is being or proposed to be implemented in any part of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the names of the areas where the said scheme is being implemented in Madhya Pradesh and the amount of expenditure incurred so far by the Central Government thereon together with the number of cattle benefited by the scheme?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) A proposal has been received from Madhya Pradesh Government for taking up a programme for production of progeny tested Bulls of Murrah breed at the State Cattle Farm, Anjora, Distt. Durg, under the centrally sponsored Coordinated Cattle Breeding Project. The proposal will be considered by the Central Government.

(b) Does not arise.

रोजगार के संबंध में राष्ट्रीय आयोग

4119. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये राष्ट्रीय कृषि आयोग के नमूने पर रोजगार के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). सरकार ने बेरोजगारी के संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का निश्चय किया है, जिसमें संसद् सदस्य भी सम्मिलित होंगे। यह समिति बेरोजगारी के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और इसे दूर करने के उपाय सुझायेगी। शीघ्र ही गठित होने वाली इस समिति से एक वर्ष के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

(ग) सवाल ही पैदा नहीं होता।

चीन में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 702 नामक अजीब रसायन का उपयोग

4120. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें कहा गया है कि चावल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु चीन 702 नामक एक अजीब रसायन का उपयोग कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वैश्लेषिक अध्ययन करने के लिए इस अजीब रसायन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) रासायनिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) इस समय कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Central Directive for Distribution of Land to Harijans in States

4121. **Shri Meetha Lal Meena**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the orders for the distribution of land among the backward classes and particularly among the Harijans in the various States have been issued by the Central Government; and

(b) if so, the progress made so far in this regard and the State-wise details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Attention of the State Governments have been drawn to the need for giving priority in land allotment to landless agricultural workers belonging to the Scheduled Tribes and Scheduled Castes. In a large number of States suitable measures have already been taken.

(b) The information available with regard to allotment of land to Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons has been summarised in the 18th Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Further information is being ascertained from the State Governments.

कलकत्ता के सम्बन्ध में बनाई जाने वाली फिल्म पर श्री माले पर लगाई गई शर्तें

4122. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री माले द्वारा कलकत्ता पर बनाई जाने वाली फिल्म पर सरकार ने कुछ शर्तें लगाई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) श्री माले द्वारा फिल्म के निर्माण में किन शर्तों को पूरा नहीं किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) . जी, हां । श्री लुईस माले को भारतीय स्थलों के दृश्य फिल्माने की अनुमति सरकार द्वारा इस शर्त पर दी गई थी कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि फिल्म में भारत को प्रतिकूल रूप में प्रतिबिम्बित नहीं किया जायगा और फिल्म के अन्तिम संकलन को रिलीज करने से पूर्व फ्रांस में भारतीय दूतावास को दिखाया जाएगा । उन्होंने दोनों शर्तों का पालन नहीं किया ।

जालन्धर राज्य फार्म के लिए रूस द्वारा उपकरण दिया जाना

4123. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने जालन्धर राज्य फार्म के लिए उपकरण दिये थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा फार्म्स निगम को भूमि मुहैया न किये जाने के कारण उक्त उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सका और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . भारत सरकार के साथ नवम्बर, 1966 में किये गये समझौते के अधीन, रूस सरकार 5 बड़े आकार के यंत्रीकृत फार्मों को स्थापित करने के लिए निःशुल्क मशीनें तथा उपकरण सप्लाई करने के लिये सहमत हो गई थी । इन 5 फार्मों में से एक, पंजाब के जालन्धर जिले के सतलुज के बेट क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है । फार्म के लिए लगभग 24 लाख रु० के मूल्य की मशीनें और कल पुर्जे प्राप्त हो चुके हैं । फार्म के लिए भूमि निश्चित कर ली गई है परन्तु राज्य सरकार अभी तक इसका कब्जा नहीं दे सकी है, क्योंकि अधिकांश भूमि आबादकार आदि के अनधिकृत कब्जे में है । इस मामले में राज्य सरकार से समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया है और राज्य सरकार ने बताया है कि वे जनवरी 1971 तक भूमि उपलब्ध करा सकेंगी । इस बीच में, फार्म के लिए प्राप्त कुछ मशीनों का प्रयोग, विशुद्ध वाणिज्य आधार पर गैर-सरकारी लोगों की व्यक्तिगत भूमि के विकास, कृषि योग्य बनाने और कटाई कार्यों के लिये किया जा रहा है । अन्ततोगत्वा यदि राज्य सरकार भूमि देने में असफल रहती है, तो भी मशीनों के प्रयोग के बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि केन्द्रीय राजकीय फार्म के लिए देश में अन्य स्थान पर भूमि प्राप्त करना सम्भव होगा ।

Import of Foodgrains during 1971-72

4124. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the types of foodgrains together with the quantity of each type of foodgrain imported

during the current year and the import price thereof separately ; and

(b) the type of food-grains together with the quantity of each type of food-grain proposed to be imported during the year 1971-72 and the estimated import price thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) During the financial year 1970-71, upto 31-10-70, about 17.76 lakh tonnes of wheat and 1.37 lakh tonnes of rice with F.O.B. value of about Rs. 72.47 and Rs. 8.97 crores respectively were imported.

(b) The level of likely imports of foodgrains in 1971-72 is yet to be determined.

Pressure of Population on Agricultural Land

4125. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any study regarding the pressure on agricultural land in rural areas of the country ;

(b) if so ,the average number of persons dependent on one acre of land in the various States ; and

(c) the action taken by Government to relieve the pressure on agricultural land?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). No such study has been conducted. However, a statement showing the figures of cultivated area for 1966-67, estimates of rural population for 1966 and the average number of persons per hectare arrived at on the basis of these figures in the various States, is attached.

Statement

State	Total Cultivated area (1966-67) ('000 hectares)	Projected rural population as on 1st March, 1966 ('000)	Average number of persons per hectare Col. 3 ÷ Col. 2
(1)	(2)	(3)	(4)
Andhra Pradesh	13,517	32,350	2.4
Assam	2,503	12,495	5.0
Bihar	9,918	47,138	4.8
Gujarat	10,130	17,360	1.7
Haryana	3,682	7,252	2.0
Jammu & Kashmir	793	3,151	4.0
Kerala	2,118	16,146	7.6
Madhya Pradesh	18,162	31,105	1.7
Maharashtra	19,329	31,703	1.6
Mysore	11,077	20,243	1.8
Nagaland	47	379	8.1
Orissa	6,713	18,210	2.7
Punjab	4,132	9,853	2.4
Rajasthan	16,510	19,392	1.2
Tamil Nadu	7,005	26,447	3.8
Uttar Pradesh	17,840	71,336	4.0
West Bengal	5,569	29,722	5.3
ALL-INDIA	150,329	401,063	2.7

(c) At the existing rate of growth of population and of non-farm employment it appears that in India the area of land surface per worker in agriculture would diminish for some time in the future. However, the Fourth Five Year Plan aims at the creation of more employment opportunities on an increasing scale. An expansion in employment opportunities is expected to result from the increasing tempo of agricultural development and the implementation of various labour intensive schemes, such as, roads, minor irrigation, soil conservation, rural electrification, village and small scale industries, housing and urban development envisaged under the Fourth Five Year Plan. Special programmes being taken up for small farmers, marginal farmers and agricultural labourers, dry farming areas and chronically drought-prone areas would also help in the creation of additional employment opportunities for these groups and areas.

डाक तथा तार विभाग के तार संकेतकों को अग्रिम वेतन वृद्धियों का दिया जाना

4126. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 1970 से टेलीग्राफिस्टों को हिन्दी में तार भेजने का प्रशिक्षण देने के पश्चात एक अग्रिम वेतन वृद्धि दी है ;

(ख) क्या पोस्टल सिगनलों की, जिन्हें समान रूप से प्रशिक्षण दिया गया था तथा जिनकी परिस्थितियां समान थीं, अभी तक अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार को इस असमानता को दूर करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) टेलीग्राफिस्टों को अग्रिम वेतन वृद्धि मंजूर करने की रियायत एक मध्यस्थ बोर्ड के पंच निर्णय के परिणामस्वरूप दी गई थी । इस बोर्ड को यह मामला सौंपा गया था और यह पंच निर्णय केवल टेलीग्राफिस्टों के सम्बन्ध में ही दिया गया था । यह पंच निर्णय स्वतः डाक सिगनलरों पर लागू नहीं होता था क्योंकि डाक सिगनलरों को ऐसी ही अग्रिम वेतन वृद्धियां देने का प्रश्न मध्यस्थ बोर्ड के अधिकतम क्षेत्र में नहीं आता था ।

(घ) इस मामले पर विचार किया जा रहा है और इसमें शीघ्रता बरती जाएगी ।

Cost of Post Card from Printing to Delivery Stage

4127. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the approximate cost of a post card right from its printing to the delivery stage;

(b) whether any scheme of increasing postal rates in different parts of the country is under consideration of Government; and

(c) the estimated additional revenue therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 18.4 paise per post card.

(b) Not at present.

(c) Does not arise in view of reply to (b) above.

News Bulletin Over A. I. R. in Sanskrit

4128. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to start broadcasting news bulletin in Sanskrit over All India Radio keeping in view the interests of Sanskrit speaking people in the country ;

(b) if so, the date from which Government propose to do so ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It has not been found feasible to introduce daily news bulletins in Sanskrit from All India Radio owing to limited transmitter resources and also because the need for such news bulletins as a communicational necessity has not been established. A fortnightly news review in Sanskrit is, however, broadcast from Bombay, Jaipur, Bhopal, Indore, Poona, Patna and Ranchi Stations.

Per Capita Consumption and Production of Milk and Steps to Increase its Production

4129. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the per capita consumption and production of milk in various countries of the world ;

(b) the per capita production of milk in India ; and

(c) the future target and scheme of the Government to increase production of milk in India ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) As per the latest publication of F. A. O., Production Year Book of 1967, the per Capita consumption in various countries of the world is given below :

S. No.	Name of the Country	Per capita milk consumption in grams in 1966-67	Production of milk in 1000 tons (metric) in 1966
1.	Austria	566	3259
2.	Denmark	728	5306
3.	Finland	937	3690
4.	Germany (F. R.)	557	21434
5.	Italy	417	10615
6.	Netherland	682	7236
7.	Norway	677	1658
8.	Spain	257	3166
9.	Sweden	745	3545
10.	U. K.	593	12750
11.	Canada	646	8343
12.	U. S. A.	673	54535
13.	Pakistan ('65-66)	195	5950

(b) The estimated per capita availability of milk in India is 105.02 gms.

(c) The target of production of milk has been fixed at 25.86 million tonnes by 1973-74.

The need for increasing the production of milk is well recognised. Both the Central as well as the State Governments are paying increasing attention for improvement of cows and buffaloes for milk production. The cattle breeding policy has specially been re-oriented for bringing about a rapid improvement in the quality of cattle and thereby quick increase in the production of milk. A number of bulls and frozen semen of exotic breeds of cattle have been imported during the last three years for undertaking large scale crossbreeding in the Intensive Cattle Development Projects and Key Village areas linked up with dairy schemes. Some important Cattle Development Schemes being implemented for increasing the production of milk are :—

(i) Key Village Scheme.

(ii) Intensive Cattle Development Projects.

(iii) Establishment of Artificial Insemination Centres in urban and suburban areas.

(iv) Establishment of Cattle Breeding and Bull Rearing Farms.

(v) Calf Rearing Scheme.

(vi) Progeny Testing Scheme and others.

Use of Calves from Cows of Foreign Breed

4130. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the manner in which to make use of the calves of those cows of foreign breed whose import in India is being encouraged by the Government, when the number of such cows would go up considerably in due course of time ; and

(b) whether these calves cannot make good bullocks due to the absence of hump and the seats of yoke and because of their slow-speed and their meat cannot be utilised in India as in foreign countries and if so, the manner in which Government would tackle such a situation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Cattle Breeding Policy evolved by the Government on the recommendations of the scientists panel on Animal Husbandry, provides for cross breeding of indigenous low milk yielding cattle with high milk yielding exotic breeds for achieving a rapid increase in milk production. This policy is aimed at developing types of milch animals with a prescribed level of exotic inheritance suitable for different areas. The female calves born out of cows of exotic breeds will be utilized for further pure breeding while the male calves would be utilized for cross breeding cattle of local breeds in intensive cattle development projects, key villages and milk sheds of dairy schemes for increasing the productivity of indigenous cattle.

(b) Only a limited number of cattle of exotic breeds are being imported for cross breeding purposes. It is not correct that the cross breed calves will not make good bullocks although they may not be as good as some of the special drought breeds in India.

Help to National Seeds Corporation by Farmers in Producing Seeds

4131. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the details of the arrangements made for the production and distribution of seeds by the Seeds Corporation ; and

(b) the names of the farmers registered by the Seeds Corporation to provide help in the production of seeds and augmenting seeds production alongwith their respective States?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The National Seeds Corporation arranges to produce certified seeds, depending upon the likely demand of seeds of various crops. The certified seeds are grown on the Corporation's farm, State Farms and also through private seed growers on contract. Crop-wise area under certified seed production during Rabi 1970-71 arranged by the Corporation under its procurement programme is given below :—

1.	Hybrid Maize	1600 acres
2.	Hybrid Sorghum	500 acres
3.	Hybrid Bajra	2200 acres
4.	Paddy	1400 acres
5.	Wheat	8000 acres
6.	Derseem	850 acres
7.	Oats	735 acres
8.	Groundnut	150 acres
9.	Moong	250 acres (Summer 71 proposed)

The sale of certified seeds is affeted through 400 dealers appointed by the Corporation in different parts of the country and also by Corporation's own sale points and sole distributors. The State Departments of Agriculture also purchase seed from the Corporation for sale to farmers.

(b) The names and number of farmers varies from season to season even within the same State. About 2,000 farmers are selected by the Corporation for contract growing of various crops in a season but these contracts are finalized by Regional Offices. No farmer is permanently registered for helping the Corporation in seed production.

Foreign Aid for Improving Breed of Buffaloes

4132. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are seeking any foreign assistance to improve the breed of buffaloes ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. India has the best breeds of buffaloes. So the question of foreign assistance does not arise.

(b) Does not arise.

आकाशवाणी में ए० एम० आई० ई० डिग्री प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि

4133. **श्री मधु लिमये** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के अधिकतर अराजपत्रित (तकनीकी) कर्मचारियों के पास इंजीनियरिंग डिग्री (ए० एम० आई० ई०—भारत) के समकक्ष की अर्हतायें हैं ;

(ख) क्या अपर मुख्य अभियन्ता ने चार वर्ष पूर्व उन्हें 350 रुपये या इससे कम के मूल वेतन पर चार अग्रिम वेतन वृद्धियां देने का वायदा किया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बाद में उन्हें उतने ही (वेतन पर वेतन में मिलाये गए महंगाई भत्ते को घटाकर) तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां देने का वचन दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो आकाशवाणी के अराजपत्रित तकनीकी कर्मचारियों को दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, आकाशवाणी के कुछ अराजपत्रित (तकनीकी) कर्मचारियों के पास इंजीनियरी डिग्री के समकक्ष की अर्हताएं हैं।

(ख) से (घ). आकाशवाणी के कर्मचारियों को ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया था कि उन्हें इंजीनियरी डिग्री के समकक्ष की अर्हता प्राप्त करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धियां दी जाएंगी। तथापि, अराजपत्रित इंजीनियरी कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उन कर्मचारियों का जो इस प्रकार की अर्हताएं प्राप्त हैं या प्राप्त कर लेते हैं, कुछ अतिरिक्त वेतन वृद्धियां देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

17 नवम्बर, 1970 को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिन

4134. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के 17 नवम्बर, 1970 को 8 बजकर 45 मिनट पर (हिन्दी में) तथा 9 बजे (अंग्रेजी में) प्रसारित किए गए समाचार बुलेटिनों में उन सदस्यों के नाम लिये गये थे, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक में जिनके संशोधनों को 17 नवम्बर, 1970 को लोक सभा में वित्त मंत्री ने स्वीकार किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) . केवल एक ही नाम अर्थात् श्री एन० के० पी० साल्वे का उल्लेख किया गया था जिनके संशोधन पर सदन में मतभेद था।

Increase in number of Temporary Labourers in Coal Mines

4135. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of labourers working in the coal mines of the country ;

(b) the number of permanent and temporary labourers among them separately ;

(c) whether after the implementation of the recommendations of the Wage Board for coal mine workers, the number of permanent labourers has gone down and that of the temporary labourers has increased ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the action proposed to be taken by Government to remedy the situation ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Rules in Posts and Telegraphs Zonal Advisory Committees

4136. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether rules exist for holding the meetings of Posts and Telegraphs Zonal Advisory Committees ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the number of meetings of Posts and Telegraphs Zonal Advisory Committee of Bihar held during the last two years ; and

(d) the names of the members who attended each of those meetings ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, for Regional P & T Advisory Committees.

(b) According to the constitution of the Regional P & T Advisory Committees the meetings are ordinarily held once every six months at the head-quarters of the Chairman of the Committee. In circumstances of urgency, meetings may be held exceptionally in such other periods or at such other stations as may be decided by the Chairman of the Committee.

(c) Three.

(d) A statement is attached.

Statement

Statement showing the names of members who attended the meetings of the Regional P & T Advisory Committee for Bihar Circle, during the last two years

(i) **Meeting held on 2-7-69—Members present**

(1) Shri Ramavatar Shastri, M. P.

(2) Shri C. M. Saxena, Representative of Bihar Chamber of Commerce and Industries, Patna.

(3) Shri Rameshwar Prasad Agrawal, Representative of North Bihar Chamber of Commerce and Industries, Muzaffarpur.

(4) Purnendu Narain Singh, M. L. C., Representative of State Legislature, Patna.

(5) Shri Umesh Prasad Verma, Representative of Rural Interest, P. O. D. K. Shikarpur, Champaran.

(ii) **Meeting held on 19-11-69—Members present**

(1) Shri Shri Narain Das, Ex. M. P. of village & P. O. Keoti Ranway (Darbhanga).

(2) Shri R. P. Agarwal, Representative of North Bihar Chamber of Commerce, Muzaffarpur.

(3) Shri C. M. Saxena, Representative of Bihar, Chamber of Commerce, Patna.

(4) Shri K. D. Prasad, Under Secretary, Department of Labour, Government of Bihar—Representative of the State Government.

(5) Shri U. P. Agarwal, Representative of Bihar Industries Association, Patna.

(iii) **Meeting held on 8-6-70—Members present**

(1) Shri Kilai Birua, M. P. (Lok Sabha).

(2) Shri Srinarayan Das, Ex. M. P. nominee of the Minister of Communications.

(3) Shri Saryu Mishra, M. L. A. Non-official Representative of Government of Bihar.

(4) Shri Umesh Prasad Verma, Representative of Rural Interest.

(5) Shri C. M. Saxena, Representative of Bihar Chamber of Commerce, Patna.

(6) Shri U. P. Agarwal, Representative of Bihar Industries Association, Patna.

(7) Shri Rameshwar Prasad Agarwal, Representative of North Bihar Chamber of Commerce and Industries, Muzaffarpur.

(8) Shri Brajnandan Azad, Editor, the Indian Nation, Patna—Representative of Press.

(9) Shri Vinaya Krishna Prasad, Treasurer, University of Bihar, Nominee of the Minister of Communications.

पटना में उप-अभिलेख कार्यालय तथा मुख्य अभिलेख कार्यालय का स्थान

4137. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल डिवीजन हावड़ा में उप-अभिलेख कार्यालय और मुख्य अभिलेख कार्यालय एक ही भवन में स्थित हैं;

(ख) क्या पटना डिवीजन में उप-अभिलेख कार्यालय और मुख्य अभिलेख कार्यालय दोनों को एक ही भवन में कार्य करने की अनुमति न दी जाकर उनके साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है यद्यपि पटना में नवनिर्मित भवन में दोनों के लिये पृथक्-पृथक् आवास की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो हावड़ा तथा पटना में भेदभाव तथा दुहरी नीति बरते जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भेदभाव बरतने का कोई मंशा नहीं है । इस बात की जांच की जाएगी कि पश्चिमी बंगाल डिवीजन के उप-अभिलेख कार्यालय तथा मुख्य अभिलेख कार्यालय किन परिस्थितियों में एक ही इमारत में काम कर रहे हैं और क्या उनका विलयन किया जा सकता है ।

न्यूजीलैंड द्वारा दूध तथा प्रोटीन युक्त बिस्कुटों की सप्लाई का प्रस्ताव

4138. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैंड सरकार ने बच्चों के लिये नये किस्म के दूध तथा प्रोटीन युक्त

बिस्कुटों की सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या उस सरकार ने हमारे देश में वैसे ही बिस्कुटों को बनाने की जानकारी भी प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). भारत सरकार के पास इस पेशकश के बारे में कोई सूचना नहीं है लेकिन 6 नवम्बर, 1970 को समाचार-पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें यह उल्लेख था कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की रोम में हुई बैठक में न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि ने यह कहा बताया जाता है कि उनका देश विकासशील देशों को दूध तथा प्रोटीन के नवीन बिस्कुट जोकि बच्चों के लिये लाभप्रद हैं, देने के लिये तैयार है। उक्त सूचना में यह भी बताया गया था कि न्यूजीलैंड गैर वाणिज्यिक उत्पादकों के लिये बिस्कुटों से उत्पादक अधिकारों का त्याग करने के लिये तैयार था बशर्ते कि उनका प्रयोग केवल सहायता के लिये किया जाए। जब कभी इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ, तब सरकार उस पर विचार करेगी।

आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र की शक्ति

4139. **श्री पी० विश्वम्भरन्** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र की वर्तमान शक्ति क्या है; और

(ख) उपर्युक्त केन्द्र की शक्ति बढ़ाने के लिये प्राप्त अभ्यावेदनों पर क्या निर्णय किया गया है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम् केन्द्र में दो ट्रांसमीटर हैं—एक मध्यम शक्ति वाला और दूसरा अल्प शक्ति वाला।

(ख) त्रिवेन्द्रम के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि एल्लेप्पी में उच्च शक्ति वाला जो ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है वह मुख्यतया त्रिवेन्द्रम केन्द्र के लिए ही है।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के ट्रैक्टर

4140. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने बुदनी तथा हिसार में स्थित ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्रों में से प्रत्येक को दो-दो ट्रैक्टर उपहार स्वरूप दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या तकनीकी विकास महानिदेशक ने आवश्यक उपकरणों सहित इन ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दे दी थी; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में तकनीकी विकास महानिदेशक को लिखे गये पत्र और उसके उत्तर की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) इन कागज-पत्रों को सभा-पटल पर रखना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

सहकारी विकास का अध्ययन

4141. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी देश के विभिन्न राज्यों में सहकारी विकास का अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारत सरकार द्वारा सहकारी विकास की विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने के लिये समय-समय पर समितियां नियुक्त की गई हैं। तथापि, अलग-अलग सहकारी समितियों के कार्यकरण की जांच करना अपने-अपने राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत सहकारी समितियों के पंजीयकों की सांविधिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने पिछली बार 1964 में श्री राम निवास मिर्धा की अध्यक्षता में इसके लिये एक समिति नियुक्त की थी :

(1) विभिन्न किस्म की सहकारी समितियों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिये मानक और कसौटियां निर्धारित करना और नकली समितियों को समाप्त करने और भविष्य में उनका पंजीकरण रोकने के लिये उपाय सुझाना;

(2) वर्तमान सहकारी कानूनों, नियमों और पद्धतियों की समीक्षा उन खामियों का पता लगाने के लिये करना जो कि स्वार्थपरत लोगों को सहकारी संस्थाओं में घुसने का रास्ता देती हैं और ऐसे स्वार्थपरत लोगों को निकालने तथा उन्हें रोकने के लिये वैधानिक तथा प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करना;

(3) सहकारिता आंदोलन में आत्म-निर्भरता और स्वत: नियमन की भावना विकसित होने में रुकावट डालने वाले तत्वों की जांच करना और उपयुक्त उपचार सुझाना ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मिर्धा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1965 में प्रस्तुत की । इसने कहा था कि यद्यपि सहकारी आंदोलन समग्र रूप से ठीक रास्ते पर बढ़ रहा है, तथापि, ऐसी कमियां तथा दोष हैं, जिन्हें सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तरों पर सतर्क प्रशासन तथा पर्यवेक्षण से सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है । समिति ने इनकी सिफारिश की—खुली सदस्यता, महाजनों, व्यापारियों तथा

अन्य विचौलियों का वहिष्कार, लेखा-परीक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध तथा स्वतंत्र लेखा-परीक्षा अभिकरण, योग्यता-प्राप्त तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों के सामान्य संवर्गों का निर्माण, सामान्य निकाय के नियमित चुनाव तथा बैठकें और सहकारी समितियों के सदस्यों तथा कर्मचारियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त प्रबन्ध । ये सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई थीं । और 1965 में हुये राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा इनका सामान्यत: अनुमोदन किया गया था । तथापि, इनकी कार्यान्विति में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई थी । भारत सरकार द्वारा 1967 में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों की सीमा का पता लगाने के लिये एक द्रुत अध्ययन भी किया गया था । सहकारी आंदोलन में निहित स्वार्थों की इस समस्या पर जून, 1968 में हुये मुख्य मंत्रियों तथा राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में विस्तार से विचार किया गया था । सम्मेलन ने निहित स्वार्थों के विकास को रोकने के लिये अनेक उपायों का सुझाव दिया, जिनमें ये भी शामिल थे :

(1) यदि आवश्यक हो तो कानून द्वारा सहकारी समितियों की सदस्यता से महाजनों तथा व्यापारियों और अन्य विचौलियों को बहिष्कृत करना ।

(2) प्राथमिक समितियों में खुली सदस्यता के सिद्धान्त को कड़ाई से लागू करना ।

(3) प्रबन्ध मण्डल में छोटे किसानों और कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिये स्थानों का आरक्षण करना ।

(4) एक ही संस्था में दो से अधिक कार्यकालों के लिये और एक साथ दो से अधिक संस्थाओं में पद ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध ।

(5) समितियों के पदधारियों को दिये जाने वाले ऋणों का व्यवस्थापन करना ।

(6) स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा नियमित चुनाव ।

(7) लेखा-परीक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध करना ।

(8) प्रशिक्षित प्रबन्धकीय कार्मिकों के संवर्गों का निर्माण करना ।

(9) कर्मचारियों की भर्ती के लिये नियम बनाना ।

(10) कर्मचारियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त प्रबन्ध करना ।

इस मंत्रालय द्वारा ये सिफारिशें राज्य सरकारों को सूचित की गई थीं। इन पर जो कार्यवाही की गई उसकी समीक्षा 6 व 7 जून, 1969 को नई दिल्ली में हुए सहकारी समितियों के पंजीयकों के सम्मेलन और 30 जून, 1969 तथा 1 जुलाई, 1969 को बंगलौर में हुए सहकारिता के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई।

कुछ राज्यों ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सहकारी समिति अधिनियमों / नियमों में संशोधन किये हैं। कुछ अन्य राज्यों ने राज्य कानूनों में किये जाने वाले व्यापक संशोधनों का अध्ययन करने के लिये समितियां नियुक्त की हैं।

वनस्पति उद्योग के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की मांग

4142. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग अपने उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग कर रहा है;

(ख) उक्त उद्योग की मुख्य मांग क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). वनस्पति उद्योग ने वनस्पति मूल्य में किसी विशिष्ट वृद्धि के लिये नहीं कहा है। तथापि, उन्होंने सरकार से डिब्बों के निर्माण में प्रयोग होने वाली टिन प्लेटों के मूल्यों में बढ़ोतरी होने के कारण पैकिंग की लागत में वृद्धि करने के लिये अनुरोध किया है।

(ग) अपेक्षित वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई है। तथापि, पिछले दो महीनों में वनस्पति के मूल्य कम किए गये हैं।

जापान, पाकिस्तान, लंका, बर्मा, अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन की तुलना में भारतीय समाचार-पत्रों का परिचालन

4143. **श्री दे० अमात** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान, पाकिस्तान, लंका, बर्मा, अमरीका, रूस और ब्रिटेन की तुलना में भारत

में समाचार-पत्रों का परिचालन प्रति लाख व्यक्ति कितना है; और

(ख) सरकार जनता को शिक्षित बनाने तथा उसे सामयिक विषयों की पर्याप्त जानकारी देने हेतु समाचार-पत्रों का परिचालन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समाचार-पत्रों की संख्या, उनकी अनुमानित परिचालन संख्या तथा प्रति 1000 प्रतियां

देश	वर्ष	दैनिक समाचार-पत्रों की संख्या	परिचालन कुल	('000) प्रति हजार व्यक्ति
जापान	1966	174=	45978	465
पाकिस्तान	1965	95	1839	18
श्रीलंका	1967	16	509	44
बर्मा	1966	27	231×	9×
अमरीका*	1967	1749	61560	309
सोवियत संघ	1967	616	69560	295
ब्रिटेन	1966	106	26700	488
भारत	1969	650	7687%	145%

(ख) अखबारी कागज की आवंटन सम्बन्धी वार्षिक नीति समाचार-पत्रों, विशेषकर छोटे तथा मंझोले समाचार-पत्रों के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है।

छोटे तथा मंझोले समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है।

छोटे तथा मंझोले समाचार-पत्रों को छपाई मशीनों के आयात के लिये लाइसेंस देने के बारे में उदार नीति अपनाई जा रही है।

सरकार की यह नीति है कि केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिये छोटे तथा मंझोले समाचार-पत्रों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

=कुछ ऐसे दैनिकों को मिलाकर जिनके प्रातःकालीन तथा सायंकालीन दो संस्करण हैं।

×केवल 12 दैनिकों की परिचालन संख्या।

*ये आंकड़े केवल अंग्रेजी दैनिकों के बारे में है।

%448 दैनिकों की परिचालन संख्या।

तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिल माध्यम के स्नातकों को रोजगार में प्राथमिकता

4144. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि तमिलनाडु सरकार ने आदेश दिया है कि तमिल माध्यम के स्नातकों को सरकारी रोजगार में प्राथमिकता दी जाये जबकि अंग्रेजी माध्यम के स्नातकों को रोजगार से वंचित रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस मामले को तमिलनाडु की सरकार के साथ उठाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

वनस्पति में रंग का मिश्रण

4145. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशुद्ध घी में वनस्पति की मिलावट को रोकने के लिये, वनस्पति घी में रंग का मिश्रण करने में कोई सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि ऊपर (क) का उत्तर नहीं में है, तो क्या इस बारे में आगे कार्यवाही बन्द कर दी गई है ; यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वनस्पति के लिए उपयुक्त रंग सामग्री ढूंढने में जिन अनुसंधान संस्थानों ने अनुसंधान कार्य में अतीत में सहयोग दिया था, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखें ।

प्रेस परिषद् की राय बाध्य नहीं

4146. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हरियाणा के मुख्य मंत्री द्वारा राज्य विधान सभा में 29 अगस्त, 1970 को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि ट्रिब्यून के संबंध में प्रेस परिषद् की राय बाध्य नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) और (ख) . वक्तव्य की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया गया है । प्रेस परिषद् एक

स्वविनियमित निकाय है और परिषद् के निर्णय कानूनी रूप से बाध्य हों, ऐसी प्रेस परिषद् अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि परिषद् के निर्णय उन सभी शिकायतों में निहित पक्ष स्वेच्छा से मानेंगे तथा उनपर अमल करेंगे जिन पर परिषद् निर्णय देगी।

डाक-तार निदेशालय के डी० ए० ए० सेक्शन में नियुक्तियां

4147. **श्री गुणानन्द ठाकुर :**
श्री सुब्रावेलू :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार निदेशालय के डी० ए० ए० सेक्शन में विभिन्न लिपिक संवर्ग कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके संवर्गों तथा भर्ती से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) यह सत्य है कि डाक-तार निदेशालय के डी० ए० ए० अनुभाग में काम करने वाले क्लर्क कुछ विभिन्न संवर्गों से संबंध रखते हैं। वे हैं हवाई डाक लेखा क्लर्क, जल-थल मार्ग डाक लेखा क्लर्क तथा निम्न चुनाव पदक्रम क्लर्क।

(ख) हवाई डाक लेखा क्लर्कों की भर्ती रेल डाक सेवा व्यवस्था कार्यालयों के समयमान क्लर्कों के स्थानान्तरण से की जाती है तथा जल-थल मार्ग डाक लेखा क्लर्कों की भर्ती विदेश डाकघरों के समयमान क्लर्कों के स्थानान्तरण से की जाती है। हवाई डाक लेखा क्लर्कों के 20 पद रु० 130-300 के वेतनमान में तथा उनका एक अस्थायी पद रु० 130-280 के वेतनमान में तथा जल-थल मार्ग डाक लेखा क्लर्कों के 8 पद रु० 130-280 के वेतनमान में है। इसके अतिरिक्त निम्न चुनाव पदक्रम क्लर्कों के पांच पद रु० 210-380 के वेतनमान में है। ये निम्न चुनाव पदक्रम के पद 3:4 के अनुपात में हवाई डाक लेखा क्लर्कों तथा जल-थल मार्ग डाक लेखा क्लर्कों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। हवाई डाक लेखा क्लर्कों तथा जल-थल मार्ग डाक लेखा क्लर्कों के पदक्रमों में पदों की संख्या को दृष्टिगत रख कर उक्त अनुपात निश्चित किया गया है।

बम्बई में टेलीफोन कनेक्शन देने में देरी

4148. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने वालों की एक लम्बी सूची है ; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। सभी श्रेणीयों के बकाया आवेदनों की संख्या लगभग 74,600 है।

(ख) देश में एक्सचेंज उपस्कर और भूमिगत के बिल की आम कमी है। इसके परिणामस्वरूप टेलीफोनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना सम्भव नहीं है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों की सहकारी गतिविधियों के लिए अनुदान की मांग

4149. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों जैसे रिक्शा चालकों, तांगेवालों और हथठेले वालों की सहकारी गतिविधियों के लिये अतिरिक्त अनुदान देने की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितने अनुदान की मांग की गई थी ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने टांगा चालक सहकारी समितियों को 70,000/- रु० ऋण के रूप में और 1,200/- रु० प्रबन्धकीय उपदान के रूप में देने के लिये केन्द्रीय सरकार से 71,200/- रु० का अतिरिक्त नियतन करने की मांग की है। रिक्शाचालकों अथवा हथठेले वालों की समितियों के लिए अतिरिक्त नियतन करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) सरकार ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है और आवश्यक धनराशि दे दी गई है।

वर्ष 1971 में गैर-लाइसेंस शुदा रेडियो तथा टेलीविजन सेटों के नवीकरण के लिए दी गई राजक्षमा

4150. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का वर्ष 1971 में बिना लाइसेंस वाले रेडियो तथा टेलीविजन सेटों के मालिकों को तीन महीनों के लिये राजक्षमा देने का विचार है ताकि वे उक्त अवधि में बिना लाइसेंस वाले सेटों के लिये बिना किसी प्रकार का दण्ड दिए तथा बिना स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार-पत्र दिखाए लाइसेंस प्राप्त कर सकें ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : जी नहीं। फिलहाल कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फोर्ड ट्रैक्टरों का आयात तथा वितरण

4151. **श्री साधू राम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड ट्रैक्टरों को, जिनका देश में आयात किया जायेगा, गैर-सरकारी फर्मों द्वारा वितरित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ट्रैक्टरों की चोर-बाजारी को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). सर्वश्री एस्कोर्ट्‌स लिमिटेड का फोर्ड ट्रैक्टरों के विनिर्माण का एक अनुमोदित कार्यक्रम है। राज्य व्यापार निगम ने, जिनके माध्यम से फोर्ड ट्रैक्टरों का आयात किया जा रहा है, सर्वश्री एस्कोर्ट्‌स लिमिटेड के साथ एक करार किया है, जिसके आधार पर ट्रैक्टरों की निकासी, भंडारण, संग्रहण, विक्रय पूर्व तथा विक्रयोपरान्त सेवाओं का कार्य सर्वश्री, एस्कोर्ट्‌स लिमिटेड को सौंप दिया गया है। इस करार के अनुसार इन ट्रैक्टरों की अदायगी केवल राज्य कृषि उद्योग निगमों तथा रक्षा मंत्रालय के मनोनीतों को दी जायेगी।

गैर-सरकारी एजेंसी द्वारा पोलैंड के ट्रैक्टरों की बिक्री

4152. **श्री साधू राम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उद्योग निगम आयातित ट्रैक्टरों का व्यापार कर रहे हैं और यदि हां, तो पोलैंड में निर्मित ट्रैक्टरों की गैर-सरकारी फर्मों द्वारा बिक्री किये जाने का प्रस्ताव करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) उक्त ट्रैक्टरों की चोर-बाजारी को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क)देश में पूर्ण तैयार किये गये ट्रैक्टरों का आयात तथा वितरण कृषि-उद्योग-निगम कर रहे हैं। यद्यपि, संगठन सेवा के हित में तथा आयात किये जाने वाले ऐसे ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में देशीयकरण, जिनका निर्माण देश में किया जा रहा है, उनकी एस० के० डी० पैकों से जुड़ाई, विक्रय-पूर्व तथा विक्रयोपरान्त सेवायें उन्हीं ट्रैक्टरों के स्थानीय विनिर्माताओं को सौंपी गई हैं। पोलैंड के ट्रैक्टर एस० के० डी० तथा पी० के० डी० की परिस्थिति में डिलिशनों के साथ आयात किये जा रहे हैं और उनकी पूर्व उल्लिखित सेवायें देशी विनिर्माणकर्ता अर्थात् सर्वश्री एस्कोर्ट्‌स को सौंपी गई है। यद्यपि, राजकीय कृषि-उद्योग निगम, महानिदेशक पुनर्वास तथा रोजगार एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों को इन ट्रैक्टरों की सुपुर्दगी की जानी है।

(ख) गैर-सरकारी फार्म को केवल कुछ सेवायें करनी होती हैं और ट्रैक्टरों की सुपुर्दगी केवल राजकीय कृषि-उद्योग निगमों तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों को की जानी होती है, इसलिये ट्रैक्टरों की चोर बाजारी की कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी, ऐसी आकस्मिकता के बचाव के लिए, कृषि-उद्योग निगम/रक्षा मंत्रालय द्वारा नामजद किए गए ग्राहकों को नियंत्रित मूल्य पर ट्रैक्टरों को बेचने हेतु राजकीय व्यापार निगम ने सर्वश्री एस्कोर्ट्‌स से एक करार किया है।

कृषि योग्य परती भूमि का निर्धन जुलाहों में वितरण

4153. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि योग्य परती भूमि को जुलाहों में बांटने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). हस्तकर्घा बुनकरों में सरकारी कृष्य बेकार भूमि को वितरित करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, वे सरकारी बेकार भूमियों के नियतन के लिए निर्धारित नियमों में दी गई अन्य शर्तों को पूरा करके भूमि नियतन के लिए अधिकारी हो सकते हैं।

नागपुर में चिड़ियाघर की स्थापना

4154. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में नई दिल्ली के चिड़ियाघर के नमूने का एक चिड़ियाघर खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) नागपुर का महाराज बाग चिड़ियाघर, नागपुर नगर निगम प्रशासन के अधीन है। पता चला है कि राज्य सरकार के पास नागपुर में दिल्ली की तरह के चिड़ियाघर की स्थापना करने के लिये कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। राज्य सरकार को नगर निगम नागपुर से कोई ऐसा प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है।

फल और सब्जियों का खराब होना

4155. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फल और सब्जियों के कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग कई ढंग से नष्ट हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत और वह किस प्रकार से नष्ट होता है ; और

(ग) इस क्षति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में कटाई के बाद कई कारणों से हानियां होती हैं, जैसे कटाई रख-रखाव और पैक करने के अनुपयुक्त तरीके, दोषपूर्ण परिवहन और अपर्याप्त भंडारण व्यवस्थायें, ये हानियां अन्तिम (टर्मिनल) बाजार में पहुंचने के पश्चात बिक्री में देरी और शीतागारों एवं गोदामों की कमी के कारण भी होती है।

विभिन्न फलों और सब्जियों के बारे में होने वाली इन हानियों का अनुमान लगाने के लिये कोई अध्ययन नहीं किये गये हैं। किन्तु, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा किये गये विपणन सर्वेक्षणों के दौरान इकट्ठी की गई जानकारी से यह अनुमान लगाया गया है कि इस हानि से देश में फलों और सब्जियों का औसतन 20 से 25 प्रतिशत तक उत्पादन प्रभावित होता है।

इन हानियों को कम करने के लिये उठाये गए तथा उठाये जाने वाले उपाय नीचे दिये जाते हैं :—

केन्द्रीय खाद्य तथा तकनोलौजिकल अनुसंधान संस्थान कुछ फलों की कटाई की उचित अवस्था निर्धारित करने के लिये अनुसंधान कर रहा है। इसने परिवहन और भण्डारण के दौरान होने वाली हानि को कम से कम करने के लिए कुछ तकनीकों का विकास किया है। कुछ मुख्य फल उत्पादक राज्यों में विस्तार एजेन्सियां उत्पादकों को कटाई और रख-रखाव के तरीकों के बारे में शिक्षा दे रही हैं। भण्डारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये शीतागारों के लिए लाइसेंस दिये गये हैं। उनकी संख्या 1965 में लगभग 700 थी जोकि 1969 के अन्त तक बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है। सारे देश में इस सुविधा का विस्तार करने का प्रस्ताव है। शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों को तीव्रगति से लाने ले जाने के लिये रेलवे से अनुरोध किया गया है कि वे प्रशीतित परिवहन की वृद्धि करें और इनके शीघ्र संचालन के लिये विशेष "ग्रीन लाइन" एक्सप्रेस रेलें चलायें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे खराब होने वाले फलों को लाने ले जाने के लिये साधारण लोहे के वैगनों, जिनमें हानि प्राय: रोशनदानों की अनुपस्थिति और गर्मी की अधिकता के कारण होती है के स्थान पर इन्सूलेटिड डिब्बों का प्रबन्ध करें। इसके अतिरिक्त, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य और कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से नागपुर में एक कृषि विपणन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। यह संस्थान शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों के रख-रखाव, पैकिंग, परिवहन और भण्डारण की समस्याओं का अध्ययन करेगा और इस हानि को कम करने के लिये ऐसे तरीकों का विकास तथा उनके उपयोग का प्रदर्शन करेगा जोकि इस व्यापार के लिये मितव्ययी और व्यवहारिक हों।

टीक की लकड़ी का उत्पादन और उसका मूल्य

4156. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन क्षेत्रों में इमारती लकड़ी होती है और गत तीनों वर्षों में उसका वार्षिक उत्पादन क्या रहा ;

(ख) क्या देश में इस लकड़ी का उत्पादन उसकी मांग के लिए पर्याप्त है ;

(ग) इमारती लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कोई विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं और यदि हां, तो उन प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में इमारती लकड़ी के मूल्य में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). मुख्य सागोन उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर और केरल राज्यों में हैं परन्तु राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में भी सागोन कुछ मात्रा में पाया जाता है।

देश के कई अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त उपरोक्त राज्यों में मानव-निर्मित सागोन के वनों की भी स्थापना की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सागोन की लकड़ी के वार्षिक उत्पादन और मानव-निर्मित बनों की संख्या के विषय में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। परन्तु 1966-67 तक लगभग 2.26 लाख हैक्टार क्षेत्र में सागोन के वन लगाए गए हैं।

(घ) देश में 1967 से 1969 तक सागोन के मूल्य में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

त्रिपुरा के भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन

4157. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में लागू भूमि सुधार अधिनियम में ऐसे संशोधन किये जा रहे हैं जिससे वर्गदारों को अपनी भूमि बेचने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा और उनकी बेदखली से रक्षा की जा सकेगी ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान कानून में प्रस्तावित संशोधनों का स्वरूप क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). बटाईदारों को अधिकार देने के उद्देश्य से, त्रिपुरा भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावों के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

त्रिपुरा की भूमिहीन जनजातियों को भूमि देने की योजना

4158. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने भूमिहीन कृषि मजदूर हैं और उनमें से कितने जनजातियों के हैं ;

(ख) क्या उन्हें, विशेषतः भूमिहीन जनजातियों के मजदूरों को जमीन देने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, उनको आवंटित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र क्या है और इस योजना पर क्या व्यय होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) वर्ष 1961 की गणना के आंकड़ों के अनुसार भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या 32912 थी। अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन मजदूरों के सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं

है। राज्य की जनसंख्या के 31.53 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखते हैं। आदिवासियों में भूमिहीनों की प्रतिशतता अन्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान झुमिया तथा भूमिहीन अनुसूचित-जन जातियों को बसाने के लिये 100.00 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की है। भूमि-सुधार, बैलों की खरीद, बीज तथा आदानों के लिये प्रति भूमिया परिवार के लिये 1,910 रुपये तथा अन्य-भूमिहीन अनुसूचित जन-जातियों के प्रति परिवार के लिये 300 रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी। प्रत्येक परिवार को 2 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि आवंटित की गई। सन् 1969-70 के दौरान परियोजना के अन्तर्गत अमरपुर उप-प्रभाग में 50 परिवार बसाये गये थे। सन् 1970-71 के दौरान 100 और परिवार बसाये जा रहे हैं तथा सन् 1971-72 के दौरान 250 परिवार बसाये जायेंगे।

इस योजना के अतिरिक्त, चौथी पंचवर्षीय योजना में भूमिहीन अनुसूचित जातियों को बसाने के लिये 4.00 लाख रुपये तथा अन्य व्यक्तियों के लिये, जो अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के नहीं हैं, 29.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

आशुलिपि संस्थान का खोला जाना

4159. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली में कोई आशुलिपि का सरकारी संस्थान नहीं है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के आशुलिपिक श्रेणी II के पदों (210-530 रु०) के लिये होने वाली परीक्षा में बैठने के लिये अविभागीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसा संस्थान खोलने के बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या दिल्ली में आशुलिपि का केन्द्रीय संस्थान खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जहां बेरोजगार व्यक्तियों को आशुलिपि तथा अन्य सम्बद्ध विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त हो सके ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). संघ प्रशासित क्षेत्र-दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी और हिन्दी में आशुलिपि में पूरे समय का और अंशकालिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है जिसमें कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर आशुलेखन की तैयारी कराई जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की किसी विशेष परीक्षा के लिए उम्मीदवार तैयार करने के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है।

(ग) जी नहीं।

Telephone dues outstanding from Traders and Commercial Firms of Delhi

4160. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of the firms and companies of Delhi against whom Telephone dues of

more than one thousand of rupees are outstanding for the last two years ;

(b) the reasons for not making payment of those bills by these firms and companies so far ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The accounts are maintained telephone numberwise and not according to categories of subscribers like firms and companies, etc. and as such, the information is not readily available. The time and labour involved in the compilation of the required information will not be commensurate with the results achieved.

(b) The non-payment is sometimes due to bills being under dispute ; the cases being under reference to Liquidators/Arbitrators or before Courts of Law, etc.

(c) Steps, such as, personal contact and correspondence, disconnection of telephones and finally legal action, where necessary, are taken with a view to effecting recovery.

भूमि अर्जन पुनर्विलोकन समिति के प्रतिवेदन पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विचार

4161. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री भूमि अर्जन जांच प्रतिवेदन से सम्बन्धित 30 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से भूमि अर्जन पुनर्विलोकन समिति के प्रतिवेदन के बारे में उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका सारांश सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) क्या इस विषय पर विधेयक का प्रारूप तैयार करने से पूर्व उक्त प्रतिवेदन पर सभा में विचार करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). अब तक केवल (1) महाराष्ट्र, (2) नागालैंड, (3) हिमाचल प्रदेश, (4) पांडेचेरी, (5) दादरा तथा नागरहवेली, (6) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह और (7) लकादीव आदि कुछ राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों के उत्तर प्राप्त हुए हैं। उनके उत्तर का सार संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4544/70.]**

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

फिल्म उद्योग में कार्य की स्थिति

4162. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म उद्योग के कर्मचारियों को उद्योग में अपने आचरण

सम्बन्धी नियमों और कार्य स्थिति के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या के सम्बन्ध में कोई विधेयक लाने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया : (क) श्रमिकों के रोजगार और काम की दशाओं को विनियमित करने के लिए विधान की आवश्यकता के सम्बन्ध में फिल्म कर्मचारियों की एसोसियेशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, हां।

कृषि संस्थानों का भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को सौंपा जाना और उसका कृषि संस्थानों के कर्मचारियों पर प्रभाव

4163. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को, जो कृषि संस्थान हस्तांतरित किये गये थे उनके नाम क्या हैं और ऐसा किन अधिनियमों के अन्तर्गत किया गया था;

(ख) हस्तान्तरण के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन हस्तान्तरणों के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी फालतू घोषित किये गये थे और यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय से परामर्श किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) निम्नलिखित 9 अनुसंधान संस्थानों का नियन्त्रण जो पहले कृषि विभाग के हाथ में था दिनांक 1-1-1966 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सौंप दिया गया था :

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
2. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर।
3. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल।
4. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हि० प्र०)।
5. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक (उड़ीसा)।
6. केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (राजस्थान)।
7. भारतीय चारागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी (उ० प्र०)।
8. केन्द्रीय ट्यूबर फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम (केरल)।
9. केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, मालपुरा (राजस्थान)।

इसी प्रकार केन्द्रीय अन्तर्देशीय मीन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) केन्द्रीय सामुद्रिक मीन अनुसंधान संस्थान, मंडपम कैम्प (तमिलनाडु) केन्द्रीय मात्स्यकी तकनौलोजी संस्थान अर्नाकुलम (केरल) और ऊटाकमण्ड (तमिलनाडु) बैलारी (मैसूर) चण्डीगढ़, कोटा

(राजस्थान) देहरादून (उत्तर प्रदेश) वासद (गुजरात) आगरा (उत्तर प्रदेश) और इब्राहिमपटन (आन्ध्र प्रदेश) स्थित आठ भूमि संरक्षण अनुसंधान प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रशासनिक नियन्त्रण 1-10-67 से परिषद् को सौंप दिया गया था। तत्पश्चात् गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु), भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन के मुख्य भाग का प्रशासनिक नियन्त्रण भी 1-4-1969 से परिषद् को सौंप दिया गया था। अन्ततः कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (सरकारी पक्ष) नई दिल्ली का प्रशासनिक नियन्त्रण भी दिनांक 1-4-70 से परिषद् को सौंप दिया गया था।

उपरोक्त संस्थानों को प्रशासनिक नियन्त्रण सरकारी संकल्प के अधीन तबदील किया गया है न कि संसद् के किसी अधिनियम के अधीन।

(ख) भारत सरकार ने अनुसंधान संगठन की जांच और तबदीलियों के बारे में सुझाव देने के विशिष्ट उद्देश्य से अक्तूबर, 1963 में एक कृषि अनुसंधान संवीक्षा दल (पार्कर समिति) की नियुक्ति की थी। इस दल ने मार्च 1964 में प्रस्तुत की हुई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सारे देश के लिए समन्वय और कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को एक केन्द्रीय निकाय बना दिया जाये। इन सिफारिशों पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया था। यह महसूस किया गया कि यह समन्वय देश के हित के लिये आवश्यक है और यह कार्य समस्त कृषि अनुसंधानों को परिषद् के प्रशासन के अधीन लाने से ही हो सकता है।

(ग) अनुसंधान संस्थानों का प्रशासन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सौंपने के सरकारी निर्णय के परिणामस्वरूप इन संस्थानों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी कृषि विभाग की आवश्यकताओं से फालतू हो गये थे क्योंकि सरकार के अधीन उपरोक्त सब पद समाप्त होने थे। फिर भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थानों में कार्य करने वाले ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को जो परिषद् में जाने के लिए राजी हो गये, अपनी सेवा में लेने के लिए राजी हो गई। तदनुसार कर्मचारियों को विकल्प पत्रक दिये गये जिनके अनुसार परिषद् की नौकरी में जाने वाले उन अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार के अधीन की हुई पिछली सारी सेवा के लाभ, जैसे पद का वेतनमान, परिषद् में नौकरी में आते समय प्राप्त होने वाले वेतन, पैंनशन के लाभ, भविष्य निर्वाह निधि, पिछली छुट्टी की गणना, वर्तमान इन्टर-सी-सीनियारिटी और अन्य सेवा शर्तें आदि प्रदान की जायेंगी। सरकारी कर्मचारियों की कृषि विभाग में जुड़ी हुई पिछलो सेवा परिषद् की नौकरी में भी गिनी जायेगी। इस बारे में गृह मंत्रालय सहित समस्त सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श कर लिया गया था। जिन कर्मचारियों ने परिषद् के अधीन सेवा करने के लिये 30-11-1966 (इन 9 अनुसंधान संस्थानों के बारे में जो परिषद् के अधीन 1-4-1966 से आ गये थे) 30-9-1967 / 31-3-1969 / 31-3-1970 तक अपनी सहमति दे दी थी, उन्हें क्रमशः 1-12-1966, 1-10-1967, 14-4-69 और 1-4-1970 से नियमित रूप से परिषद् की सेवा में ले लिया गया। जहां तक उन अन्य व्यक्तियों का सम्बन्ध है जिन्होंने उपरोक्त तिथियों तक परिषद् में सेवा करने के लिये सहमति नहीं दी थी, उन्हें नेशनल फौरन सर्विस के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सेवा में रख लिया गया है। ऐसा

उस समय तक रहेगा जब तक कि विकल्प की अन्तिम तिथि नहीं आ जाती और नियुक्ति नहीं हो जाती परन्तु उन व्यक्तियों को कोई प्रति-नियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाता। इसी बीच उपरोक्त तिथियों के पश्चात् परिषद् की सेवा के लिए सहमति भेजने वालों को भी परिषद् ने स्वीकार कर लिया है और भविष्य में भी स्वीकार कर लिया जायेगा और उन्हें परिषद् की सेवा के लिये सहमति भेजने की तिथि से परिषद् की सेवा में आया हुआ मान लिया जायेगा।

चावल की नई किस्मों का विकास

4164. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 के पश्चात् देश में चावल की किन-किन नई किस्मों को तैयार किया गया है और उनके अनुसंधान केन्द्र किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) उनमें से किन-किन किस्मों से आगामी दो-तीन वर्षों में हरित क्रान्ति आने की सम्भावना है;

(ग) उक्त किस्मों का खेतों में कितनी अवधि तक और कितने एकड़ के खेतों में परीक्षण किया गया और देश के किन-किन भागों में उक्त किस्मों का प्रयोग किया गया; और

(घ) क्या उनमें बीमारियों से मुकाबला करने की शक्ति है, यदि हां, तो उनका मुकाबला करने की शक्ति का कैसे परीक्षण किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सन् 1967 से देश में चावल की निम्नलिखित किस्में विकसित की गई हैं :

किस्म का नाम	विकसित होने का स्थान
1. जया	हैदराबाद स्थित अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना का राष्ट्रीय मुख्यालय
2. जगन्नाथ	उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय
3. साबरमती 4. जमुना	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली
5. विजया 6. पद्मा 7. बाला 8. कृष्णा 9. रतना	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक
10. कावेरी 11. आई ई टी० 400 (को० 34) 12. करुणा	धान सम्वर्धन केन्द्र, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
13. हेंमसा	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर
14. अन्नपूर्णा	केन्द्रीय धान अनुसन्धान केन्द्र, पट्टम्बी, केरल
15. सुम 16. कुसुम	मैसूर कृषि विश्वविद्यालय, हेब्बल

उपरोक्त समस्त किस्में परिषद् द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के अन्तर्गत विकसित की गई हैं ।

आई आर-8 और आई आर-20 अधिक उत्पादनशील किस्में हैं, परन्तु ये किस्में भारत में विकसित नहीं की गई हैं ।

(ख) निर्मुक्त की गई चावल की किस्में में जया और विजया में अधिक उपज की शक्ति मौजूद हैं, अतः इन दो किस्मों और प्रचलित आई आर-8 से हरित क्रान्ति आने की सम्भावना है । अन्य किस्में भी राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होंगी ।

(ग) निर्मुक्त हुई समस्त किस्मों का 4 से 7 मौसमों में परीक्षण हो चुका है ।

(घ) निर्मुक्त हुई कुछ किस्में विशिष्ट रोगों तथा कीटों के लिये प्रतिरोधी हैं । उदाहरणतया जया, बाला, साबरमती और जमुना ब्लास्ट प्रतिरोधी हैं जबकि को-34 तथा रतना हैलमिन्थोस्पोरियम प्रतिरोधी और साबरमती, कावेरी और कृष्णा 'बैक्टेरियल लीफ स्ट्रेक' प्रतिरोधो हैं । देश के विभिन्न क्षेत्रों में किये हुये विशिष्ट स्क्रीनिंग परीक्षणों द्वारा इन रोगों के प्रतिरोध की पुष्टि हो गई है । जहां तक सम्भव हो सका है इन प्रतिरोधों का प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक दोनों प्रकार की परिस्थितियों में अध्ययन किया गया है ।

केरल में परियोजना क्षेत्रों के डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

4165. **श्री वासुदेवन नायर : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 मार्च, 1967 को एक आदेश जारी किया था जिसके अन्तर्गत केरल राज्य में परियोजना क्षेत्रों में काम करने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग ने अभी तक कर्मचारियों को परियोजना भत्ता नहीं दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त भत्ते का भुगतान न करने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). इस विभाग के दिनांक 4 मार्च, 1967 वाले आदेशों द्वारा मन्जूर किया गया परियोजना भत्ता मातुपति, सेतुपार्वतीपुरम, मालापुजा, मुन्नार तथा अनतोडु को छोड़ कर उस आदेश में उल्लिखित सभी स्थानों में अभी भी दिया जा रहा है । अनतोडु में परियोजना भत्ता 19-8-1970 से नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कोई विभागीय कर्मचारी तैनात नहीं हैं । इस विभाग के 4 मार्च, 1967 वाले आदेशों के पैरा 3 में उल्लिखित इस शर्त के अनुसार कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड के स्टाफ के बारे में इस भत्ते की मन्जूरी के वापिस लिये जाने पर डाक-तार कर्मचारियों के बारे में भी परियोजना भत्ते की मन्जूरी वापिस ले ली जायेगी, मातुपति, सेतुपार्वतीपुरम तथा मालापुजा में परियोजना भत्ते की अदायगी का प्रश्न ही नहीं उठता । मुन्नार में डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की अदायगी का प्रश्न विचाराधीन है ।

उत्पादन के साथ बोनस का जोड़ा जाना

4166. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एंटी-बायोटिक्स लिमिटेड ने अपने श्रमिकों के साथ एक करार किया था जिसके अन्तर्गत बोनस देने की कसौटी को उत्पादन के साथ जोड़ा जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सिद्धान्त को सरकारी क्षेत्र के अन्य सभी उपक्रमों के लिए स्वीकार करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर विशिष्ट उपक्रमों में प्रबन्धकों और श्रमिकों को विचार करना होगा।

श्रीनगर में हुआ वार्षिक कृषि सम्मेलन

4168. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा सितम्बर में श्रीनगर में बुलाये गये वार्षिक कृषि सम्मेलन में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई; और

(ख) अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी तथा सरकार की ओर से किन-किन व्यक्तियों ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) यह सम्मेलन यू० एस० ऐड मिशन का वार्षिक सम्मेलन तथा आन्तरिक मामला है। इससे भारत में कार्य करने वाले कृषि विशेषज्ञों को अपने अनुभव बताने तथा समस्याओं पर विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उनके तकनीकी सहायता कार्यक्रम में सुधार लाना है।

(ख) यू० एस० ऐड की ओर से 116 विशेषज्ञों ने भाग लिया था। सितम्बर में हुए सम्मेलन में भारत सरकार के तीन अधिकारियों ने भी विशेष अतिथियों के रूप में भाग लिया था।

डालमियापुरम के डाकघर का नाम बदल कर कालाकुडी रखना

4169. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि डालमियापुरम रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर कालाकुडी रख दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डाकघर के नाम को बदल कर कालाकुडी रखने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर कालाकुडी पालंगनाथम कर दिया गया है।

(ख) और (ग). जी हां। 3-12-70 को राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि डालमियापुरम उप-डाकघर का नाम बदल कर कालाकुडी उप-डाकघर कर दिया जाए। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

तमिलनाडु में तिरुवारूर में बीज तैयार करने का कारखाना स्थापित करने पर हुए खर्च की फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा प्रतिपूर्ति

4170. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में तिरुवारूर में बीज तैयार करने का कारखाना स्थापित करने पर हुए खर्च की फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा प्रतिपूर्ति करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) फोर्ड फाउन्डेशन की वित्तीय सहायता से सघन कृषि जिला कार्यक्रम के एक भाग के रूप में तिरुवारूर में बीज परिसंस्करण तथा बीज सुखाने की एकक की स्थापना की गई थी। वास्तविक व्यय स्वीकृत राशि से बढ़ गया और राज्य सरकार ने इस बढ़े हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये भारत सरकार को लिखा है। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

कृषि आयोग की बैठक

4171. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की प्रथम बैठक हाल में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये थे; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के निर्णय लिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। आयोग की पहली बैठक 17 अक्तूबर, 1970 को हुई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) लिये गये निर्णय विवरण में उल्लिखित हैं।

विवरण

17-10-70 को हुई राष्ट्रीय कृषि आयोग की प्रथम बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय किये गये :

(क) आयोग छः प्राथमिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में छः महीनों के अन्दर अन्तरिम रिपोर्ट

प्रस्तुत करेगा अर्थात (i) कृषि में विज्ञान तथा तकनौलौजी का उपयोग, (ii) अच्छी किस्म के बीजों का वर्धन तथा वितरण, (iii) उर्वरकों तथा रसायनों की सप्लाई, (iv) विभिन्न किस्म के क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावना के सर्जन के लिये मार्गदर्शी परियोजनायें (v) छोटे तथा मध्यम किसानों की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ से कृषि ऋण और (vi) भूमि सुधार।

(ख) अत्यन्त महत्वपूर्ण मद, जिसको आयोग प्राथमिकता देगा, कृषि विकास में विज्ञान तथा तकनौलौजी का उपयोग होगा। आयोग प्रथम बैठक के तुरन्त बाद वैज्ञानिकों के साथ परामर्श करना शुरू कर देगा। आयोग जहां सम्भव होगा विद्यार्थियों के साथ उनकी समस्याओं को ढूंढ़ने, उन के विचार तथा रुख का पता लगाने के लिये विचार विमर्श करेगा। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा शैक्षणिक प्रयत्नों को और व्यापक बनाया जायेगा और इस बात को दृष्टि में रखते हुये आयोग न केवल कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि महाविद्यालयों में किये गये कार्य का ही निरीक्षण करेगा बल्कि सामान्य विश्वविद्यालयों में किये जा रहे कार्य को भी देखेगा।

(ग) आयोग राज्य सरकारों के साथ भी विचार विमर्श करेगा। प्रत्येक राज्य सरकार से सरकारी स्तर पर एक छोटा ग्रुप गठित करने के लिये अनुरोध किया जायेगा, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अधिकार में आने वाली समस्याओं पर इसी प्रकार विचार विमर्श करेगा और सम्बद्ध सामग्री तथा आंकड़े तैयार रखेगा ताकि उनको राज्यों के साथ विचार विमर्श करते समय आयोग द्वारा प्रयोग में लया जा सके। ग्रुप आयोग के विचारार्थ संक्षिप्त सिफारिशें तथा सुझाव भी दे सकता है।

(घ) आयोग अपने कार्यों की सीमा में आने वाले मामलों पर प्रशासकों के चुने हुये ग्रुपों, वैज्ञानिकों तथा अर्थ शास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेगा।

विजय नगर, दिल्ली में पट्टे पर दी गई भूमि

4172. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 26 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2563 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग ने 'जी' ब्लाक विजय नगर, दिल्ली 9 में सार्वजनिक लेन और पार्क को पट्टे पर दिये जाने के, अधिकृत मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध अपील की है;

(ख) यदि हां, तो अपील के क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो अपील न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). अधिकृत मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के पुनर्विलोकन किये जाने के लिये विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 33 के अधीन अपील करने का निश्चय किया गया है।

देवली कैम्प में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की मृत्यु

4173. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री समर गुह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से हाल ही में आये 150 शरणार्थी जो अभी हाल ही में पहुंचे थे और जिन्हें देवली कैम्प में रखा गया था, मर गये, जिनमें 100 बच्चे भी सम्मिलित थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्दी में समुचित कपड़ों के न होने के कारण उनकी मृत्यु हुई;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी उपेक्षा के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : जी, नहीं। 25.11.1970 तक कुल मिलाकर 73 प्रवासियों का, जिनमें 5 वर्ष की आयु तक के 65 बच्चे भी शामिल थे, देहान्त हुआ था।

(ख) जी, नहीं। उनका देहान्त रोगों से हुआ था जो कि वे पूर्वी पाकिस्तान से साथ लाये थे, जैसे कि खसरा, पेचिश ब्रोको-न्युमोनिया इत्यादि। कुपोषण उनकी बीमारी, और परिणाम स्वरूप मृत्यु का मूल कारण है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

नियम 353 के अधीन प्रकिया के बारे में
RE. PROCEDURE UNDER RULE 353.

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री ज्योतिमर्य बसु से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं नियम 353 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के नाम का जिक्र करना चाहता हूं। उन्हें किसी का नाम लेने के पहले, इसका ब्यौरा अध्यक्ष को देना चाहिये कि मामला क्या है, और किसके नाम का जिक्र करना चाहते हैं, ताकि अध्यक्ष उस पर पहले विचार कर सकें। जब वह व्यक्ति जिसका नाम लिया जाना है, सदन का माननीय सदस्य है, तो मामला बहुत अधिक गंभीर है। अतः आप अध्यक्ष के लिये कठिनाई पैदा न करें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

'बसुमति' के बन्द किये जाने का समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : श्रीमान्, मैं श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं

कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

> "दैनिक समाचार-पत्र 'बसुमति' तथा उससे सम्बद्ध प्रकाशनों को बन्द कर दिया जाना और इसके फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने का समाचार।"

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रबन्धकों द्वारा कलकत्ता में 16 नवम्बर, 1970 से बसुमति ग्रुप के प्रकाशनों की कामबंदी की गई थी। कामबन्दी के कारण प्रभावित श्रमिकों की संख्या लगभग 550 बताई गई है जैसाकि प्रबन्धकों द्वारा बताया गया है, कामबंदी के कारण थे-श्रमिकों द्वारा अनुशासनहीनता । अनधीनता के कार्य, धीमें काम करना और काम करने से इंकार करना । यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और राज्य के प्राधिकारी इसमें समझौता कार्यवाही कर रहे हैं तथा वे प्रतिष्ठान को पुन: खुलवाने के प्रयास कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : केन्द्रीय सरकार यह कहकर अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रही है कि यह मामला राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है और राज्य के प्राधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं । पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन कायम है, अत: वहां जो कुछ हो रहा है । उस के प्रति केन्द्रीय सरकार की खास जिम्मेदारी है ।

जहां तक समझौता-वार्ता का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा इस के लिए तीन तिथियां निश्चित की गई थीं । ये तिथियां थीं 23, 26 नवम्बर और 9 दिसम्बर, परन्तु प्रबन्ध समिति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उनका सुदृढ़ विचार यह है कि चूंकि अब 'बसुमति' को बंद किया गया है, अतः समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता । यहां मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि राज्य सरकार के प्राधिकारी समझौते के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । कोई समझौता-वार्ता नहीं चल रही है यह एक गंभीर मामला है । अतः सरकार अपने उत्तरदायित्व की उपेक्षा नहीं कर सकती ।

'बसुमति' समाचार पत्र 50 या 60 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था । प्रबन्ध समिति ने तालाबंदी के जो कारण बताये हैं, वे हैं : कर्मचारियों की अनुशासनहीनता ; धीरे काम करने की नीति का अपनाया जाना ; काम करने से इंकार किया जाना ; आदि । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह कैसे संभव है कि तालाबंदी की सूचना 15 नवम्बर को दे दी गई और 16 नवम्बर का समाचार पत्र पूर्ववत् प्रकाशित भी हुआ ? प्रकाशन एक दिन भी नहीं रुका ।

इस समाचार-पत्र की संस्था के नवीनतम तुलन-पत्र में कुल लाभ 14.8 लाख रुपए दिखाया गया है । अतः कर्मचारियों की अनुशासनहीनता और काम करने से इनकार किया जाना आदि केवल बहाना है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस पत्र के संचालक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं संसद का वर्तमान सदस्य है । इस दैनिक समाचार-पत्र के बन्द किये जाने के कारण कुछ और हैं । वास्तविक कारण यह है कि श्री अशोक सेन इस की संपादकीय नीति से असंतुष्ट थे । इसके संपादक श्री विवेकानंद मुकर्जी ने एक वक्तव्य में यह आरोप लगाया था कि श्री अशोक सेन इस की संपादकीय नीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं । राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान श्री अशोक सेन ने श्री संजीव रेड्डी के समर्थन करने पर जोर दिया परन्तु श्री विवेकानंद मुकर्जी इससे सहमत नहीं हुये । अत: गत महीने उन्हें नौकरी से हटा दिया गया । जब कर्मचारियों ने इस पर हड़ताल

आरंभ की, तो प्रबन्धक समिति को उन्हें पुनः नौकरी पर लगाना पड़ा। परन्तु यह बात श्री अशोक सेन को कभी भी अच्छी नहीं लगी। तब से वे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य चलाने का प्रयत्न कर रहे थे। और, अंत में, 15 नवम्बर को तालाबंदी की सूचना दी गई। मेरे विचार से श्रम मंत्री कम से कम यह जानते हैं कि यह तालाबंदी अवैध है।

वर्तमान नियमों के अनुसार, अगर कोई प्रबन्ध समिति अपनी संस्था को बन्द करना चाहती है, तो उसे न केवल कर्मचारियों को। बल्कि सरकार को भी इसकी सूचना देनी चाहिये। यहां सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई। अतः यह तालाबंदी बिलकुल अवैध है। 500 कर्मचारियों को अक्तूबर महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है इसके बदले उन्हें तालाबंदी की सूचना दी गई है। समझौता-वार्ता में भी प्रबन्ध समिति भाग नहीं ले रही है। सही स्थिति यह है।

मैं इस समाचार-पत्र के आर्थिक पहलुओं के बारे में कहना नहीं चाहता। सब लोग जानते हैं कि बड़े पैमाने पर काला धन का विनियोजन किया गया है और अखबारी कागज के मामले में गिरोह चल रहा है। लाखों रुपए के आय कर का अपवंचन किया गया है। इन मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों कर रहा है। यहां उन बातों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। केवल कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है।

मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप कर तालाबंदी को समाप्त कराएगी। क्या सरकार कर्मचारियों को रोके हुए वेतन पुनः दिलायेगी? क्या सरकार इस अवैध तालाबंदी के लिये कर्मचारियों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था करेगी? क्या सरकार तालाबंदी समाप्त कर कार्य सामान्य तौर पर आरंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी? 'बसुमति' के कर्मचारियों ने आम बैठक में एक संकल्प पारित कर दिया जिसमें कहा गया है कि अगर केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता करेगी तो वे एक सहकारी संस्था बनायेंगे और 'बसुमति' का कार्य पुनः चालू करेंगे। श्री अशोक सेन और उनके बेनामदारी मित्रों को 'बसुमति' के प्रबन्ध से हटना चाहिए। सरकार को कर्मचारियों की एक सहकारी संस्था या न्यास द्वारा इस पत्र का कार्य पुनः चालू करने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिए तैयार है या नहीं।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह चित्र का एक पहलू है। हमें दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। इस मामले में एक माननीय संसद् सदस्य अन्तर्ग्रस्त हैं। हम दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहते हैं। अतः इस पर चर्चा चलाई जाए।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : 'बसुमति' के बन्द किये जाने की सूचना 15 नवम्बर को दी गई और 16 नवम्बर को कार्यालय बंद किया गया। यह सच है कि हमने प्रबन्ध समिति को 23 और 26 नवम्बर को और 9 दिसम्बर को समझौता-वार्ता के लिए निमंत्रण दिया था। परन्तु उनका विचार यह है कि चूंकि यह तालाबंदी का मामला है, अतः सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अतः उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन को यह जानकारी मैंने दी है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने यह बात अपने वक्तव्य में क्यों नहीं कही। उन्होंने अब यह बात इसीलिए कही क्योंकि मैंने उसका रहस्योद्घाटन किया। यह भी कैसा वक्तव्य है जिनमें तथ्यों को छिपाया गया है ?

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य ने किसी नई बात का रहस्योद्घाटन नहीं किया यह बात राज्य सभा में कही जा चुकी है। केवल एक बात जो राज्य-सभा में नहीं कही गई, यह है कि कल, अर्थात् नौ नवम्बर को, समझौता-वार्ता के लिये प्रबन्ध समिति को निमंत्रण दिया गया था, परन्तु उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया मैं अब सदन को इसकी सूचना देता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय जवाब दें। माननीय सदस्य ने चार मुख्य प्रश्न पूछे हैं। वे उनका जवाब दें।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जवाब देने को तैयार हूं, मगर मैं जो कह रहा हूं, आप जरा सुनें।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यहां माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। आपने जो बात राज्य सभा में कही, वह यहां भी कह देते तो अच्छा था। आगे, जब भी वे राज्यसभा में कोई बयान दें तो वह लोक-सभा में भी वही बयान देने की कृपा करें। वे केवल यह नहीं कह सकते हैं कि मैंने राज्यसभा में यह बात कही है। अन्यथा कुछ कठिनाइयां पैदा होंगी। माननीय सदस्यों की मांग बिलकुल न्यायसंगत है कि जो भी बात राज्य सभा में कही गई, वह लोक-सभा में भी बताई जाए।

श्री भागवत झा आजाद : जो बात मैंने राज्य सभा में कही थी, वह यहां भी कही है। समझौता वार्ता के लिए तीन तिथियां निश्चित कर दी गई थीं। मगर प्रबन्ध समिति इसके लिए तैयार नहीं हुई। हम प्रबन्ध समिति के मत को जानने की कोशिश कर रहे हैं।

तुलन पत्र, काला धन आदि के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह प्रश्न संबंध मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में तालाबंदी के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। परन्तु धारा 25 (एफ) में कहा गया है कि अगर कोई उपक्रम किसी कारण से बन्द किया जाता है, वहां का कोई भी कर्मचारी, जो कम से कम एक साल से वहां निरन्तर रूप से काम कर रहा है, क्षतिपूर्ति का अधिकारी होगा और उसे तालाबंदी के पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। इसी धारा (250एफ) में कहा गया है कि जब उपक्रम बन्द किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी की छंटनी की गई है और उसे एक महीने पूर्व सूचना मिलेगी या क्षतिपूर्ति मिलेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैंने यह जानना चाहा कि क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और इस समाचार पत्र को चलाने के लिये कर्मचारियों की सहकारी संस्था बनाने में सहायता देगी।

अध्यक्ष महोदय : वस्तुतः उन्होंने प्रश्न का जवाब दिया है। परन्तु इसके अलावा कुछ छोटे प्रश्न भी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : ये छोटे प्रश्न नहीं हैं। मंत्री महोदय यह कहें कि हम इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। उन्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : कर्मचारियों का जहां तक संबंध है, उसका मैंने जवाब दिया। जहां तक सहकारी संस्था का संबंध है, यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता अतः मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : 'बसुमति' दैनिक समाचारपत्र को बन्द किये जाने से हमें चिन्ता केवल इस कारण से नहीं कि 500 कर्मचारी बेरोजगार हुए, बल्कि इसीलिये भी कि यह बंगाल का एक बहुत पुराना दैनिक है। बंगाल की जनता चाहती है कि यह चालू रहे। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि इस दैनिक का कार्य पहले बहुत गड़बड़ में था। 1962 में कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने इसको बेचने के लिये एक रिसीवर नियुक्त किया बहरहाल, 1963 में कुछ लोगों ने एकत्र होकर इसको अच्छी तरह चलाने का प्रयत्न शुरू किया और संपादक श्री विवेकानन्द मुकर्जी और प्रबन्ध समिति के बीच एक करार किया गया। इस करार में यह बताया गया था कि इस समाचार पत्र की नीति व्यापक राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना है। 1966 से, इस नीति में कुछ परिवर्तन होने लगा और धीरे-धीरे इस समाचार पत्र ने प्रायः साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की नीति अपनाई। इतना ही नहीं, इसमें प्रसोपा, संसोपा आदि दल के नेताओं और सदस्यों की बुरी आलोचना भी की गई। खासकर श्री समर गुह की बहुत बुरी आलोचना की गई। यह मामला विशेषाधिकार को सौंप दिया गया, और सम्पादक ने माफी मांगी। जहां तक मैं समझती हूं, इस दैनिक के कर्मचारियों के बीच आपसी संघर्ष चल रहा था। इसके बावजूद भी इस पत्र की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक थी। परन्तु प्रश्न यह है कि सरकार ने 500 कर्मचारियों को बकाया वेतन दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है। हम चाहते हैं कि उन्हें कम से कम अपने बकाया वेतन का भुगतान कराया जाये।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इस दैनिक को अपने पूर्व निर्धारित करार के अनुसार व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर चलाने के लिये और देश के प्रतिष्ठान नागरिकों का अपमान करने से रोकने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करेगी।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्या ने 1962 के बाद की जो बात कही, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। फिर, जैसा मैंने कहा, हमने इस समस्या को सुलझाने के लिये तीन बैठकें बुलाई। हम स्वाभाविकतया 500 कर्मचारियों के बेरोजगार होने से अधिक चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले। अतः हम प्रबन्ध समिति से बातचीत करेंगे। और दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करायेंगे ताकि वे इसका हल निकाल सकें। जब औद्योगिक संबंध कायम होगा, तो इस दैनिक का कार्य सुचारु रूप से चलेगा। हम अब तक प्रबन्ध समिति को मनवा नहीं सके क्योकि उनका रवैया यह है कि चूंकि यह उपक्रम बन्द किया गया है, अतः सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

हालांकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन कायम है, फिर भी राज्य सरकार समाप्त हुई है। वह श्रमिक कानूनों के अधीन सभी कार्य कर रही है। उदाहरण के लिये, हमने प्रेस के कर्मचारियों से मंजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत अक्तूबर के वेतन का दावा करने के लिये

कहा है। हमने श्रमजीवी पत्रकारों से श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत अपना दावा पेश करने के लिये कहा है। वे पहले ही कार्यवाही कर रहे हैं। साथ ही साथ हम दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयत्न भी कर रहे हैं।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): 'Basumati' has fallen a prey to anarchy that prevails in West Bengal to-day. The Director of this Daily is Shri Asok Sen, a veteral Congress leader. This has been closed due to the indiscipline, and refusal to work on the part of the workers. It is a fact that this News paper has become a victim of inter-party struggle, that has assumed dangerous proportions in West Bengal. The Director of the paper wants to implement his own policy where as the Editor of the paper wants to pursue his own line, which toes the line of the Marxists. This paper which was founded by Shri Upendra Nath Mukerji, to promote national interest, has now virtually become the mouth-piece of China, Naxalites and the cult of violence....(**interruption**). May I know from the Government, how many clashes occurred between the management and the Editorial board, and on how many occasions, the managemant was gheraod, with the result that the work had to be stopped? Has the Government made any effort to give protection to the management?

Secondly, may I know if the Government has decided to restart it and if so, what arrangement is proposed to be made to weed-out the naxalite elements from the paper......

श्री स० मो० बनर्जी : यह गलत बात है (अन्तर्बाधा) 'बसुमति' एक तटस्थ दैनिक है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वे सब नक्सलवादी हैं ? उन्हें विवेकानन्द मुकर्जी का नाम लेने की अनुमति कैसे दी जाती है ?

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : समाचारपत्र के सम्पादक और संचालक के बीच मतभेद के परिणामस्वरूप लोक-महत्व की कुछ समस्याएं पैदा होती हैं और उनपर अवश्य सदन में चर्चा की जानी चाहिए। परन्तु, किसी व्यक्ति के बारे में जो कोई सरकारी अधिकारी भी नहीं है और इसलिए सरकार उसका संरक्षण भी नहीं कर सकती, अपमानजनक शब्द कहना अनुचित है। वे एक बहुत प्रतिष्ठित सम्पादक को नक्सलवादी कह रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : यहां बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। दैनिक के संचालक का नाम भी बताया गया। एक पक्ष एक व्यक्ति का नाम लेता है, तो दूसरा पक्ष किसी और का नाम लेता है। मैंने श्री बसु का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। मगर उन्होंने पर्याप्त कारण नहीं दिया।

श्री ही० ना० मुकर्जी : वह इस सदन का सदस्य हैं। उन्हें सदन में उपस्थित होना चाहिए था। प्रश्न के उत्तर में कई बार उनके नाम का जिक्र किया गया है।

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

Shri Hardayal Devgun : I said that there were differences between the editorial board and the management. If these people take exception to my observation, I would like to pointout that members of the editorial board had visited China on the invitation of that country. Is it not a fact that they are making propaganda of China and naxalism. (**Interruption**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ध्यान आकर्षण का विषय श्रम मंत्री के कार्य क्षेत्र के अन्दर आ जाता है। प्रश्नों का जवाब देने के लिये श्रम मंत्री यहां पर उपस्थित

हैं। मगर माननीय सदस्य चीन में जाने वाले या इज्रायल में जाने वाले की बात करते हैं। यह असंगत बात है।

Shri Hardayal Devgun: I would ask two questions. Has the Government any right, according to law, to intervene in this matter? Secondly, when this paper is re-started, will Government make efforts to see that it goes in accordance with the policies and giude-lines laid down by its founders and with this end in view, will it be entrusted to a trust duly set-up consisting of nationalists in the country? I would also like to know whether the 'Patriot' published from Delhi, where the employees have gone on strike, also will be entrusted to a trust?

Shri Bhagwat Jha Azad: I am a bit confused as to which portion of this rather long statement, should be taken as question. Nevertheless, I would try to reply.

The Hon. Member said about intervention. The employees who have been removed from work would be treated as retrenched and there is a formal procedure under rule 25 (F) according to which they should be given due notice of retrenchment and paid compensation. Government can intervene on the ground that if they are not paid compensation they should be given one month's notice. West Bengal Government is taking action in this regard. We have advised them that Press workers should be paid compensation under payment of wages Act and the Central Government would intervene with regard to Journalists.

So far as the policy of the Government is concerned it is clear. I cannot give any guarantee. The question relating to 'Patriot' does not arise from this question.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पूर्वी क्षेत्र में समाचार पत्र पाठकों की संख्या सबसे कम है। दक्षिणी तथा पश्चिमी जोन में यह लगभग 65 है जबकि पूर्वी जोन यह लगभग 22 से 25 है। इस स्थिति में पिछले 60 वर्ष से चल रहे पत्र को इस प्रकार अचानक बन्द होने की अनुमति किस प्रकार दी जा सकती है। आज के ऊंचे मूल्यों के युग में उन 540 कर्मचारियों के परिवारों की स्थिति का आप अनुमान लगाएं जिन्हें अक्टूबर का वेतन नहीं मिला। हम अपने आपको उनकी स्थिति में रख कर सोचें।

बसुमति के इस विवाद में मुख्य व्यक्ति भूतपूर्व विधि मंत्री हैं जो कि इस सभा के भी वर्तमान सदस्य हैं। अक्टूबर का वेतन देने का उन्होंने वचन दिया परन्तु उसका पालन नहीं किया गया। इसे बन्द किये जाने की सूचना पढ़ने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि यह अवैधानिक, निराधार झूठ तथा अनुचित है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अनुसार तीन महीने की सूचना अपेक्षित है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार भी कम से कम एक मास का नोटिस है। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस दृष्टि से मंत्री महोदय इसे अवैधानिक नहीं समझते और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

बंगाल के लोगों को यह बताया गया कि वह समाचार पत्र घाटे में चल रहा था। पर यह सच नहीं है। यदि हम उसके तुलनपत्र को पढ़ें तो पता चलता है कि हाल ही के वर्ष में इसने 1,48,747 रुपये का लाभ कमाया। 1968 वर्ष के लिये भी इसे पर्याप्त लाभ हुआ। श्री आजाद ने राज्यसभा में बताया कि समझौते के परिणामों की प्रतीक्षा की जाए। परन्तु सरकार के आदेशों का उल्लंघन प्रबन्धकों ने तीन बार किया है। उन्होंने समझौता वार्ता के आदेशों का उल्लंघन किया है। इस स्थिति में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

क्या श्रमिकों की भविष्य निधि राशि का वर्ष 1968 से दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां तो न्यास भंग तथा निधियों के दुरुपयोग का मुकदमा चलाकर सरकार सजा दे सकती है। आप इस सबके साथ मिले हुए हैं इसी कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, केवल झूठे आंसू ही बहाए जा रहे हैं। हमें बताया जाए कि बसुमति की चार लाख रुपये की आय के दुरुपयोग की अनुमति सरकार ने क्यों दी । इसके साथ कर्मचारियों को जानबूझ कर तंग करने की बात है। अवैधानिक तरीकों से श्रमिकों को तंग किया जाता है, सरकारी कर अदा नहीं किये जाते, अखबारी कागज की चोर बाजारी आदि की बातें की जा रही हैं।

** (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : आप हर बार अन्तर्बाधा क्यों डालते हैं ?

श्री पीलु मोडी (गोधरा) :**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री पीलु मोडी ने कहा है वह मेरी अनुमति के बिना है।

श्री लोबो प्रभु : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दें।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की सभी टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा ।

श्री पीलु मोडी : मेरी टिप्पणी से किस आधार पर कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया है।

अध्यक्ष महोदय : सभी अनधिकृत अन्तर्बाधाओं को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने का मैंने निश्चय किया है।

श्री पीलु मोडी : मुझे बताया जाए कि अन्तर्बाधा अधिकृत किस प्रकार हो सकती है जिस से कि भविष्य में मैं वैसा कर सकूं।

अध्यक्ष महोदय : हर समय आप अन्तर्बाधा को सोचते रहते हैं। कुछ तो सीमा होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मांग करता हूं कि मजूरी भुगतान अधिनियम तथा श्रम जीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल वेतन का भुगतान किया जाये।

सत्ताधारी लोगों के से अव्यवहारों तथा अनैतिकता को समाप्त करने के लिए एक ही रास्ता है कि इस पत्र का अधिग्रहण किया जाए जिससे श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा प्राप्त हो सके व समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हो सके।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमने प्रबन्धकों तथा श्रमिकों को बातचीत के लिए बुलाया है और इस बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ समझौता हो जाए। हमने श्रमिकों तथा श्रम जीवी पत्रकारों को उपरोक्त दोनों अधिनियमों का संरक्षण प्राप्त करने का अनुरोध किया है।

दुर्भाग्य से इस देश में अनेक नियोजकों ने कर्मचारी भविष्य निधि की अदायगी नहीं की है उन सबके विरुद्ध हम कार्यवाही कर रहे हैं तथा इन प्रबन्धकों ने भी यदि ऐसा ही किया

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

है तो इनके विरुद्ध भी हम कार्यवाही करेंगे। परन्तु इन प्रबन्धकों ने अगस्त 1970 तक यह राशि जमा करवा दी और केवल दो महीनों की ही उनकी ओर बकाया है।

आयकर, इसके अधिग्रहण तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता कल्पना तारु तथा सेन गुप्त यदि एडिटर हैं तो उन्हें 6 मास का नोटिस दिया जाना चाहिए था और यदि वे श्रमजीवी पत्रकार हैं तो उन्हें 3 मास का नोटिस अपेक्षित था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार समाचार पत्र के बन्द किये जाने को गैर कानूनी समझती है ?

श्री भागवत झा आजाद : अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में मैंने पहले ही उत्तर दिया है। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : जब न तो मुआवजा दिया जाय और न कोई नोटिस तो भी क्या यह गैर-कानूनी नहीं है ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : आप कहते क्यों नहीं कि यह गैर-कानूनी है ?

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्नों के उत्तर में मैंने कई बार कहा है··· **(अन्तर्बाधाएं)** महोदय मैं यह कैसे कह सकता हूं कि तालाबन्दी कानूनी है अथवा गैर-कानूनी। मैं केवल यह कह सकता हूं कि कार्य से हटाया गया प्रत्येक श्रमिक धारा 25 एफ० एफ० एफ० के अनुसार "छंटनी किया गया" समझा जाना चाहिए और जिस क्षण वह छंटनी हो उस पर धारा 25 एफ० लागू होती है मैंने कहा है कि कुछ अन्य बातें भी ऐसी हैं जो गलत हैं और जो नहीं होनी चाहिए थीं।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : उठे

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव चन्द्र झा ने अम्बाला छावनी के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया है। मैं नहीं समझता कि अम्बाला में कुछ लोगों को बेघर किये जाने का क्या भारतीय संसद से कुछ सम्बन्ध है। संसद में इसे कैसे उठाया जा सकता है।

Shri Shiva Chandra Jha: I have received a telegram from Ambala that the refugee shopkeepers of Kamla Nehru Market on G.T. Road there are being uprooted. I request that they should not be uprooted before taking a decision in regard to their settlement and all this should be stopped....

Mr. Speaker: Are you talking of rehabilitation camp ?

Shri Shiva Chandra Jha: It is concerned with the Labour and Rehabilitation Ministry.

Mr. Speaker: Yes, he is right.

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमती सुचेता कृपालानी ने मेरा नाम बार बार लिया है। मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए कुछ समय दिया जाये।

Mr. Speaker: You should have given the notice of that to me.

श्री नाथ पाई : उन्हें पता नहीं था कि उनका नाम बार-बार लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर भेजें।

श्री समर गुह : **

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गलत बात है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या आप उन्होंने जो कुछ कहा उसे कार्य वृतान्त में सम्मिलित न किये जाने का निर्देश नहीं देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा करना पड़ेगा ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : इंडियन एयर लाइन्स में विमान चालकों की पूर्ण हड़ताल के कारण संकट पैदा कर दिया गया है और जनता को असुविधा हो रही है । इससे देश भर की विमान सेवा पर प्रभाव पड़ा है । **(अन्तर्बाधा)** मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अब बैठ जाएं । बिना पूर्व सूचना के मैं कोई भी प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री जि० मो० विश्वास : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । आपने इसे अचानक उठाया है अन्यथा मैं सम्बन्धित मंत्री को वक्तव्य देने के लिए सूचित करता । यह सही तरीका नहीं है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संदाय और मजदूरी अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजदूरी का संदाय (खान) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर, 1970, में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3844 में प्रकाशित हुये थे । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4528/70.]**

(2) जनेवा में जून, 1969 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 53वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमयों तथा सिफारिशों पर की गई या की जाने वाली कार्यवाही के बारे में एक विवरण । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4529/70.]**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत,

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

भारतीय मक्का (स्टार्च बनाने के लिये अस्थायी तौर पर प्रयोग) आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०, 1929 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4530/70.]**

संसद-कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री पी० पार्थसार्थी) : श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1970—भाग–7—की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4531/70.]**

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित रखता हूं :

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1884 प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4532/70.]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

राज्य सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के अनुसरण में मुझे 7 दिसम्बर, 1970 को राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में कृषि पुनर्वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 1970 की एक प्रति भेजने का अनुदेश मिला है।

राज्य सभा द्वारा पारित कृषि पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

AGRICULTURE REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में कृषि पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

सातवां प्रतिवेदन

श्री वैशम्पायन सेन (कटवा) : श्रीमान, मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri N. K. Tiwari in the Chair]

वर्ष 1968-69 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त, अनुदान की मांगें और 1970-71 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदान की पूरक मांगें

DEMANDS FOR EXCESS GRANT (RAILWAYS), 1968-69 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1970-71

सभापति महोदय : अब हम बजट (रेलवे), 1968-69 सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदान की मांग तथा बजट (रेलवे) 1970-71 सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में तथा उनके प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : बनारस एक महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र है और वहां कुछ गड़बड़···

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है···

सभापति महोदय : मैं इस समय किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री इसहाक संम्भली**

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : मैं मानता हूं कि रेलवे प्रशासन में अव्यवस्था है । इस सम्बन्ध में जो भी उचित सुझाव अथवा आलोचना होगी, उसका मैं स्वागत करूंगा और उसके द्वारा सुधार करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

हम सुधार का प्रयत्न कर रहे है, कुछ सफलता हमें मिली है तथा उसकी तारीफ भी की गई हैं । हमारे प्रयत्न जारी हैं पर सुधारों में कुछ समय लगेगा और एक समय के बाद इस वर्ष हमें आशा है कि कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आयेंगे ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

इस दिशा में पहला प्रयोग ईंधन की खपत को 10 प्रतिशत कम करने का है। जबलपुर डिवीजन में यह प्रारम्भ कर दिया गया है। मैं स्वयं कर्मचारियों, ड्राइवरों, कोयला झोकने वालों आदि से मिला हूं और उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके दृढ़ निश्चय से अवगत हुआ हूं। एक पुस्तिका इस सम्बन्ध में निकाली गई है और वह सदस्यों में बांटी भी गई है। 100 दिनों के दौरान 10.37 लाख रुपये की विशुद्ध बचत हुई। बचत की इस दर को देखते हुए एक वर्ष में लगभग 37.4 लाख रुपये की बचत होगी। यह आंकड़े एक डिवीजन के बारे में हैं। यहां यह कहना युक्तिसंगत होगा कि 100 दिनों की इस योजना में खपत की जो कम दर उपलब्ध की गई थी, उसे अभी तक कायम रखा गया है। मैंने मजदूरों को वचन दिया था कि जैसे ही वे इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, मैं उन्हें उनके सहयोग के लिए 10,000 रुपये तथा प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए 1000 रुपये का पुरस्कार दूंगा। ऐसा किया जा चुका है।

यह स्मरणीय है कि गत वर्ष कोयले पर 100 करोड़ रुपये व्यय किए गए। कुल खपत में 10 प्रतिशत कमी करने से 10 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह अभियान अन्य डिवीजनों में भी चालू किया जा रहा है। डीजल तेल और विद्युत शक्ति के सम्बन्ध में भी जिस पर कि रेलवे का 165 करोड़ रुपया व्यय होता है, बचत के समाचार मिले हैं।

पार्सलों और वस्तुओं की चोरी के सिलसिले में दी जाने वाली मुआवजे की धन-राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। 1969-70 के दौरान इस सिलसिले में 11 करोड़ रुपये की धनराशि मुआवजे के रूप में दी गई। संभव है कि हानि इससे भी अधिक हुई हो। माल वस्तुओं के यातायात में सबसे अधिक हानि होती है। मुगलसराय देश में सबसे बड़ा विन्यास यार्ड है और इसमें प्रतिदिन 7000 माल डिब्बे, जिसमें से 2300 डिब्बे कोयले से भरे हुए होते हैं, आते जाते हैं। चोरियों को रोकने के लिए सामूहिक कार्यक्रम के श्री गणेश के लिए इसी यार्ड को चुना गया। सबसे पहला कार्यक्रम 2 नवम्बर, 1970 को प्रारम्भ हुआ। अभियान द्वारा किए गए उपाय और प्रगति का विवरण पुस्तिका में दे दिया गया है और मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों को वह पुस्तिका बांट दी गई है। मुगलसराय के सम्बन्ध में किए गए परीक्षण की सराहना की गई है। कार्यक्रम का पहला चरण गत माह की 29 तारीख को समाप्त हुआ। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आस पास के गांवों में रहने वाले अशिक्षित युवा लोगों की सूची बनाई जाएगी। मुगलसराय में कार्यक्रम का संगठन तथा निदेश-कार्य स्वामी हरिनारायण के हाथ में था। उन्होंने रेलवे को काफी सहयोग दिया और अपने कार्य के दौरान उन्हें रेलवे विश्राम-गृह में भी ठहरना पड़ा। मेरे विचार में उनको दी गई इस सुविधा पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि यह सिद्ध हो गया कि उन्होंने कोई अनुचित या अनियमित कार्य किया है तो उनको रेलवे की स्वेच्छा से सेवा-कार्य करने के लिए रोका जा सकता है। हमें अस्पष्ट और निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : मैंने महाराज का नाम तथा फर्म, जिसे कटिहार में ठेका दिया गया है, का नाम बताया था। गैर सरकारी कर्मचारी होने के कारण महात्मा जी को रेलवे विश्राम-गृह में ठहरने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सभापति महोदय : आपने अपने वक्तव्य में इन सब बातों का हवाला दे दिया था। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो इस मामले को फिर से उठा सकते हैं।

श्री जी० मो० विस्वास : मुगलसराय स्टेशन पर महाराज मंत्री महोदय के साथ बैठे थे और कई अधिकारी आकर उनके चरण छू रहे थे। ऐसा मंत्री महोदय के दल के सदस्य कह रहे हैं।

श्री नन्दा : यह सब गलत है, झूठ है।

श्री जी० मो० विस्वास : माननीय मंत्री की निजी सम्पत्ति महाराज को प्रयोग के लिए दी जा सकती है परन्तु रेलवे की सम्पत्ति नहीं।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : I am a witness. One day I was travelling by Toofan Mail. Maharaj Hari Narayanan was also travelling by the same train. When I got down at Mukama Railway Station, I saw that the Station Master and the railway employees were touching his feet and garlanding him.

Mr. Chairman : You have already put forward all these points. Now you must listen to the reply of the hon. Minister.

श्री जी० मो० विस्वास : रेलवे मंत्री महोदय की निजी सम्पत्ति नहीं है।

श्री नन्दा : मैं यह बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि यदि कोई व्यक्ति साधु तथा समाज सेवक है तो उसे राष्ट्र की सेवा करने के विशेषाधिकार से वंचित कर दिया जाय। हमें अपनी संस्कृति को तिलांजलि नहीं देनी है। यदि कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि देश की संस्कृति को तिलांजलि दी जा सकती है ··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शांति-शांति। यदि कोई माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलेगा तो उसके कथन को सभा की कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे में साधुओं को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, और यदि हां, तो वे विशेषाधिकार कौन से हैं? ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शांति-शांति। माननीय सदस्य ने विशिष्ट प्रश्न पूछा है। माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। माननीय सदस्य कृपया उत्तर को सुनें।

श्री नंदा : यह कहना सर्वथा गलत है कि वहां बड़ी संख्या में साधु हैं। वहां 1920 से अधिक कार्यकर्ता हैं परन्तु इनमें से एक भी साधु किसी भी कैम्प का सदस्य नहीं है··· **(व्यवधान)**

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : The hon. Minister has praised the Sadhu. I would like to know whether it would not be proper to replace the officers of the Railway Board by Sadhus ?

श्री नन्दा : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि सब साधुओं को देश से भगा दिया जाए? माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या रेलवे में साधुओं को विशेषाधिकार प्राप्त हैं? मेरा उत्तर है कि किसी भी साधु को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है··· **(अन्तर्बाधा)**।

Shri Ram Dhan (Lalganj) : I rise on a point of order. Will the hon. Minister be pleased to state the expenditure being incurred on camp operation by the Railway?

Mr. Chairman : There is no point of order in it.

श्री नन्दा : यदि 15 समाज-सेवियों में एक साधु भी है तो क्या इसका अर्थ यह होगा कि वह सारे कार्य में विकार उत्पन्न कर देगा ? मैंने पहले ही कह दिया है कि यदि यह सिद्ध हो गया कि स्वामी जी ने कोई अनुचित या अनियमित कार्य किया है, जिसके कारण रेलवे, प्रशासन या सदन को चिन्ता हो रही है, तो स्वामी जी को ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है । मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है ।

भारत सेवक समाज पर कुछ आक्षेप लगाए गए हैं । मुझे इस समय इस संगठन का कोई पद नहीं मिला हुआ है । इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि समाज के सैकड़ों पूर्णकालिक तथा अंशकालिक सेवकों पर, जिन्होंने देश की अमूल्य सेवा की है और राजकोष के लिए करोड़ों रुपये की बचत की है, लांछन लगाना उचित नहीं है । **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : कृपया प्रमाण दीजिए ।

श्री नंदा : मैं प्रमाण दे सकता हूं ।

श्री लखनलाल कपूर : माननीय सदस्य मेरी चुनौती को स्वीकार करें ।

कई माननीय सदस्य **उठे**—

Shri Lakhan Lal Kapoor : Will the hon. Minister accept my challenge regarding appointment of a high power Committee against the workers of Bharat Sewak Samaj........ **(Interruption).** **

सभापति महोदय : शांति-शांति । मैं किसी भी माननीय सदस्य को कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री रामावतार शास्त्री **उठे**—

श्री जि० मो० विस्वास **उठे**—

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालेंगे तो मुझे उनको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा ।

श्री जि० मो० बिस्वास : माननीय मंत्री को साधुओं को प्रमाण-पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री **उठे**—

सभापति महोदय : कृपया सदन में अशांति न फैलायें । अपने स्थान पर बैठ जायें । मैंने श्री मुकर्जी से निवेदन किया है कि आपको आज्ञा का पालन करने को कहें । शांति-शांति ।

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : This discussion does not relate to Bharat Sewak Samaj. The hon. Minister may give reply to the subject which was discussed.

श्री नंदा : इन्होंने इसकी निंदा की है । मैं सदस्यों को एक बात का आश्वासन देता हूं । कुछ लोग दोषी हो सकते हैं । उन्हें दंड भोगने दीजिये **(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

सभापति महोदय : आप भारत सेवक समाज की बात छोड़िये, अन्य मामलों पर आइये।

श्री नंदा : जी हां, हमें जांच आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिये। अब मैं रेलवे बोर्ड की गतिविधियों के प्रश्न की ओर आता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि रेलवे मंत्रालय में जो कुछ भी हो, उसके लिये मंत्री ही उत्तरदायी है। रेलवे बोर्ड रेलवे मंत्रालय का एक भीतरी भाग है।

कुछ सदस्यों ने रेलवे बोर्ड के संगठन की निंदा की है। मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं और यदि किसी नौकरी को हटाना जरूरी समझा गया तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसके सहयोग से आवश्यक सुधार अवश्य लाये जायेंगे। लेकिन जो सुझाव लागू होने योग्य न हों, उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा। उदाहरण के लिये मौजूदा क्षमता अथवा तकनीकी कारणों से रेलें तेज गति से नहीं चलायी जा सकतीं तथा नई रेलें लागू नहीं की जा सकतीं। इसी कारण दो अथवा अधिक डिविजनों की बैठकों की प्रणाली मैंने लागू की है ताकि सदस्य विचार विमर्श के बाद अपने सुझाव दे सकें।

सभी ओर नई लाइनें बिछाने, छोटी लाइनों को बड़ी लाइन बनाने आदि आदि सुधार लागू करने के लिये साधनों की कमी सम्बंधो दिक्कतें सामने आती हैं। गाड़ियों की भीड़ की समस्या का समाधान अधिक सीटों, अधिक लाइनों, डीजल इंजनों आदि की व्यवस्था करने से ही हो सकता है। अत: विकास के मौजूदा कार्यक्रम और चौथी पंच वर्षीय योजना के अधीन आने वाले कार्यक्रमों में अपने साधनों को ध्यान में रखते हुऐ कमी करनी पड़ेगी। 1964-65 से लेकर 1969-70 तक के वर्ष घाटे के वर्ष रहे हैं और इस बीच कुल 174 करोड़ रु० का घाटा रहा। चालू वर्ष के पारित बजट में 13 करोड़ रु० का बजट रहा। मुझे आशा थी कि यह घाटा साल के अन्दर पूरा हो जायगा लेकिन अचानक ही रेलवे पर अन्तरिम रिलीफ सरीखे बोझ पड़ गये।

इस प्रकार 36 करोड़ रु० से अधिक संचालन खर्च होता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में बाढ़ से जो क्षति हुई, उसकी मरम्मत के लिये कोई चार करोड़ रु० लगेगा। इस्पात उत्पादन में आई गिरावट के कारण भी हमें सात करोड़ रु० का घाटा होगा। पिछले 20 वर्षों में कर्मचारी वर्ग का व्यय 60 प्रतिशत से 171 प्रतिशत बढ़ गया है। कोयले की लागत भी 153 प्रतिशत तक बढ़ गयी है और लोहे तथा इस्पात से बनी वस्तुओं की लागत भी 199 प्रतिशत बढ़ गयी है। वास्तव में यही रेलवे की मुख्य समस्या है।

निर्यात की वस्तुओं, कोयले, अनाज, कपास, गन्ना आदि वस्तुओं पर लिये जाने वाले रियायती भाड़े से भी रेलवे पर प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रु० का बोझ पड़ता है।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : गोधरा के लिये वेस्ट्रन एक्सप्रेस स्टाप के सम्बंध में क्या स्थिति है?

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : मार्टिट बर्न की क्या स्थिति है? लाइट रेलवे की क्या स्थिति है?

श्री नंदा : अनेक सदस्यों ने विभिन्न सुविधाओं के बारे में कहा है । मेरे पास सारी सूचना है लेकिन इसे बताने का समय नहीं है । मैं इसे उन्हें भेज दूंगा ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : रोहतक-पानीपत रेलवे की क्या स्थिति है ?

श्री नन्दा : मैंने इसे नोट कर दिया है, जो कुछ सम्भव होगा, हम देने का प्रयत्न करेंगे ··· (**व्यवधान**)

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj): Please say something about bungling in Katihar private catering....

श्री नन्दा : यहां ठेकेदार की केटरिंग है, न कि विभाग की । जितनी जल्दी हो सके हम इसे विभाग के अधीन लायेंगे ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Do something for porters......

Mr. Chairman : The hon. Minister may listen and note what they say. Thereafter he may give them reply verbally or in writing.

श्री एस० एम० जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे विद्युतीकरण कार्यकर्ताओं, जो उन्मुक्त हो चुके हैं, के आदेश जारी हो चुके हैं ।

सहारनपुर लाइट रेलवे के कार्यकर्त्ताओं की क्या स्थिति है ?

राजधानी एक्सप्रेस कानपुर रुकती है लेकिन यात्री नहीं ले जाती जो इसे ले जाने चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Survey of the under-ground railways in the metropolitan cities may be got done as early as possible. Secondly what are you doing for the construction of overhead bridges in the cities particularly Delhi, having traffic hazards. Thirdly, what is being done to meet the requirement of 12, 13 thousand wagons for Gauhati ?

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मंत्री महोदय लाभ दर में कमी करने की बात कर रहे हैं । वे विनियोग के दर में कमी क्यों नहीं करते ? पेंशन पर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रु० की राशि लगती है । लेकिन ये 10 करोड़ से अधिक का विनियोग कर रहे हैं । यह मालूम करना कठिन नहीं कि इस वर्ष कितने व्यक्ति सेवा निवृत होंगे और पेंशन के लिये कितनी राशि लगेगी । ये अधिक राशि का विनियोग क्यों कर रहे हैं ? इसे कम न करने के क्या कारण हैं ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Has the Government considered the demand of the people of North Bihar for opening a F.D.S. office at Sonepur ? Has the Government decided to take over Fatuha-Islampur Railway and Ara Sahasram light railway ?

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Delux train should be allowed to have a two minutes stop at Mokama. What is the progress of the survey for broad gauge line from Barauni to Katihar ? There should be rail-cum-road bridge on the road under construction between Amingaon and Breli. Similarly, bridge under construction on Ganga should also be made rail-cum-road bridge. Lastly, railway line between Fatuha and Pratapganj may the reclaimed otherwise I will be constrained to resort to Dharna there.... (**Interruptions**).

Mr. Chairman: All what the hon. Member is saying will not be recorded.

श्री गुणानन्द ठाकुर**

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore): Martin Burn want to stop its light railway. I want to know whether the Government of India will undertake it?

श्री जि० मो० विश्वास (बांकुरा) : रेलवे ने लिलुआ की अपनी वर्कशाप पर तालाबन्दी की थी। हाईकोर्ट ने इस तालाबंदी को अवैध घोषित किया। अब रेलवे सुप्रीमकोर्ट पहुंच रही है। मेरा निवेदन है कि रेलवे सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंचे।

दूसरी बात यह है कि पुरलिया-कोटसिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाया जावे।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : शाहदरा-सहारनपुर लाइट-रेलवे के बारे में मंत्री महोदय ने पहले बताया था कि वे मजदूरों के झगड़ों को निबटाने का प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे उन्होंने लिखा है कि मामला विधि मंत्रालय को भेजा गया है। श्रीमान् 1300 कर्मचारी बेरोज़गार हो गये हैं। उनके लिये कुछ किया जाना चाहिये। उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, कोई उपदान नहीं दिया गया है। उन्होंने भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया है। मार्टनबर्न की तरफ 75 लाख रुपये की राशि बकाया है। मंत्री महोदय ने कोई कार्यवाही नहीं की है। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि एक निश्चित अवधि के अन्दर सम्पूर्ण बकाया भुगतान पूरे कर दिये जायेंगे और इन कर्मचारियों को दूसरे रेलवे विभागों में नियुक्त किया जायगा, और यदि पहले प्रबन्ध कर्मचारियों की देय राशियों का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायगी?

Shri Lakhanlal Kapoor: Agarwal Brothers, proprietors of Katihar catering, engaged in all sorts of catering business, are creating a monopoly. I would like to know whether the Government intend to form any committee to go into the corrupt and **mala fide** activities of these proprietors; and by what time this type of catering arrangement would be converted into departmental canteen?

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): My first question is that the Government should establish a Halt between Ghoghardiha and Nirmali near Parsa village. Inspite of the survey having been conducted it has not been materialized so far.

Secondly, the construction work on Chikana Halt, which is being converted into Flag station, is not in progress. It should be completed at an early date.

Thirdly, the train which starts from Jaynagar at 11 A.M. runs upto Darbhanga. It should run upto samastipur and there should he another train from samastipur to Delhi. One attendant should be provided in 1st class compartment of Assam Mail.

Fourthly, yours * * Casual labourers are haressed. I have submitted to you an application from Shri Anil Kumar. They say that they would see how you are employed. * * should be transferred from there.

Mr. Chairman: The name of the individual who is not present here, should not be mentioned. The officers are not here to defend themselves.

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : The question regarding expansion of an uneconomic Barhan—Etah line upto Kasganj is pending since long. The Hon. Minister in his reply has said that the survey on this line is being made. But what happened after that is not known. The Hon. Minister should clearly state the time by which the work starts on that line.

There is an express train between Agra and Lucknow. I have repeatedly requested that there should be a stoppage at Ganj Dundwara but no positive action has been taken so far. I request the Hon. Minister to look into the matter.

Shri Ram Shekar Prasad Singh (Chapra) : The question of establishing a Halt at Dumri on Chapra-Sonepur line is pending since long. A survey to this effect has already been made but no substantial action has been taken so far. I would request the Hon. Minister to look into the matter and take necessary step at an early date.

Secondly, there is an unauthorised occupation at plot No. 2 on Chapra Station since last two years. The action should be taken to get the land vacated.

Shri Ram Dhan (Lalganj) : There are certain Railway officers who are paying high grade coal price for low grade coal. Shri Nihal Singh had written a letter to the Hon. Minister showing the names of the officer involved. The Hon. Minister should make a reply to it.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : I would like to know from the Hon. Minister as to what action does he propose to take as regards providing a train between Lucknow and Banaras via Faizabad ?

Secondly, I want to know the time by which the demand to convert Latur—Miraj narrow gauge into broad gauge would be met with ?

Thirdly, I would like to know the time by which a goods wagon would be provided with the passenger train from latur to Pandharpur and from Miraj to Pandharpur ?

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : I would to like know from the Hon. Minister the time by which action would be taken to install the rail line between Darwah and Pusad ; and taking over of Yeotmal—Achalpur line owned by private company, be finalized ?

Shri Digambar Singh (Mathura) : I would request the Hon. Minister to make an early arrangement for pedestrian foot path on the Yamuna bridge at Mathura.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या मंत्री महोदय को पता है कि नई दिल्ली में रेलवे कालोनियों का रख रखाव स्तर बहुत गिर गया है और इन कालोनियों में अन्य दूसरे खर्चों की भी आवश्यकता है ? मंत्री महोदय ने मेरे तथा अन्य दूसरे सदस्यों के प्रश्नों के जो उत्तर दिये हैं उनसे पता चलता है कि अधिकारी वर्ग ने उन्हें उचित परामर्श नहीं दिये हैं और इन्हीं कारणों से महत्वपूर्ण जानकारी को दबा दिया गया है ।

दूसरे, देश की राजधानी दिल्ली में परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिये मोनोरेल की अथवा ऐसी ही कोई अन्य व्यवस्था की जाय ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : What steps the Government has taken to make approaches to New Delhi and Delhi Main railway stations from Ajmeri Gate and Kashmere Gate so that the Congestion might be removed.

Secondly, there is a large scale unauthorised occupation of railway land. I would like to know whether the Government in case they find themselves unable to get the land vacated,

would provide facilities to those who are already residing there so that they may get the accommodation to live in ?

Thirdly, there should be made a big station between Sarai Rohella and Cantonment. I would like to know the time by which the station would be constructed ?

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : अन्तरिम सहायता दिये जाने के कारण रेलवे को 47 करोड़ रुपये का घाटा है। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि किराये अथवा माल भाड़े में वृद्धि करके इस घाटे को पूरा नहीं किया जायगा ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंगलौर से हसन के मध्य जो रेलवे लाइन है उस पर 14 पुल हैं, मेरा अनुरोध यह है कि पुल पार करने वालों की जीवन सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुये उन पर पैदल चलने का रास्ता बनाया जाय।

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : There should be an all India competition to invite suggestions regarding running of Railways in profit and the Government should form their policy according to the suggestions.

Shrimati Sushila Rohatgi (Bilhaur) : An arrangement should be made to provide train facilities at Nepalpur. Secondly there should be made a stoppage of Express train at Pusa—thirdly the Government should extend all those facilities to railway clerks also which are being given to other employees.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : I would like to know, whether the Hon. Minister is taking steps to improve the administration in Western railway.

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : The Hon. Minister should ensure early reply to the questions asked by the members from the Ministry.

Shri Panna Lal Barupal (Ganga Nagar) : We have repeatedly requested that the Assam Mail should be started from Delhi Main in order to remove the defficulties experienced by the military personnel of Rajasthan and Punjab. The Hon. Minister should take an early action in this matter.

I would also like to know the details regarding Rajasthan Express which was to start on 1st October.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : Akbarpur is an important station on Lucknow—Banaras line. There is a branch line from Akbarpur to Tanda. This branch line should be linked with the main line.

Shri Atam Dass (Morena) : Construction of an underbridge is urgently required at railway crossing Morena. I would like to know the time by which it would be constructed. There should be a stoppage of Express train in Morena.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : There is a monopoly of contractors on eatables sold at the stations. The Government should take steps to remove this monopoly and give licence to those people who are working there since last 10 or 15 years. I would like to know whether the Hon. Minister would try to abolish this contract system.

Mr. Chairman : I would request the Hon. Minister to furnish replies at an early date to all the questions asked.

सभापति महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित अतिरिक्त मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following excess demands for grants in respect of Ministry of Railways were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
16 पेंशनीय प्रभार	—पेंशन निधि	10,87,651

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा रेलवे मन्त्रालय की निम्नलिखित अनुदान की पूरक मांगे मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following supplementary demands for grants in respect of Ministry of Railways were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
1	रेलवे बोर्ड ...	...	5,08,000
2	विविध व्यय ...	...	25,18,000
3	संचालन व्यय—प्रशासन	...	5,87,89,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	...	14,76,89,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	...	13,10,17,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	...	8,26,000
8	संचालन व्यय—परिचालन, कर्मचारी ... और ईंधन को छोड़कर	...	55,48,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	...	1,46,50,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूंजी, मूल्यह्रास ... आरक्षित निधि और विकास निधि	...	3,000

विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित किया गया

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 4 BILL—INTRODUCED AND PASSED

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान जो मार्च, 1969 के 31वें दिन को समाप्त हुआ रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं

पर जितनी रकमें उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई हैं उनकी पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जो मार्च, 1969 के 31वें दिन को समाप्त हुआ, रेलवे के प्रायोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर जितनी रकमें उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई हैं उनकी पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री गुलजारी लाल नन्दा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री गुलजारी लाल नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जो मार्च, 1969 के 31वें दिन को समाप्त हुआ, रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर जितनी रकमें उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जो मार्च, 1969 के 31 वें दिन को समाप्त हुआ, रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर जितनी रकमें उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई हैं उनकी पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 1, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 2, 3, 1, Schedule, Enacting formula and Title were added to the Bill.

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विनियोग (रेलवे) संख्या 5 विधेयक पुरःस्थापित तथा पारित किया गया

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 5 BILL—INTRODUCED AND PASSED

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री नन्दा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री नन्दा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, 1, अनुसूची, विधेयक का नाम, तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2, 3, 1, अनुसूची, विधेयक का नाम, तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 2, 3, 1, Schedule, Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री नन्दा : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक—जारी

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL BILL—Contd.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : इस विधेयक पर चर्चा दो दिनों तक रोकी जानी पड़ी, क्योंकि इस बीच कुछ कठिनाइयां पैदा हुई थीं। उसके बाद हम श्री जोशी, श्री लोबो प्रभु, श्री कंवर लाल गुप्त, डा० सुशीला नय्यर जैसे माननीय सदस्यों से मिले और उन्होंने समन्वित पद्धति के चिकित्सकों के सम्बन्ध में कतिपय आश्वासनों की मांग की। उन्होंने कहा कि इस समन्वित पाठ्यक्रम में विजयी छात्रों को एम० बी० बी० एस० माना जाय। हम इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन न दे सके क्योंकि यह काम भारतीय चिकित्सा परिषद् का है। वस्तुतः मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना दे सकता हूं कि हमने इस मामले को भारतीय चिकित्सा परिषद् के साथ उठाया और उन्होंने यह कहने की सद्भावना प्रकट की कि अगर वे एक या डेढ़ साल के प्रशिक्षण के उपरान्त, एक परीक्षा में विजयी होंगे। तो उन्हें डी० एम० एस० माना जाएगा और एलोपैथी के चिकित्सकों की सूची में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। उस प्रशिक्षण के बाद अगर वे और अध्ययन करेंगे, तो पूर्ण एम० बी० बी० एस० चिकित्सक बन सकते हैं। इस सम्बन्ध में हम आश्वासन नहीं दे सकते। मगर वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

आज सारी सूचियों को मिलाकर आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और समन्वित पद्धति के चिकित्सकों की संख्या लगभग 1,80,000 है यह दूसरी अनुसूची में दी गई है। अब, एक निवेदन यह किया गया है कि इस सूची को दो भागों में बांट दिया जाए। पहले भाग में केवल वे ही आयें जिन्हें संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त हो····

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : ······जिन्हें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की संविधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

श्री ब० सू० मूर्ति : हम इससे सहमत हुए हैं। अब द्वितीय अनुसूची की वर्तमान सूची को दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक भाग में केवल वे ही लोग आयेंगे जिन्हें संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त हो तथा, जिन्हें राज्य या केन्द्रीय सरकार की संविधि के अधीन मान्यता प्राप्त हो। 1,80,000 चिकित्सकों में 50,000 लोगों को संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त है। दूसरे भाग में शेष सभी लोग आयेंगे।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि आज कुछ राज्य सरकारों ने इन चिकित्सकों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों को मान्यता दी है। उनका निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार भी इन

प्रमाण-पत्रों के आधार पर राशि की प्रतिपूर्ति करे। यह मामला पूर्ण रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा। जहां भी राज्य सरकार द्वारा इन प्रमाण-पत्रों को मान्यता दी गई है, हम गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को उन्हें मान्यता देने को राजी करेंगे। संस्थाओं में जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें वे सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो अन्य लोगों को दी जाती हैं।

अन्य संशोधन मौखिक हैं, अतः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इन पर जोर न दें। सरकार की ओर से जो आश्वासन दिये गये हैं, उन्हें इस बात की सबूत के रूप में माना जाए कि सरकार उन सब लोगों को जो अधिनियम के दायरे में आना चाहते हैं, सहायता करने के लिये उत्सुक है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और भारतीय चिकित्सा का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2

Clause 2

Shri Kanwar Lal Gupta : The assurances given by the Minister have removed our apprehension. I want that there should not be any delay in sending this Bill to Rajya Sabha, and we may pass it to-day itself. Hence, I would withdraw my amendment.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं आशा करता हूं कि सरकार का आश्वासन सही होगा। एम० बी० बी० एस०, एम० डी० आदि पास हुए डाक्टर अधिकांशतः शहरों में काम करते हैं, समन्वित चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक देहातों में काम कर रहे हैं। समन्वित चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक देहाती लोगों की बहुत अधिक सेवा कर रहे हैं।

मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मै संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

In part (f) of clause 2, the Minister explained the meaning of 'medical institution.' I want that this meaning should be substituted by "having facilities for regular training and hospital attendance." If facilities for hospital training are not available to the students, what is the use of getting a degree or diploma ? Therefore, I request that my amendment may be accepted.

श्री ब० सू० मूर्ति : इस अधिनियम के अन्तर्गत हम जो केन्द्रीयी परिषद् का गठन कर रहे हैं, वह इन मामलों की जांच करेगी और सभी संस्थाओं में संस्थागत प्रशिक्षण की सुविधायें और बिस्तर वगैरह प्रदान की जाएंगी। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को वापस लें।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 10 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3 केन्द्रीय परिषद् का गठन

Clause 3, Constitution of Central Council.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं संशोधन संख्यायें 27, 28, 29 और 35 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : मैं संशोधन संख्या 59 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Shiva Chandra Jha : In the committee, which will be set-up by the Central Council according to Sections (a), (b) and (c) of clause 3, one representative of the students of such system of medicine also be included. When in other universities, students are participating how can the medical students be prevented from this? Therefore, I hope that my amendment will be accepted.

Shri Ramavatar Shastri : I have moved four very small amendments. On page 3, lines 3 and 8, it is mentioned about election. My amendment seeks to conduct the election through secret ballot. On the same page in line 12, I want that 'practical experience of at least ten years' may be written. Otherwise it may be harmful for the Patients. On Page 3, line 2, I want that after 'persons' "with recognised medical qualifications" may be added.

I hope that these amendments will be accepted.

Shri Ishaq Sambhali : Injustice is being done to the Unani System of medicine. I want that the Government should take some measures to rectify it. Under this Act, a Central Council is going to be set-up for homoeopathic system also. I want that separate councils for each system of medicine should be set up.

श्री ब० सू० मूर्ति : यूनानी चिकित्सा पद्धति भारतीय है, अत: हम अलग-अलग परिषदों का गठन करना नहीं चाहते । मगर हमने अलग-अलग समितियां बनाई हैं जो प्राय: स्वशासी हैं । हमारा प्रयत्न इन तीनों पद्धतियों के-यूनानी, आयुर्वेद और सिद्ध-विकास करने का है । जो सुविधायें आयुर्वेद को दी जाती हैं, वे यूनानी और सिद्ध को भी दी जायेंगी । अत: मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस लें ।

जहां तक श्री शिवचन्द्र झा के संशोधन का संबंध है, छात्रों को इस समय इस परिषद् में जो पाठ्य पुस्तकों को निश्चित करती है, प्रतिनिधित्व देना कठिन होगा । आगे जब मौका आएगा, तो वे इस संबंध में संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

जहां तक श्री रामावतार शास्त्री के संशोधनों का संबंध है, उन सब में कुछ बातों के और

स्पष्टीकरण मांगे गये हैं । जो भी स्पष्टीकरण आवश्यक हैं, दे दिये गए हैं । अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने संशोधन वापस लें ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 मतदात के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment no. 11 was put and negatived

सभापति महोदय द्वारा सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुए ।

All the amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4,5, और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 4, 5 and 6 were added to the Bill

खण्ड 7

Clause 7

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्यायें 12 और 13 प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत कर रहा हूं ।

Shri Shiva Chandra Jha: In this clause, it is stated "The President, a vice President or a member of the Central Council shall hold office for a term of five years from the date of his election or nomination, as the case may be, or until his successor shall have been duly elected or nominated, which-ever is longer". My amendment seeks to add 'within three months' before 'whichever'. Amendment no. 13, seeks to add 'not' before 'shall' in the provision "Members of the Central Council shall be eligible for re-election or re-nomination" Vested interest will come in case of re-nomination and therefore this should be done away with.

Shri Ramavatar Shastri: In Clause 7 it should be as follows: "The President, Vice-President or a member of the Central Council shall hold office for a term of five years from the date of his election or nomination, as the case may be.." The portion after this may be deleted. We want that after five years, election be held definitely.

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्याएं 12, 13, और 30 मतदान के लिये रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendment nos. 12, 13 and 30 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8—केन्द्रीय परिषद् की बैठकें
Clause 8—Meetings of Central Council

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं ।

I want that when the three members support unanimously, then only, the resolution should be implemented.

श्री ब० सू० मूर्ति : 'सर्व-सम्मति' पर आग्रह करने से निर्णयों में शिथिलता आयेगी। अतः मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment no. 14 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9—आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी के लिए समितियां
Clause 9—Committees for Ayurveda, Sidha, Unani and Homoeopathy

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं ।

This amendment seeks to set-up a separate Committee for the integrated medicines. Otherwise this will be an injustice to those who have passed this course.

***श्री जे० एच० पटेल** (शिमोगा) : हमारे देश में 50 महाविद्यालयों में समन्वित चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई हो रही है। इसमें 50,000 चिकित्सकों को अर्हता प्राप्त हो चुकी है। इन लोगों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करे ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 15 मतदान के लिये रखता हूं ।

Shri Shiva Chandra Jha: There should be division.

---

* कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Kannada.

Mr. Chairman: Those who are in favour of this amendment may kindly stand up.

Shri Shiva Chandra Jha: **

Mr. Chairman: Let it not go on record whatever he says.

(श्री शिवचन्द्र झा सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Shiva Chandra Jha left the House)

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment no. 15 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill

खंड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 10 and 11 were added to the Bill

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12 was added to the Bill

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 13 was added to the Bill

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 14 was added to the Bill

खण्ड 15-16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 15—16 were added to the Bill

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17 was added to the Bill]

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 18 was added to the Bill

खंड 19 से 21 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 19—21 were added to the Bill

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं।

If the practitioners do not have adequate knowledge of all diseases of both men and women, they cannot treat them properly. Therefore, I want that my amendment be accepted so that a minimum standard can be fixed and the people may not have to fall prey to bad treatment.

श्री ब० सू० मूर्ति : ये पाठ्यक्रम पहले से ही पढ़ाये जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें इन चीजों को केन्द्रीय परिषद् के निर्णय पर छोड़ देना चाहिये। अतः मैं आपसे उनका संशोधन वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 40 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 22 was added to the Bill

सभापति महोदय : खण्ड 23 से 25 तक कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 से 25 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 23 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 23 to 25 were added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 26 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 26 was added to the Bill

सभापति महोदय : खण्ड 27 से 32 तक कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 से 32 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 27 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 27 to 32 were added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 33 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 34 और 35 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 34 और 35 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clauses 34 and 35 were added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 36 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 36 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।
The First Schedule was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि द्वितीय अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।
The Second Schedule was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तृतीय तथा चतुर्थ अनुसूचियां विधेयक की अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

तृतीय तथा चंतुर्थ अनुसूचियां विधेयक में जोड़ दी गईं ।
The Third and Fourth Schedules were added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।
The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): I congratulate the Government for setting up, though late, of a Central Council of Indian Medicine. I would like to request the hon. Minister to assure that he would avail more funds to Ayurvedic, Unani and Homoeopathic Systems too.

The Government have spent millions of rupees on research of Allopathic medicines but no research was done on Indian systems of medicines nor any unit in the Public Sector was set-up to manufacture medicines under these systems. No pure Ayurvedic medicine is available in the market and the patient does not get relief. It is bounden duty of the Government to set up Government units in the public sector for manufacturing Ayurvedic and Unani medicines. Only the persons who are receiving regular medical education in the Institutions must be appointed as doctors. The Ayurvedic and Unani medicines in villages must be sold at cheaper rates so that the villagers can take them and save their lives.

I would like the Government to subsidise such medicines and entrust well-educated persons with the Government jobs in villages as they give facilities to the doctors.

Shri M. A. Khan (Kasganj): The hon. Minister has just stated that there would be no discrimination but the fact is that the lower structure has never been put under his Ministry. Three separate Councils for Unani, Ayurvedic and Siddha must be constituted. During the last 23 years, three advertisers of Indian medicine were appointed but not even a single Unani Hakim has ever been appointed, nor any Unani Dispensary has been opened. The Unani interest may be safeguarded only with the setting up of separate councils for the three systems of Indian Medicines otherwise the discrimination against Unani system of medicine is not going to end in spite of the provisions of this Bill.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka): The science of Ayurveda is the right type of science and the Vaidyas diagnose the patients properly. In Allopathy, only the pencillin and sulfa drugs are given to the patients without accertaining the future effects of those medicines on a patient. An hon. Member has rightly said that 90 per cent of the Allopathic doctors live in towns and cities. The villagers have to depend on the Ayurvedic or Unani medicines but almost all of our Vaidyas and Hakims have grown idle in want of Government aid. I hope the villagers will get some sort of relief through legislation of this Bill. Pure Ayurvedic medicines are not available. Though certain factories are there which manufacture Ayurvedic medicines but the purity of those medicines is always suspected. Therefore, I would like to request the Government to set-up a Central Factory for manufacturing such medicines which may be sold at cheaper rates. Good Allopathic and H omoeopathic medicines may be used in Ayurvedic system. Lastly, I would like to thank the Government for bringing this Bill.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : इस विधेयक के नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है

कि यह काफी अच्छा है । ऐसी धारणा बन गई है कि भारत सरकार आयुर्वेद तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में बहुत बड़ा सुधार करने जा रही है । परन्तु विधेयक के उपबन्धों को ध्यान से देखने से निराशा ही होती है । इस तथाकथित परिषद् का एक मात्र उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में कतिपय शिक्षा के स्तरों को बनाने का है । आज आयुर्वेद का ह्रास हो रहा है । जब तक भारत सरकार इसे संरक्षण प्रदान नहीं करेगी तो वह समाप्त-प्राय होता चला जायेगा । आज एम० बी०, बी० एस० डाक्टर गांवों में जाने में हिचकिचाते हैं । गांवों में रह रहे वैद्यों को भी संरक्षण नहीं मिल रहा है । सरकार को आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिये और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज जैसी संस्थाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति को विकसित करना चाहिये । सरकार को चाहिये कि वह इस परिषद् के कार्य तथा शक्तियों को बढ़ाये ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The Government deserve thanks for bringing this Bill. The fear that some particular system will dominate will have to be removed. All the three Indian systems of medicine viz. Ayurvedic, Unani and Siddha should develop and the science of these systems should also progress. Nobody should feel that all these systems are separate.

***श्री जे० एच० पटेल** (शिमोगा) : पंडित शिव शर्मा के अनुसार आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध इन तीनों पद्धतियों को एलोपैथी के साथ मिलाना सम्भव नहीं है । मैं चाहता हूं कि जो चिकित्सक चिकित्सा की समेकित पद्धति से कार्य कर रहे हैं उन्हें सरकार संरक्षण दे । ऐसे चिकित्सक लगभग 50,000 हैं और लगभग देश में ऐसे 50 कालेज हैं जहां चिकित्सा की समेकित पद्धति सिखाई जाती है । उनके हितों की रक्षा करने और भविष्य के बारे में सोचने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : I hope no injustice will be done to this Tibba system of medicines of India which is called Unani system of medicines also. It has been experienced that any committee which is constituted consists of only 2 members knowing Tibba or Unani out of 100 members. That is why this system does not get justice. I hope hon. Minister would see that no injustice is done to this system.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : No proper regard is paid to the sciences of Tibba or Unani. Even the expert Hakims are not respected properly. The Unani system of medicine is an Indian contribution and not a Muslim one. Both the Hindus and Muslims have practised this Unani or Tibba system of medicine.

As an hon. member has shown his fear of injustice being done to Unani system, this system of medicine should be developed and preserved.

Dr. Melkote (Hyderabad) : The Unani system of medicine should be extended aid and only pure Unani medicines should be available in the country. Whatever aid this system requires, can only be made available in India as this system is being practised only here. Full attention should be given towards the development of Unani System.

The system of Ayurveda should also be given aid. The physicians of Unani system are inclining towards modern medicines. This practice should be removed.

*कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Kannada.

I congratulate the Government for bringing this Bill.

Shri Shinkre (Panjim) : I would like to thank the hon. Minister for accepting this Bill in the very shape in which it came from the Select Committee. He also deserves congratulations for not accepting the amendments about integrated course.

The member like Shri Shashi Bhushan was supporting the integrated course. At the same time he also supported the system of Ayurveda. There must not be any mixture. The system of Ayurveda is a part of our culture as well as system of Unani is also a part of our culture. There must not be any impurity in the medicines under these systems.

Shri Kartik Oraon (Lohardaga) : I congratulate the Government for bringing this Bill.

The Indians are keeping themselves away from using indigenous medicines. It appears that we are not patriotic. I know about certain countries which sell the imported items after putting a label of that country on that particular item. But we do not do so. We have spent millions and millions of rupees on the Allopathy. I come from a tribal area where people take only Ayurvedic medicines. The system of Ayurveda must be developed and popularised through out the world.

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : सभापति महोदय, मैं सरकार को इतना अच्छा विधेयक लाने के लिये बधाई देता हूं।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : The Diploma and Degree holders must get similar grades as the Diploma and Degree holders in Allopathy get. And their channels of promotion must be equal.

Shri P. G. Sen (Purnea) : It is a good thing that this Bill is going to be passed. The potentiality of Ayurvedic medicines is rather higher than that of Allopathic medicines.

To-day the Ayurvedic medicines are not properly manufactured. Different Pharmacies are manufacturing the same medicine under different names.

The Government must consider their foremost duty to encourage the Ayurvedic system.

With these words I support the Bill.

***श्री कमलनाथन्** (कृष्णगिरि) : भारतीय चिकित्सा की तीनों पद्धतियों—आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में से तमिलनाडु में सिद्ध पद्धति को अत्यधिक लाभकारी पद्धति माना जाता हैं। मुझे संदेह है कि केन्द्रीय परिषद् में आयुर्वेद को प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिलेगा। सरकार को चाहिए कि यूनानी तथा सिद्ध को भी केन्द्रीय परिषद् में समान प्रतिनिधित्व दे।

मै मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्य में आयुर्वेद दवाइयों के लेबल लगाकर मादक द्रव्य बेचे जाते हैं। आयुर्वेद दवाइयों के लेबल लगाकर मादक द्रव्यों की बिक्री पर सरकार कानून बनाकर रोक लगाये।

Shri Shiv Sharma (Vidisha) : Different Hon. Members have taken three systems of Indian medicine—Ayurveda, Unani and Siddha as the sciences of Hindu, Muslim and Tamil respectively. I can quote historical facts about these systems. The three committees which are to

*कन्नड में दिये गये भाषण के अँग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Kannada.

be constituted under this Bill are autonomous. I received letters from various Hakims living in various countries. The letters show that the Unani system of medicine is not there in Iraq, Iran, Egypt and Syria. They sent to me an official invitation. They have written to me in clear words that Unani has entirely vanished from those countries. In India this system is prevalent only because the system of Ayurveda has not let it vanish. Had the system of Ayurveda vanished, the Unani system would have remained no where. The Hon. Ministers give assurances but usually they do not fulfil them but in this regard they have fulfilled them.

With these words I thank all the Hon. members and express my obligation towards them who have helped me.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : तीसरे वाचन में इस विधेयक पर जितना पुरजोर समर्थन किया गया है वैसा इस संसद में कभी नहीं हुआ है। भारतीय चिकित्सा की तीनों पद्धतियां—आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध को आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली के समान बनाने पर इस विधेयक में जोर दिया गया है।

जैसा कि श्री शिव शर्मा ने कहा है कि तीनों समितियां स्वायत्त हैं। मेरा भी दावा है और भारत का भी दावा है कि यूनानी भारतीय पद्धति है। डा० मेलकोटे के अनुसार केवल भारत में ही यूनानी को आधुनिक चिकित्सा पद्धाति के समान स्तर दिया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध को बढ़ावा नहीं दिया गया तो इस विधेयक से क्या लाभ होगा ?

माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु मैं कहना चाहूंगा कि आज देशी औषधियों और होमियोपैथी के लिये भी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् विद्यामान है। इसके लिये 4 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। समस्त देश में 131 अनुसंधान केन्द्र हैं।

इस विधेयक के द्वारा आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। मैंने 32 वर्ष पूर्व मद्रास सरकार से, जो स्कूल आफ इंडियन मेडिसिन्स को समाप्त करने वाली थी, उसे समाप्त न करने के लिये असफलता पूर्वक विरोध किया था। परन्तु आज इस विधेयक द्वारा इन तीनों पद्धतियों को अन्य आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के समान बनाया जा रहा है।

मैं उन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। मेरा एक ही अनुरोध है कि यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में यहां बिना किसी संशोधन के पारित हो।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पश्चिम बंगाल (हिंसक क्रियाकलाप निवारण) अधिनियम, पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम 1970 के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTIONS RE: WEST BENGAL (PREVENTION OF VIOLENT ACTIVITIES) ACT, 1970 AND WEST BENGAL MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER ACT, 1970

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि पश्चिम बंगाल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, पश्चिमी बंगाल (हिंसक क्रियाकलाप निवारण) अधिनियम, 1970 का जो 23 नवम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखा गया था, राष्ट्रपति द्वारा एक निरसन अधिनियम अधिनियमित करके निरसन किया जाये।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

संयुक्त वामपंथी बलों द्वारा संगठित एक सामूहिक बंद के पश्चात् मैंने सोचा कि केन्द्रीय सरकार कुछ विचार करेगी। मैंने सोचा कि पश्चिम बंगाल में उन दो काले अधिनियमों का इतना विरोध देखकर सरकार उन्हें हटा देगी। परन्तु वह ऐसा नहीं कर रही है।

क्या वे कानून वास्तव में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये हैं ? हम इस बात को नजर अन्दाज नहीं कर सकते हैं कि ये कानून पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित नहीं किये गये हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार विधान सभा को भंग कर चुकी है। क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों की इच्छाओं को सुनिश्चित करने की कभी परवाह की है ? वह पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं का सदैव निरादर करती रही है। सरकार को वर्ष 1967 तथा 1969 में हुये चुनावों में निकले परिणामों से और उसने जो कुछ किया था उससे सबक लेना चाहिये था। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया। इसका भयंकर परिणाम हो सकता है।

आपके पद के माध्यम से मैं संसद् से अनुरोध करता हूं कि इसे बहुत ही सचेत होकर रहना है। हमें स्वयं को सरकार के अप्रजातान्त्रिक अधिनियमों और गलत कार्यों के लिये उसके हाथों में नहीं डाल देना है।

जहां तक मैं समझता हूं, राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य दिन प्रतिदिन का न्यूनतम कार्य और प्रशासन को चलाने का है। वहां पर निवारक निरोधक अधिनियम को लागू करने की बात का समस्त राष्ट्र ने विरोध किया था परन्तु इस प्रतिक्रियावादी सरकार ने जब संसद् का सत्र चल रहा था तो पश्चिम बंगाल की परामर्शदात्री समिति, जिसे अधिकार भी नहीं था, को बुलाकर उस कानून को लागू किया। इसमें पश्चिम बंगाल के लोगों की भावना का ध्यान नहीं रखा गया है।

यह एक अधिकार रहित समिति है, वे इस समिति के द्वारा ऐसे कार्य करवाना चाहते हैं जो कि पश्चिम बंगाल की जनता के लोकतंत्री अधिकारों का हनन करती है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : या तो वे अपने कहे हुए शब्दों को वापिस ले लें अथवा इसको सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाये, आप संसद् को 'सर्कस' नहीं कह सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है।

वस्तुतथ्य यह है कि सलाहकार समिति पश्चिम बंगाल की जनता के निर्णय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अतएव इसका कोई काम नहीं है। जो विधेयक लाया गया है अथवा लाया जा रहा है, वह वहां के जनता के रोष की अभिव्यक्ति को बन्द करने के लिए है। यह रोष बिगड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था, रोजगार, महंगाई आदि के कारण हुआ है।

सरकार इन समस्याओं को नहीं सुलझा सकती है क्योंकि उनका उद्देश्य बड़े-बड़े सेठों को खुश करना ही है और इस प्रकार जनता के प्रति उपेक्षा बरती जाती है। इन विधेयकों का उद्देश्य कर्मचारियों, किसानों तथा साधारण जनता के आन्दोलन को कुचलना है। पश्चिम बंगाल में फसल कटाई का समय आ गया है, अतएव वे जोतेदारों को हर प्रकार से खुश करना चाहते हैं।

मेरा दल भारतीय समाजवादी दल (मार्क्सवादी) की स्थिति पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत है। अतएव सरकार का उद्देश्य वहां हमारे कार्यकर्त्ताओं का मलियामेट करने का है। गत कुछ महीनों में हमें 120 साथियों से हाथ धोना पड़ा है। यह देश नहीं भूला है कि आपने किस प्रकार 1969 में हमारे विरुद्ध अधिकार का उपयोग किया है। भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत 8 हजार मुसलमानों को बिना किसी अभियोग के जेलों में बन्द किया गया और इस प्रकार इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया। आप पुलिस को इतना अधिक अधिकार क्यों देना चाहते हो ? आप जनता से अलग पड़ते जा रहे हैं। वहां का सफल बन्द जनता का निर्णय प्रदर्शित करता है। उन्होंने सरकार की सभी कार्यवाहियों का विरोध किया है।

जनता आपसे तंग आ चुकी है। वह अब पुलिस के अत्याचार को और अधिक सह नहीं सकती है। इसलिए बन्द को सफल बनाया गया। यदि आप जनता की इसी प्रकार उपेक्षा करते रहे तो जनता भड़क उठेगी और इस सरकार को समाप्त कर देगी। मेरा सभा से अनुरोध है कि वे इस विधेयक को पारित करने का दायित्व न लें। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे मध्यावधि चुनाव क्यों नहीं कराते हैं, जब कि वे संसदीय लोकतंत्र के बारे में बढ़-चढ़कर बोलते हैं। आपने पश्चिम बंगाल की सलाहकार समिति में केवल समान विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया है।

आपको जनता की मूलभूत मांग और आकांक्षाओं को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जा सकता है। आप उनकी समस्याओं को बन्दूक की गोलियों और पुलिस के आतंक द्वारा नहीं सुलझा सकते हैं। आप पाकिस्तान, श्रीलंका की ओर देखें तो यह पायेंगे कि वहां भी जनता के निर्णय की जीत हुई है।

आपने भूमि सुधारों को क्रियान्वित नहीं किया है जिससे किसान, कर्मचारी तथा साधारण जनता दुःखी है । सभी स्थानों पर शोषण किया जा रहा है, आप वहां और अधिक हथियार, वायरलैस सेट्स, मोटर गाड़ियां, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा अन्य राज्यों की पुलिस को भेज रहे हैं ।

आप रोजगार, मकान, भोजन आदि की व्यवस्था तो नहीं कर सकते अपितु पुलिस को भेजा जा रहा है । आपके लिए सरकार चलाना शर्म की बात है। पश्चिम बंगाल में पुलिस नक्सलवादियों के नाम पर असामाजिक तत्वों का उपयोग हत्या कराने में कर रही है । वे वहां उन लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं जो उनके राह के रोड़े बन रहे हैं, सरकार ने पुलिस को खुले अधिकार दे रखे हैं । श्री आनन्द नारायण मुल्ला ने अपने निर्णय में भारतीय पुलिस के विरुद्ध टिप्पणियां दी थीं, सरकार आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ कर रही है, वह वियतनाम में माइला की घटना के समान बुरी है । पश्चिम बंगाल के मासूम फूलों को कुचला जा रहा है, फासिज्म वहां अपना रंग दिखा रहा है । मैंने प्रधान मंत्री को इसके बारे में लिखा था परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है । अगले दिन 'युगान्तर' ने इसका खण्डन किया था कि सरकार ने अपनी सहमति सलाहकारों की बैठक में की थी । हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां प्रधान मंत्री को झूठ बोलना पड़ता है । वहां के पुलिस आयुक्त ने पुलिस वालों का सादे वस्त्रों में एक गुरिल्ला दल तैयार किया, ये घरों में जाते हैं और हत्याएं करते हैं, इस तरह के एक नहीं परन्तु हजारों मामले हैं । हम उस संसद् दल के सदस्य थे जिन्होंने हाल ही में कलकत्ता का दौरा किया था । वहां हमने देखा कि किस प्रकार 1200 पुलिस वालों ने सुबह के लगभग 3 या 4 बजे सी० आई० टी० बैरकों पर धावा बोलकर चार लड़कों को ले गये और उन्हें अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गोली मार दी गई, यह सब उत्तरदायी व्यक्तियों के सामने हुआ । वहां का पुलिस आयुक्त इस घटना के बाद भी स्वतंत्रता से घूम रहा है ।

आपने इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह आपको सहायता पहुंचा रहा है, वह आपको सत्ता में जमे रहने के लिए भी सहायता कर रहा है, इसी प्रकार का मामला 17 वर्ष के युवक श्री समीर भट्टाचार्य के साथ भी हुआ जिसकी शामपोर पुलिस थाने में इतनी पिटाई की गई कि उसकी मृत्यु हो गई । हम राज्यपाल से मिले तो उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट मांगी, दुर्भाग्यवश हमें वहां निराशा मिली । ऐसा प्रतीत होता था कि मानो यह सब हत्याकांड कार्यवाही दिल्ली के इशारे पर हो रही है ।

पुलिस को जब तक मना न किया जायेगा तब तक वह लोगों को गोलियों से भूनती रहेगी । पुलिस को इस प्रकार कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जा सकता है । पुलिस को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया है । वहां जंगल का नियम कार्य कर रहा है । यदि किसी लड़के को पुलिस थाने ले जाया जाता है और उसकी मां उसे छुड़ाने वहां जाती है तो उससे 50 रुपये घूसखोरी के मांगे जाते हैं ताकि उसके लड़के की पिटाई न हो । इस प्रकार वे अवसर से लाभ उठा रहे हैं । मेरे पास लेनिन की फोटो है जिसकी जन्म शताब्दी अभी सरकार ने मनायी है । आप इस फोटो में बन्दूक के संगीन के निशान देख सकते हैं । इस फोटो को निकाला गया तथा इसकी बेइज्जती की गई (**व्यवधान**) ।

सभापति महोदय : आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में यह हत्याकांड कब तक चलता रहेगा। इस आतंक से पश्चिम बंगाल को लाभ नहीं पहुंचेगा। 200 वर्ष के काल में अंग्रेजों को इससे लाभ नहीं पहुंचा है और आपको भी कोई लाभ नहीं होगा। आपने इससे कोई सबक नहीं सीखा है। आप वहां आतंक का साम्राज्य लाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप अपनी कब्र स्वयं खोद रहे हैं, अतएव इस विधेयक को वापिस लिया जाये।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा है कि प्रधान मंत्री झूठ बोल रही हैं। मैं इसको ठीक करना चाहता हूं क्योंकि यह कार्यवाही वृत्तांत में है। उस समय प्रधान मंत्री के पास यही सूचना थी। यह बिलकुल सच है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री ने कई गलत वक्तव्य दिये हैं। राज्य सरकार के अधिकारी ने प्रेस को यह विवरण भेजा था कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में पूर्ण रूप से अवगत थी, मैंने सात दिन पूर्व प्रधान मंत्री को स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र लिखा था परन्तु उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया।

सभापति महोदय : यहां श्री गणेश घोष का एक प्रस्ताव है। वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, पश्चिमी बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1970 का, जो 3 दिसम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखा गया था, राष्ट्रपति द्वारा एक निरसन अधिनियम अधिनियमित करके निरसन किया जाये। यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

हाल ही के दो आम चुनावों में पश्चिमी बंगाल की जनता ने कांग्रेस के शासन को अस्वीकार कर दिया है फिर भी पश्चिम बंगाल का शासन कांग्रेस चला रही है। यह वहां की स्थिति के लिए एक मजाक है। कांग्रेसी नेता समझते हैं कि सभी स्थानों पर शासन करना उनका एकाधिकार है। तदनुसार पश्चिमी बंगाल की जनता को पाठ सिखाने और उनको अपने प्रभाव में लाने के लिए वहां केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बड़ी संख्या में भेजी जा रही है तथा उन्हें पूर्ण अधिकार दिया गया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेसी नेता यह बहाना लगाते हैं कि वे नक्सली उपद्रवों को शान्त करना चाहते हैं पर आज पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस क्या कर रही है? क्या उनको वास्तव में ही नक्सलियों के उपद्रवों को शान्त करने के लिए भेजा गया है?

मैं यहां आपको एक या दो उदाहरण देना चाहूंगा। दक्षिण 24 परगना में बसन्ती पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में कुछ नक्सलियों या असामाजिक तत्वों ने एक जोतदार को मार अथवा घायल कर दिया था। शीघ्र ही वहां बड़ी संख्या में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस

पहुंची और उनके डर से गांव के सारे पुरुष भाग गये, उन्होंने लगभग 2 दर्जन महिलाओं को पकड़ा और उन्हें थाने की ओर ले चले। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के कर्मचारियों ने छः महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार किया। क्या ये महिलाएं नक्सली थीं? क्या इन महिलाओं ने पुलिस वालों पर बम फेंका था? जब तक केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के कर्मचारियों को ऐसा करने के निदेश न दिए जाएं, वे ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं। जिला मैजिस्ट्रेट को इस घटना की सूचना दी गई थी तथा इस सम्बन्ध में राज्यपाल को याचिकाएं दी गई थीं, फिर भी क्या कोई कार्यवाही की गई? क्या किसी केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के कर्मचारी को निलंबित किया गया था? इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया): यदि यह बात सच है तो हम इसकी भर्त्सना करते है परन्तु आप इस बात से सहमत होंगे कि वहां राजनीतिक हत्यायें तथा नक्सली कार्यवाहियां हुई हैं। इनका क्या समाधान है? क्या सरकार को कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए?

श्री गणेश घोष: मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। पूर्वी कलकत्ता के क्षेत्र में दापा नाम की एक छोटी सी जगह है। वहां अधिकांश भूमिहीनों ने बेकार पड़ी भूमि पर कब्जा किया हुआ था। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के कर्मचारियों ने वहां जाकर तीन महिलाओं समेत कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उन्होने 12 वर्ष की महिला श्रीमती नयनतारा के साथ बलात्कार किया। मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या ये महिलाएं नक्सली थीं? क्या उन्होंने पुलिस पर आक्रमण किया था? उनका बलात्कार क्यों किया गया? क्या कांग्रेस मंत्री उत्तर देंगे? यह सच घटना है। उन तीनों महिलाओं के नाम मेरे पास हैं। वे वकीलों के पास गयी थीं तथा उनको अपना सब वृत्तांत सुनाया था। क्या केन्द्रीय आरक्षित पुलिस श्रीमती इन्दिरा गांधी, गृह कार्य मंत्री तथा इन कांग्रेसी नेताओं की अनुमति के बिना ऐसा कार्य कर सकते हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया गया है। इन महिलाओं का सतीत्व भंग किया गया है परन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या यह लोकतंत्र है? क्या यही समाजवाद है?

कांग्रेसी नेताओं तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी का नक्सलियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की घोषणा सब बकवास है तथा इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वे तो पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक आन्दोलन को समाप्त करना चाहते हैं तथा मार्क्सवादी साम्यवादी दल का मलिया-मेट करना चाहते हैं।

नक्सलियों और असामाजिक तत्वों को कौन संरक्षण दे रहा है? यह कार्य कांग्रेसियों का है। कई प्रमुख नक्सली नेता महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं के घरों से पकड़े गये हैं, वे ही इनकी जमानत दे रहे हैं क्या वे इस बात से इन्कार कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल में कांग्रेसी नेताओं के इशारों पर नक्सलियों और असामाजिक तत्वों ने मेरे दल के लगभग 150 सदस्यों की हत्याएं की हैं। नक्सलियों ने कितने कांग्रेसियों की हत्याएं की हैं? क्या आप इस बारे में बता सकते हैं?

नक्सली विचारधारा को बंदूक की गोली अथवा महिलाओं के साथ बलात्कार करके समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्या वे समझते हैं कि अपने इस प्रकार के कार्य से पश्चिम बंगाल की जनता से मत प्राप्त किए जा सकते हैं ? उनको अब समझ लेना चाहिए कि यह विचारधारा बंदूक की गोली से समाप्त नहीं की जा सकती। इसको केवल राजनीतिक मंच और अन्य विचारधारा से समाप्त किया जा सकता है। क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कभी कलकत्ता जाकर नक्सली नेताओं से भेंट करके उनसे यह पूछा है कि आखिर वे चाहते क्या हैं तथा वे यातायात पुलिस की क्यों हत्या करते हैं ?

पश्चिम बंगाल के शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी बड़ी भयंकर रूप में है। लगभग 8000 अर्हता प्राप्त इन्जीनियर बेरोजगार हैं। पश्चिम बंगाल के नवयुवकों में घोर अशान्ति व्याप्त है। संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में भूमिहीनों और गरीब किसानों को बांटी गयी भूमि अब वापिस ली जा रही है तथा उनको जोतदारों को दिया जा रहा है। यह सब काम केन्द्रीय आरक्षित पुलिस कांग्रेसी नेताओं के निदेश पर कर रही है।

पश्चिम बंगाल में दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के मूल्यों में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है जिससे साधारण व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है, ये कांग्रेसी नेता मूल्य वृद्धि को नहीं रोक सकते हैं। इसी कारण भूखी जनता आन्दोलन करने पर उतर आयी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेसी नेता नक्सलियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का बहाना लेकर इस जन-आन्दोलन को कुचल रहे हैं। कांग्रेसी नेता अपने आपको लोकतंत्रवादी समझते हैं तो यह कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने संसद् की अनुमति प्राप्त किये बिना पश्चिम बंगाल में ऐसी कठोर कार्यवाही की।

आजकल कुछ ऐसे आश्वासन दिये जाते हैं कि ये कठोर कार्यवाहियां विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नहीं की जाएंगी, इन आश्वासनों का क्या मूल्य है। हमें 1962 का कटु अनुभव है जबकि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को झूठे आधारों पर जेल में बन्द कर दिया गया था। हमने केवल इतना कहा है कि चीन के साथ बातचीत द्वारा ही अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं। इतना कहने पर हमें चीनी एजेंट कहा गया और हमें कई महीनों तक कारावास में रखा गया। स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी आजकल यही बात कह रही हैं।

सरकार ने पश्चिम बंगाल में जो दमन की नीति जारी की हुई है, उससे कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे हमारे दल को लोगों से पृथक नहीं किया जा सकता। पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाओं, बलात्कार के मामलों के विरुद्ध पिछले आठ दिसम्बर को बंगाल बन्द हुआ था। कांग्रेस के नेता इस बन्द के विरुद्ध थे इसके बावजूद भी वे इसको नहीं रोक सके, यह बन्द केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की गतिविधियों के विरुद्ध हुआ था। यदि सरकार वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास रखती है तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वापस बुलाये और वहां चुनाव कराये। वहां के लोगों के प्रतिनिधियों को सरकार चलाने का अवसर दिया जाये और फिर देखें कि नक्सलवादियों की गतिविधियां समाप्त होती हैं अथवा नहीं, पश्चिम बंगाल के लोग

अपना जीवन दे देंगे परन्तु वे अपने देश के तथा विदेशी एकाधिकारपतियों के हित में काम करने वाले कांग्रेसी नेताओं के आगे नहीं झुकेंगे।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : दोनों संकल्पों पर इकट्ठे चर्चा की जायेगी।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी एक बार बंगाल बन्द का आह्वान दिया था और यह बन्द बहुत सफल रहा था इस बार भी सरकार ने इनसे सहयोग किया था।

सभापति महोदय : मैं यहां पर ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): I rise on a point of order. It has been the practice that movers are allowed to speak before the Hon. Members from other parties are given an opportunity to speak. It is an important resolution. I would, therefore, request you to give an opportunity to mover of the resolution before the Hon. Members from parties are called.

सभापति महोदय : यदि समय हो तो ऐसा किया जाता है अन्यथा प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् दल वार सदस्यों को बुलाया जाता है।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : दोनों संकल्पों में श्री ज्योतिर्मय बसु, गणेशघोष तथा स० मो० बनर्जी के नाम हैं। यद्यपि इनके दल आपस में लड़ते रहते हैं तथापि यहां पर यह तीनों आपस में इकट्ठे हो गये हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु ने लोगों द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपात का उल्लेख किया है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि उनके दल को विधान सभा के 280 स्थानों में से केवल 83 स्थान ही प्राप्त हुए थे, दूसरा प्रश्न यह है कि मानव अधिकारों के विरुद्ध कौन है, कांग्रेस अथवा उग्रवादी दल? अब तक 526 पुलिसमैनों पर आक्रमण हो चुके हैं। अब तक लगभग 36 से 40 पुलिसमैनों की हत्या की जा चुकी है। ज्यादती ज्यादती ही है चाहे वह किसी की भी ओर से की गई हो। जब वे लोग महिलाओं के अपमान की बात करते हैं तो उनको शीशे में अपने चेहरे देख लेने चाहिए।

श्री गणेश घोष ने कुछ मामलों का उल्लेख किया है। मेरा निवेदन है कि उन सभी मामलों की जांच की जा चुकी है और कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है। सरकार की नीति यह है कि यदि किसी मामले में कोई पुलिसमैन अन्तर्ग्रस्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में ऐसा किया जायेगा। मैं श्री गणेश घोष, श्री ज्योतिर्मय बसु का ध्यान एक अन्य मामले की ओर दिलाना चाहती हूं जिसमें एक पत्नी को उसके पति से जबकि वे दोनों सिनेमा जा रहे थे अलग करके ले जाया गया था। पत्नी को तीन दिन के पश्चात् वापस इस दशा में किया गया कि उसकी मृत्यु हो गई। क्या उनके दल ने ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की थी? रबिन्द्र सरोवर में क्या हुआ था? लोगों को डराया,

धमकाया गया था और उनको साक्ष्य नहीं देने दिया गया था। इस प्रकार जांच आयोग के कार्य में बाधायें डाली गई थीं।

श्री समर गुह : वह जांच एक धोखा था, जांच के नाम पर उन्होंने सच्चाई को छिपाया है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह बाधा न डालें।

श्री समर गुह : श्रीमती परुल बोस पर जब आक्रमण हुआ था तो मैंने उसकी बहुत निन्दा की थी, परन्तु जब सैकड़ों महिलाओं पर आक्रमण हुआ और उनका अपमान हुआ तो उनकी ओर से एक शब्द भी नहीं कहा गया, हमारे में और उनमें यही अन्तर है।

सभापति महोदय : इस प्रकार बाधायें डालकर माननीय महिला सदस्या के समय का अपव्यय नहीं किया जाना चाहिए।

श्रीमती इला पालचौधरी : मेरे अपने वकील को धमकी दी गई थी। महिला वकीलों को धमकियां दी गई थीं। अनेक महिलाएं मेरे पास आयी थीं और उन्होंने मुझे अपने फटे हुए कपड़े दिखाये थे। उनको इस प्रकार की धमकियां दी गई थीं कि यदि उन्होंने साक्ष्य दिया तो उनके परिवार के किसी सदस्य को जीवित नहीं रहने दिया जायेगा।

साम्यवादी मार्क्सवादी तथा अन्य उग्रवादी दलों ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की है जबकि वहां पर कोई न्यायिक जांच नहीं की जा सकती।

8 दिसम्बर तक 526 पुलिसमैनों पर आक्रमण हो चुके थे उनमें से 36 मर चुके हैं और शेष घायल हुए हैं। दलों के आपसी झगड़ों में 17 नवम्बर तक कांग्रेस के 9 व्यक्ति मारे जा चुके थे। श्री गणेश घोष ने जिस गांव का उल्लेख किया था उसमें एक आदिवासी महिला को जो कि गर्भवती थी ठोकरें मारकर मार दिया गया था। उसका शव बाद में बरामद हुआ था। इस बात की प्रत्येक नारी निन्दा करेगी, उनके दल ने ऐसे अपराध करने वालों की कभी निन्दा नहीं की है।

इस अधिनियम से हम ऐसे समाज विरोधी तथा लोकतंत्र विरोधी तत्वों को पकड़ सकेंगे। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने इतनी विस्फोटक सामग्री पकड़ी है जिससे लगभग 700,000 बम बनाये जा सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या श्री बसु बंगाली नहीं हैं और क्या वह शर्म महसूस नहीं करते कि सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति का अपमान किया गया है। हम लेनिन का सम्मान करते हैं परन्तु उसके प्रति निष्ठावान नहीं हैं। हम सुभाष बाबू तथा गांधी जी के प्रति निष्ठावान हैं। अन्य अनेक नेताओं की मूर्तियों को भी खराब किया गया है।

सभापति महोदय : यदि आप चाहें तो अपना भाषण कल जारी रख सकती हैं। अब अगले मद पर चर्चा होगी।

मद्यनिषेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: REPORT OF THE STUDY TEAM ON PROHIBITION

Shri Kamble (Latur): The foremost question is this whether prohibition is essential for us. I think it is so. No one can use his brain correctly after drinking. A man loses its balance of mind when intoxicated. Economic position of the drunkers deteriorates. Drinking has been con-

demned in all the religious books and by all our leaders. The social conditions have deteriorated and crimes have increased whenever drinking has been allowed. Poor and Harijans suffer more because once habituated they can neither leave it nor can bear its expenses. Their family life is ruined. All these things have been depicted in the report. Many accidents occurred when the drivers drive their vehicles while drunkered. I can mention many such accidents.

Many Hon. Friends have stated that the Prohibition Act, has not proved success. It can be a weakness on the part of society or Government. But it does not mean that we should do away with this Act. Shortcomings should be removed, if there are any. I would request that through propaganda we can enforce the law successfully. We should check this menace of drinking. We should not think of increasing the revenue by giving some concessions in this law. On the other hand I would suggest that prohibition should be enforced strictly. I would also suggest that advertisements in regard to wine should not be allowed to appear in the newspapers. We should propagate as to what harms drinking can cause to a man. Prohibition should be enforced in those States also where at present it is not inforce.

I would request that all the suggestions which have been made in the report should be accepted and implemented.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : यदि आप लोग इस चर्चा के बारे में गम्भीर हैं तो इसको उचित समय पर उठाया जाना चाहिये । इस समय सभा में एक दर्जन सदस्य भी उपस्थित नहीं हैं ।

सभापति महोदय : सभा को कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 11 दिसम्बर, 1970/20 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 11, 1970/Agrahayana, 20, 1892 (Saka)

Tej Kumar Press Lucknow—6-3-71—340